अ.भा. श्री वर्धमान स्थानकवासी
जैन श्रमण संघीय

समाचारी

श्री अखिल भारतवर्षीय वर्धमान स्थानकवासी

जैन श्रमण संघीय

समाचारी

-प्रकाशक-

श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस

जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्केट

नई दिल्ली-110001

अनुक्रमणिका

क्रम	पृष्ठ संख्या
प्रकाशकीय	3
समाचारी प्रकाश	4
संविधान प्रज्ञापना	5
श्रमणसंघ के पदाधिकारी	7
पूना सम्मेलन	8
पारित प्रस्ताव	12
(प्रस्ताव क्रम 1 से 45)	
जन कल्याण योजना	22
1. महाव्रत एवं समिति प्रकरण	29
2. रत्नत्रय प्रकरण	41
3. व्यवहार विहार प्रचार-प्रकरण	59
4. अधिकारी एवं कर्तव्य प्रकरण	71
5. प्रायश्चित विधि प्रकरण	85

प्रथम संस्करण वर्ष 1987 1000 प्रतियाँ

पुनः प्रकाशन वर्ष 2013 1500 प्रतियाँ

प्रकाशक :

श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस

जैन भवन, 12 शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23363729, 23365420

फैक्स : 011-23344380

E-mail : aissjc1906@gmail.com, aissjcpresident@gmail.com

website : www.jainconference.org

मुद्रण व्यवस्था : राजीव जैन, बुकमैन प्रिन्टर्स, दिल्ली-110092

फोन 9810367902, 9891243169

e-mail : bookmanprinter@gmail.com

प्रकाशकीय

श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस श्रमण संघ की मातृ संस्था है। इस संस्था के मूर्धन्य मनीषियों के प्रबल प्रयास से श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की स्थापना हुई और समय-समय पर संत सम्मेलनों के नव्य-भव्य आयोजन भी हुए।

महामहिम आचार्य सम्राट् के आदेश को शिरोधार्य कर जैन कॉन्फ्रेंस के मूर्धन्य अधिकारीगण सभी प्रमुख संतों के पास पहुंचे और उनके प्रबल प्रयास से पूना महानगरी में सम्मेलन का सफल कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ सम्मेलन समिति पूना संघ का भी अपूर्व योगदान रहा। श्रीमान बंकटलाल जी मोतीलाल जी कोठरी प्रभृति कार्यकर्ताओं ने जी-जान से सम्मेलन को पूर्ण यशस्वी बनाने का भगीरथ कार्य किया। एतदर्थ वे सभी साधुवाद के पात्र हैं।

पूना संत सम्मेलन में आचार्य सम्राट् पूज्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी और युवाचार्य श्री शिवमुनि जी को चुनकर संघ में एक अपूर्व उत्साह का संचार किया था।

पूना संत सम्मेलन में हमारे अधिकारी मुनिवरों ने जो 'समाचारी' तैयार की और जो प्रस्ताव पारित किये, उसके प्रकाशन का लाभ जैन कॉन्फ्रेंस ने उठाया। प्रस्तुत पुस्तक 'समाचारी' का पुनर्प्रकाशन उसी रूप में करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता है। यह पुस्तक नवोदित साधु-साध्वी एवं समाज की नई पीढ़ी के लिए अपनी परम्परा के प्रति बनाये गये आदर्शों का मूल्यांकन करने में सार्थक सिद्ध होगी। एतदर्थ हम आचार्य सम्राट के प्रति हार्दिक आभारी हैं।

अध्यक्ष	महामंत्री
अविनाश चोरड़िया जैन	**बालचंद खरवड़ जैन**
(जैन कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली)	**(जैन कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली)**

समाचारी-प्रकाश

- नियम, व्रत, व्यवस्था एवं मर्यादा—इन सबकी सम्यक् अनुपालना, समीचीन आचरण—समाचारी है। इसमें महाव्रत रूप आचार तथा लोक व्यवहार का रूप आचार दोनों ही सम्मिलित हैं।

- समाचारी का शुद्ध नीति-रीतिपूर्वक स्वविवेक से पालन करना-श्रमण जीवन का आदर्श है।

- समाचारी की सम्यक् अनुपालना से श्रमणसंघ की एकता, अखण्डता तथा शुद्ध आचार मर्यादा स्थिर रहती है।

- प्रत्येक आत्म-साधक श्रमण-श्रमणी इसका सम्यक् पालन करें और माता-पिता तुल्य श्रावक-श्राविका इस अनुपालना में पूर्ण सहयोगी बनें—यही मेरी हार्दिक भावना है।

आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी म.
की आज्ञा से

संविधान प्रज्ञापना

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ एक विशिष्ट संघ है। इस संघ ने, संघ व्यवस्था की दृष्टि से एक आचार-संहिता का निर्माण किया है। इसमें मुनि के कर्तव्य और अकर्तव्य या प्रवृत्ति-निवृत्ति के निर्देश हैं। इनमें कितनी ही धाराएं आगम साहित्य में आये हुए आचार के विधि निषेध और उत्सर्ग, अपवाद मार्ग के संकेतों पर आधृत हैं, तो कितनी ही धाराएं सादड़ी, सोजत, भीनासर, अजमेर संत-सम्मेलनों में महामनीषी मुनि प्रवरों के द्वारा किये गये विविध प्रस्तावों पर अवलम्बित हैं और कितनी ही धाराएं पूना मुनि सम्मेलन में उपस्थित आगमज्ञ पदाधिकारी प्रतिनिधि मुनिप्रवरों की सम्मति से पारित की गई हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत संविधान के निर्माण के अनेक आधार हैं। यह संविधान कमनीय कल्पना से निर्मित नहीं है, अपितु आगम और परम्परा का आधार इसके पीछे रहा हुआ है। स्थानांगसूत्र में संघव्यवस्था की दृष्टि से जो आचार-संहिता है, वह व्यवहार के नाम से प्रतिपादित है। जिनसे वह व्यवहार संचालित होता है, कार्य कारण की अभेद दृष्टि से वे व्यक्ति भी व्यवहार कहलाते हैं। ज्ञानात्मक क्षमता के आधार पर वे अधिकृत व्यक्ति व्यवहार का संचालन करते हैं।

व्यवहार पाँच प्रकार का है (1) आगम, (2) श्रुत, (3) आज्ञा, (4) धारणा, (5) जीत।

व्यवहार में पहला स्थान आगम का है, द्वितीय स्थान श्रुत का है, तृतीय स्थान आज्ञा का है और चौथा स्थान धारणा का है एवं पांचवां स्थान जीत का है। यहां पर जीत व्यवहार का अर्थ है किसी समय, किसी अपराध के लिए आचार्यों ने एक प्रकार का प्रायश्चित विधान किया हो वही प्रायश्चित विधान देश, काल, धृति, संहनन, बल प्रभृति को निहारकर दूसरे प्रकार का प्रायश्चित विधान किया जाता है, वह जीत व्यवहार है।

जो श्रमण वैराग्यवान, प्रियधर्मी, अप्रमत्त और पापभीरू हैं, उनके द्वारा जो आचरण है, वह जीत व्यवहार साधकों के लिए शुद्धि करने वाला है। वह संघ की व्यवस्था का आधार बिन्दु है, जिससे संघ निरन्तर जागरूक और विशुद्ध रह सकता है। समय-समय पर संत भगवन्तों ने संत सम्मेलनों में जो निर्णय लिए हैं, वे सभी जीत व्यवहार से ही संबंधित हैं। इसलिए चतुर्विध संघ के लिए कल्याणकर हैं।

चतुर्विध संघ का दायित्व है कि जो भी आचार-संहिता निर्मित की है, उसका दृढ़ता के साथ पालन कर एक ज्वलंत आदर्श उपस्थित किया जाये। तर्क के भंवर जाल में न फंसकर निष्ठा के साथ पालन करना ही सभी के लिए श्रेयस्कर है।

●श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमणसंघ का बृहत् साधु-सम्मेलन बावीस वर्ष के पश्चात् महाराष्ट्र की पुण्यधरा पूना में दिनांक 2/5/87 शनिवार के दिन परम वन्दनीय महामहिम राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषिजी म. के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। यह सम्मेलन दिनांक 13/5/87 बुधवार तक चला। इस सम्मेलन में भारत के विविध अंचलों से 107 संत और 153 महासतियां पधारी थीं।

आचार्य सम्राट ने मंगलाचरण कर सम्मेलन सभा प्रारम्भ की। आचार्य सम्राट ने अपनी वृद्धावस्था के कारण सभा संचालन हेतु पंडित प्रवर श्री सुमन मुनिजी को 'शांति रक्षक' के रूप में नियुक्त किया। सभा की कार्यवाही लिखने का कार्य श्री आशीष मुनिजी और भुवनेश मुनिजी को प्रदान किया गया।

विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वानुमति से यह निर्णय लिया गया कि जो मुनि प्रतिनिधि नहीं हैं, वे मुनि दर्शक के रूप में सम्मेलन की कार्यवाही निहार सकेंगे। पर उन्हें विचार चर्चा करने का और परामर्श देने का अधिकार नहीं होगा। वे अपने विचार लिखित रूप में शांतिरक्षकजी को दे सकेंगे और वे उनका स्पष्टीकरण कर सकेंगे।

पूर्व सम्मेलनों में महासती वृन्द को सम्मेलन में बैठने का अधिकार नहीं था, पर इस सम्मेलन में सर्वानुमति से महासती वृन्द को सम्मेलन में बैठने का अधिकार दिया और कुछ महासतियां प्रतिनिधि के रूप में बैठीं।

दिनांक 12 मई 87 को एक लाख से भी अधिक जनमेदिनी के बीच निम्न घोषणा आचार्य सम्राट ने की

"आज कितना उल्लासमय मंगल वातावरण है। चारों ओर हर्ष की तरंगें तरंगायित हैं। मेरी आज्ञा को शिरोधार्य कर हमारे संघ के मूर्धन्य मुनिगण और परम विदुषी महासती वृन्द यहां पर पधारे। मधुर वातावरण में सम्मेलन का कार्य सम्पन्न हुआ।

हमारे मुनि प्रवरों ने बहुत ही दीर्घदृष्टि से निर्णय लिए हैं, जो हमारी गौरव गरिमा में चार चांद लगाने वाले हैं। इस मंगलमय अवसर पर भारत के विविध अंचलों से हजारों श्रद्धालु श्रावक-श्राविकाएं भी उपस्थित हुए हैं। सभी के अन्तर्मानस में यह जिज्ञासा समुतपन्न हो रही है कि मैं श्रमण संघ का उत्तराधिकारी घोषित करूं।

श्रमण संघ एक जयवंत संघ है। इस संघ की उन्नति हेतु **श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री को उपाचार्य** पद से सुशोभित करता हूं और **श्री शिव मुनिजी को युवाचार्य** पद देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों मुनि श्रमणसंघ के प्रति पूर्ण समर्पित होकर निष्ठा के साथ अपना उत्तरदायित्व निभायेंगे।"

उपाचार्य और युवाचार्य का चद्दर महोत्सव दिनांक 13 मई 1987 को आचार्य श्री के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

—श्रमण संघ के पदाधिकारी—

आचार्य सम्राट श्री आनन्दऋषि जी म.सा.
उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनि जी म.सा.
युवाचार्य श्री शिवमुनि जी म.सा.

उपाध्याय मण्डल

उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी म.सा.
उपाध्याय श्री केवलमुनि जी म.सा.
उपाध्याय श्री मनोहरमुनि जी म.सा.
उपाध्याय श्री विशालमुनि जी म.सा.

प्रवर्त्तक मण्डल

प्रवर्त्तक श्री कल्याणऋषि जी म.
प्रवर्त्तक श्री अम्बालाल जी म.
प्रवर्त्तक श्री भडारी पदमचन्द जी म.
प्रवर्त्तक श्री उमेशमुनि जी म.
प्रवर्त्तक श्री रमेशमुनि जी म.

प्रवर्त्तक श्री रूपचन्द जी म.
प्रवर्त्तक श्री मोहन मुनि जी म.

महामंत्री

महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी म.

सलाहकार मंडल

सलाहकार अनुयोग प्रवर्त्तक श्री कन्हैयालाल जी म.

सलाहकार श्री ज्ञानमुनि जी म.
सलाहकार श्री मूलमुनि जी म.
सलाहकार श्री जीवनमुनि जी म.
सलाहकार श्री रतनमुनि जी म.
सलाहकार श्री सुमनमुनि जी म.
सलाहकार श्री कुन्दनऋषि जी म.
सलाहकार श्री सुकनमुनि जी म.
सलाहकार श्री महेन्द्रमुनि जी म. 'कमल'

॥ पूना सम्मेलन ॥

महामहिम आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी म. की अध्यक्षता में आत्मनगर के प्रांगण में सम्मेलन की कार्यविधि मंगलाचरण के साथ प्रारम्भ हुई। उसमें उपस्थित प्रतिनिधि मुनि—

उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी म.
उपाध्याय श्री केवलमुनि जी म.
उपाध्याय श्री विशालमुनि जी म.
श्री देवेन्द्र मुनि जी म. शास्त्री
श्री सौभाग्य मुनि म. 'कुमुद'
श्री कुन्दनऋषि जी म.
श्री शिवमुनि जी म.
प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषि जी म.
प्रवर्तक श्री उमेशमुनि जी म.
प्रवर्तक श्री रमेशमुनि जी म.
प्रवर्तक श्री रूपचंद जी म.
सलाहकार श्री मूलमुनि जी म.

सलाहकार श्री जीवनमुनि जी म.
सलाहकार श्री सुमनमुनि जी म.
सलाहकार श्री रतनमुनि जी म.
तपस्वी श्री सुमति प्रकाश जी म.
उपप्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी म.
उपप्रवर्तक श्री विनय मुनि जी म.

प्रतिनिधित्व

प्रमुख मुनि प्रवरों की प्रार्थना पर आचार्य प्रवर ने अपनी वृद्धावस्था के कारण अपना प्रतिनिधित्व श्री प्रवीण ऋषि जी म. को प्रदान किया।

प्रवर्तक भंडारी श्री पदमचन्द जी म. का प्रतिनिधित्व श्री विजय मुनि जी म. ने किया।

उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी म. का प्रतिनिधित्व श्री सुमन मुनि जी म. ने किया।

अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालाल जी म. का प्रतिनिधित्व श्री रूप चन्द जी म. रजत ने किया।

प्रवर्तक श्री अंबालाल जी म. का प्रतिनिधित्व श्री सौभाग्य मुनि जी 'कुमुद' ने किया।

प्रवर्तक श्री मोहनलाल जी म. का प्रतिनिधित्व श्री कुन्दन ऋषि जी म. ने किया।

प्रतिनिधि महासती

महासती श्री केसरदेवी जी म.
महासती श्री पुष्पवती जी म.
महासती श्री प्रमोद सुधा जी म.
महासती श्री तेजकुंवर जी म.
महासती श्री पुष्पकुंवर जी म.
महासती श्री आदर्शज्योति जी म.
महासती श्री चन्दना जी म.

यथासमय प्रतिनिधित्व करने वाली साध्वियां

साध्वी श्री पुनीत ज्योति जी म.
साध्वी श्री अर्चना जी म.

साध्वी श्री धर्मशीला जी म.
साध्वी श्री ज्ञानप्रभा जी म.
साध्वी श्री सुशीलकुंवर जी म.
साध्वी श्री प्रीतिसुधा जी म.
साध्वी श्री सन्मति जी म.
साध्वी श्री इन्द्रकुंवरजी म.
साध्वी श्री कौशल्या जी म.
साध्वी श्री विमलवती जी म.
साध्वी श्री अर्चना जी म.

संत सम्मेलन में सर्वप्रथम उन सन्त रत्नों को भावभीनी श्रद्धार्चना समर्पित की गई, जिनका श्रमण संघीय गरिमा और महिमा की अभिवृद्धि में अपूर्व योगदान रहा। अजमेर शिखर सम्मेलन के पश्चात् जिनका स्वर्गवास हो गया।

प्रवर्तक श्री पन्नालाल जी म.
युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म.
प्रवर्तक मरुधरकेसरी श्री मिश्रीमल जी म.
प्रवर्तक श्री शुक्लचन्द जी म.
प्रवर्तक श्री प्रेमचन्द जी म.
प्रवर्तक श्री कस्तूरचन्द जी म.
प्रवर्तक श्री पृथ्वीचन्द्र जी म.
प्रवर्तक श्री सूर्यमुनि जी म.
प्रवर्तक श्री फूलचन्द जी म.
प्रवर्तक श्री हीरालाल जी म.
प्रवर्तक श्री शांतिस्वरूप जी म.
उप-प्रवर्तक श्री ब्रजलाल जी म.
मालवकेसरी श्री सौभाग्यमल जी म.
मेवाड़भूषण श्री प्रतापमल जी म.
आत्मार्थी श्री मोहन ऋषि जी म.
प्रवर्तक श्री विनय ऋषि जी म.
आदि आदि अन्य सन्त गण भी।

इस अवसर पर उन परम विदुषी साध्वियों का भी पुण्य स्मरण किया गया जिन्होंने अपने पवित्र चरित्र से जैन धर्म की प्रभावना की।

श्रमण संघ के अतिरिक्त स्थानकवासी समाज के जो अन्य प्रबल प्रतिभा के धनी संत और सती वृन्द स्वर्गस्थ हुए, उनके प्रति श्रद्धा-सुमन समर्पित कर गुणानुरागी सद्भावना का सभी ने परिचय दिया।

अजमेर सन्त सम्मेलन के पश्चात् जिन श्रमण और श्रमणियों ने आर्हती दीक्षा ग्रहण कर श्रमण संघ की गौरव गरिमा में अभिवृद्धि की, उन सभी का अभिनन्दन प्रस्ताव भी सर्वानुमति से पारित किया गया।

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ सम्मेलन, पूना

पारित-प्रस्ताव

प्रस्ताव :—

1— राष्ट्र सर्वोपरि :

जीवन विकास की सभी उर्ध्वता मूलक प्रवृतियां धर्म द्वारा संचालित हैं। धर्म तभी फलित और पुष्पित हो सकता है जब राष्ट्रीय स्तर पर सौहार्द, शांति की भावना का प्रसार हो। जैन श्रमण सम्मेलन राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का पुरजोर समर्थन करता है क्योंकि राष्ट्रीय एकता में ही विश्व शांति के तत्व निहित हैं।

श्रमण संघ विश्व में व्याप्त अशांति और आतंक की समस्या का समाधान अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त में देखता है।

—सर्वानुमति से पारित

2— संत्रस्त प्रजा के प्रति शांति कामना :

भारत के ही एक अंग पंजाब राज्य में हिंसात्मक उपद्रव चल रहे हैं, यह मुनि सम्मेलन उन उपद्रवों से गहरा चिन्तित है।

मुनि सम्मेलन का मानना है कि उस प्रदेश में जो भी समस्या हो, संबंधित पक्ष परस्पर बातचीत द्वारा अहिंसात्मक ढंग से उस समस्या का समाधान खोजने का भगीरथ प्रयत्न करें। भारत के ही नागरिकों का परस्पर खून बहाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपद्रवों से संत्रस्त प्रजा के प्रति यह मुनि सम्मेलन हार्दिक संवेदना प्रकट करता हुआ शांति की कामना करता है।

3— कुरूढ़ियों के निवारण की प्रेरणा :

समाज में दहेज, तिलक एवं प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा

है। यह मुनि सम्मेलन समाज में बढ़ती इन कुप्रथाओं को घोर निन्दनीय समझता है और अनुयायियों से आग्रह करता है कि इन बुराइयों-कुरूढ़ियों का दृढ़तापूर्वक निषेध कर समाज को विकृतियों से बचाने में योगदान दें।

यह सम्मेलन संत-सती वर्ग से भी आग्रह करता है कि यथाशक्य अपने प्रवचनों एवं विशेष प्रयासों द्वारा भी इन कुरूढ़ियों के निराकरण का प्रयत्न करें।

4— आहार शुद्धि के आन्दोलन को प्रेरणा :

मुनि सम्मेलन ने मांसाहार निषेध एवं मद्य निषेध को अपने घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकार किया है। अतः सभी श्रमण संघीय संत-सती जी जहां भी संभव हो और जितना संभव हो, इन बुराइयों को मिटाने का पुरजोर प्रयत्न करें।

5— सरकारी संचार माध्यम मांसाहार का प्रचार तुरन्त बंद करें :

रेडियो, टी.वी. चित्रों और गद्य लेखन आदि के द्वारा सरकारी उपक्रम के माध्यम से अण्डों का एवं मांसाहार का प्रचार किया जाता है। यह हमारी अहिंसामूलक संस्कृति के नितान्त विरुद्ध है, अतः यह मुनि सम्मेलन भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि यह दुष्प्रचार शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करें।

6— चरित्र निर्माण में सहयोग दे सरकार :

देश में मांसाहार का विस्तार एवं मद्यपान की निरंकुश प्रवृत्ति बढ़ते रहने से देश का चरित्र एवं इसका अमन खतरे में पड़ गया है। यह मुनि सम्मेलन भारत सरकार से तथा राज्य सरकार से आग्रह करता है कि देश में सात्विक वातावरण की अभिवृद्धि करने एवं नागरिकों के चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए इन दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाए।

7— कत्लगाहों की बन्दी का अनुरोध :

देश में सरकारी उपक्रम के रूप में एवं व्यक्तिगत उपक्रम के रूप में न केवल पुराने कत्लखानों को विस्तृत किया जा रहा है, अपितु नये-नये कत्लखाने खोले जा रहे हैं। यह मुनि सम्मेलन सरकार की इस प्रवृत्ति को अनुचित मानता है और भारत सरकार से आग्रह करता है कि कत्लखानों की बढ़त को रोकें; अपितु खुले हुए कत्लखाने भी एक दिन समाप्त हो जाएं,

ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे राष्ट्र में करुणा और सेवापूर्ण सात्विक वातावरण का निर्माण हो।

8— श्रमण संघ शासन व्यवस्था में परिवर्तन :

मुनि सम्मेलन ने गण व्यवस्था के स्थान पर क्षेत्रीय व्यवस्था को स्वीकार किया है। क्षेत्र विभाजन निम्नानुसार है

—प्रवर्तकों का क्षेत्रीय विभाजन—

तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरल, नेपाल, गोआ।

केन्द्राधीन (आचार्य भगवन् से आज्ञा)।

महाराष्ट्र—श्री कल्याण ऋषि जी म.

उत्तरी भारत—श्री पदमचन्द जी म.
(पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, यू.पी.)

जि. उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर,
गुजरात —श्री अम्बालाल जी म.

जि. सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी,
झालावाड़, चित्तौड —श्री मोहन मुनि जी म.

बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश —श्री रमेश मुनि जी म.

पंच महाल (गुजरात) —श्री उमेश मुनि जी म. 'अणु'

मारवाड़, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर,
अलवर, ब्यावर, सिरोही, जालोर
एवं बीकानेर (उत्तर राजस्थान) —श्री रूपचन्द जी म. 'रजत'

9— श्वेताम्बर जैन एकता के लिए साम्वत्सरिक ऐक्य जरूरी :

श्रमण संघ में साम्वत्सरिक ऐक्य का निर्माण हो, इस दृष्टि से अनेक प्रयत्न हुए किन्तु यथोचित सर्वतोगामी समाधान नहीं हो सका।

यह सम्मेलन सम्वत्सरी के संबंध में पक्ष-मान्यताओं के दोनों किनारों को छोड़कर मध्यम मार्ग को स्वीकार करता है। इस निर्णय के अनुसार जब दो श्रावण होंगे तब भाद्रपद में सम्वत्सरी पर्व मनाया जाएगा। वैसे ही जब दो भाद्रपद होंगे, उस समय प्रथम भाद्रपद में सम्वत्सरी पर्व मनाया जाएगा।

यह मध्यम मार्ग आचार्य श्री एवं युवाचार्य श्री के संयुक्त वर्षावास नासिक से प्रवर्तित किए गए साम्वत्सरिक प्रस्ताव के अनुरूप हैं।

यह प्रस्ताव किसी भी आदेश-अध्यादेश से बाधित नहीं होगा।

आचार्य श्री का विशेष निर्देश

यदि भारत जैन महामण्डल का प्रयत्न सफल होकर समग्र श्वेताम्बर जैन समाज साम्वत्सरिक ऐक्य पर आ जाए तो श्रमण संघ अलग नहीं रहेगा। इससे भिन्न स्थिति में उपर्युक्त प्रस्ताव प्रभावक होगा।

10— वाहन-विहार वृत्ति वालों का पूर्ण बहिष्कार :

जो साधु-साध्वी जी वाहन विहार आदि करते हैं, ऐसे तथाकथित साधु-साध्वी के साथ श्रमण संघीय कोई सन्त-सती जी प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई संबंध नहीं रखेंगे। यदि किसी भी तरह का संबंध सिद्ध होगा तो वे साधु-साध्वी जी प्रायश्चित के भागीदार समझे जायेंगे।

साथ ही श्रमण संघानुयायी उपासकों को यह सम्मेलन संदेश देता है कि उन तथाकथित वाहन विहारी साधु-साध्वी को कतई प्रोत्साहन न दें।

11— पंचमी समिति का स्व-विवेक से निर्वाह :

पंचमी समिति के विषय में साधु-साध्वी जी स्व-विवेक से अधिकाधिक निर्दोष स्थिति का अनुकरण करें। अशोभन अवज्ञा का रूप भी न हो। इस विषय में परस्पर निन्दा-विकथा भी न करें।

12— स्थानकों में छाया चित्रों का निषेध :

वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के स्थानकों में किसी श्रमण व श्रमणी का फोटो नहीं लगाया जाएगा। पूर्व में जहां स्थापित हैं, उन्हें श्रावकों को प्रेरणा करके उतरवा दिया जाए। संस्थाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।

13— चादर समारोह :

आचार्य, युवाचार्य जैसे संघ शास्ता के चादर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। अन्य उपाध्याय, प्रवर्तक आदि किसी भी अधिकारी मुनि के इस प्रकार के आयोजन भविष्य में आयोजित नहीं होंगे।

14— संस्थाओं का नामकरण भगवान महावीर के नाम पर :

भविष्य में जो भी संस्थाएं श्रमण संघीय संत-सती जी म. की प्रेरणा द्वारा स्थापित हों, वह श्रमण भगवान महावीर के नाम से होंगी। किसी भी संस्था या संस्था की वस्तु पर प्रेरक के रूप में श्रमण संघीय संत-सतियों का नाम अंकित नहीं होगा।

15— श्रावक संघों पर महासतियों की पूर्ण सुरक्षा का दायित्व :

यह श्रमण सम्मेलन श्रावक संघों को संकेत करता है कि महासतियों के विहार में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था रहे। सुरक्षा एवं पहुंचाने का कार्य श्रावक संघों का है। यदि श्रावक संघ इस दायित्व का निर्वाह न करें तो उस क्षेत्र में विचरने के लिए श्रमण संघ के संत-सतियों को सोचना पड़ेगा।

16— प्रचार नहीं, सादगी :

चातुर्मास में सूचनार्थ छपने वाली पत्रिकाएं, पोस्टर आदि बन्द कर दिए गए हैं।

इसी तरह क्षमापना पत्रिकाएं, पोस्टर भी बन्द कर दिए गए हैं। क्षमापना एवं चातुर्मास समाचार हेतु मात्र पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र उपयोग में लिए जा सकेंगे।

17— तपोत्सव आडम्बरहीन आध्यात्मिक हों :

तपोत्सव मनाने हेतु पत्रिका, अन्तर्देशीय पत्र, पोस्टर छपवाने पर रोक लगा दी गई है। तपोत्सव त्याग-तप की अभिवृद्धि रूप मनाया जा सकेगा।

18— महिलाएं भी निर्वाहित करें केन्द्रीय भूमिका :

यह मुनि सम्मेलन समस्त आस्थावान श्राविकाओं को यह संदेश देता है कि प्रत्येक क्षेत्र में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की तरह श्री वर्धमान स्थानकवासी श्राविका मण्डल की स्थापना कर जिनशासन की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें। महासती मण्डल से भी सम्मेलन का आग्रह है कि इस दिशा में श्राविकाओं को दिशा-निर्देश दें।

19— देवलोकगामी की रस्म पर बोली का निषेध :

संत-सती जी के स्वर्गवास के बाद दाह क्रिया और उनसे संबंधित किसी भी रश्म के लिए कोई बोली नहीं बोली जाएगी।

20— केवल शैक्षणिक उपाधियां ही मान्य :

शास्त्रीय आधिकारिक उपाधियों के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों को यहां विराजित मुनिराज एवं महासतियों ने पूज्य आचार्य सम्राट के चरणों में विसर्जित कर दिया है। जो मुनिराज व महासतियां जी यहां उपस्थित नहीं हैं, वे भी उनका विसर्जन कर दें। ऐसा मुनि सम्मेलन का

आग्रह है। जो संत-सती अपने पदों का विसर्जन न करें, उनके पद निरस्त समझे जाएं।

शैक्षणिक उपाधियां निरस्त नहीं की गई हैं।

21— किसी भी प्रकार के प्रचण्ड प्रचार का निषेध :

श्रमण संघीय संत-सती जी के सान्निध्य में मनाई जाने वाली जयंतियां, स्मृति दिवस आदि के आडम्बरीय आयोजन समाप्त किए जाते हैं। उस अवसर पर त्याग-तप साधना के आयोजन हो सकेंगे। किसी भी तरह की पत्रिका, पोस्टर, फोटो आदि गृहस्थ न छपवाएं। त्याग-तप की सूचना पोस्ट कार्ड द्वारा भी दी जा सकती है।

22— अभिनन्दन-पत्र भी अग्राह्य :

श्रमणसंघीय संत-सती जी स्थानक जैन समाज या स्थानक जैन संस्थाओं द्वारा दिए गए अभिनन्दन पत्र ग्रहण नहीं करेंगे।

23— अनर्गल आक्षेपों का प्रत्युत्तर देगी कॉन्फ्रेंस-समिति :

श्रमणसंघ और श्रमणसंघीय मुनिराज, महासतियों पर और उनकी रीति-नीतियों पर कई बार विरोधी तत्वों द्वारा अनर्गल आक्षेप किए जाते हैं। यह सम्मेलन कान्फ्रेंस को सूचित करता है कि कॉन्फ्रेंस एक ऐसी आक्षेप निवारक समिति का गठन करे, जो ठीक समय पर आक्षेपों का उचित समाधान कर सके।

24— प्रवर्तक श्री रूपचन्द जी 'रजत' एवं
महासती श्री जसकंवर जी का धन्यवाद :

बलि-बन्दी एवं अहिंसा के क्षेत्र में प्रवर्तक श्री रूपचन्द जी म. 'रजत' एवं महासती श्री जसकंवर जी म. तथा अनेक संत-साध्वी वृन्द ने श्रेष्ठ कार्य किए हैं। यह सम्मेलन उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद प्रस्ताव पारित करता है।

25— दीक्षार्थी की योग्यता :

दीक्षा प्रदान करने में मुमुक्षु (दीक्षार्थी) की योग्यता को प्रधानता दी गई है। अंतिम निर्णायक के रूप में पूज्य आचार्य श्री जी होंगे। मुमुक्षु पाठ्यक्रम कें अनुसार अध्ययन होने पर ही दीक्षा योग्यता मानी जाएगी।

26— जैन विश्वविद्यालय की आवश्यकता :

यह सम्मेलन भगवान महावीर के अहिंसा, अनेकान्त आदि सिद्धान्तों

तथा जैन विद्या के विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार हेतु एक जैन विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुभव करता है और तत्संबंधी शैक्षणिक दृष्टिकोण प्राप्ति हेतु मूर्धन्य मनीषियों एवं प्रवर्तक मुनि श्री रूपचंद जी म. 'रजत' से कॉन्फ्रेंस या तत्संबंधित समिति दिशा-निर्देश प्राप्त करे।

27— दुष्प्रचार की निन्दा एवं जिन शासन की गौरवमयी प्रवृत्तियों का समर्थन :

कतिपय पत्र-पत्रिकाओं ने जैन समाज की प्रवृत्तियों, साधुचर्याओं, भागवती दीक्षा पद्धति आदि पर घृणात्मक आक्षेप किए हैं और किए जा रहे हैं। ऐसे निन्दनीय, बेबुनियादी आक्षेपों, निन्दा लेखों को यह श्रमण सम्मेलन अस्वीकार करता है। ...और पवित्र जिनशासन की गौरवमयी प्रवृत्तियों का दृढ़ता के साथ समर्थन करता है।

28— पाठ्य पुस्तकों में जैन दर्शन के लिए नास्तिक दर्शन का उल्लेख आगे से न करना :

अनेक पाठ्य पुस्तकों में जैन धर्म को 'नास्तिक दर्शन' के रूप में निरूपित किया है। आज 'नास्तिक' शब्द दार्शनिक घृणा का रूप ले चुका है, अतः यह सम्मेलन शिक्षा विभाग से आग्रह करता है कि पाठ्य पुस्तकों से ऐसे उल्लेख हटा दिए जाएं।

29— स्थानकों का उपयोग मात्र अध्यात्म-साधना के लिए :

यह सम्मेलन श्रावक संघों को यह संसूचन देता है कि जो धर्मध्यानार्थ स्थानक आदि भवन हैं, उनका धर्म ध्यान के रूप में ही उपयोग किया जाए।

30— स्थानक में जाने की प्रेरणा :

जैनत्व के संस्कारों के स्थायित्व के लिए प्रत्येक साधु-साध्वी जी प्रत्येक स्थानकवासी जैन को प्रतिदिन स्थानक में जाकर कम से कम पांच नवकार मंत्र का ध्यान करने की प्रेरणा अवश्य देवें।

31— प्रतीक वाक्य 'णमो जिणाणं जिअभयाणं' :

यह सम्मेलन सर्व सहमति से 'नमो जिणाणं जिअभयाण' को अपने प्रतीक वाक्य के रूप में स्वीकार करता है।

32— वीरवाल प्रवृत्ति को मान्यता :

पण्डित श्री समीर मुनि जी द्वारा प्रवर्तित वीरवाल प्रवृत्ति को

श्रमण संघ मान्यता प्रदान करता है। सभी संत-साध्वी जी से सम्मेलन आग्रह करता है कि इस प्रवृत्ति को अपनी मर्यादा के अनुरूप बल दें।

33— प्रत्येक जैन नाम के आगे जोड़े 'जैन' :

जैन समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के साथ 'जैन' शब्द लगाएं। यदि गोत्र भी लगाएं तो भी जैन अवश्य लगाएं।

34— ध्यानप्रणाली का विकास :

समाज में जिन शासन सम्मत ध्यान प्रणाली को समुचित विकसित करने हेतु निम्न मुनिराजों की एक समिति निर्धारित की जाती है 1. युवाचार्य श्री शिव मुनि जी म., 2. श्री विजय मुनि जी 'पंजाबी', 3. श्री सुरेश मुनि जी 'मालवी', 4. श्री प्रवीण ऋषि जी, 5. श्री भुवनेश मुनि जी, 6. श्री राजेन्द्र मुनि जी 'रत्नेश'। साध्वी 1. श्री प्रियदर्शना जी, 2. श्री उमरावकुंवर जी 'अर्चना', 3. श्री मंजुश्री जी, 4. श्री प्रभा कुँवर जी।

ये मुनिगण एवं साध्वी जी जिनशासन सम्मत ध्यान प्रणालिका को सुनिश्चित कर आचार्य श्री की सम्मति से समाज में प्रचारित-प्रसारित करें।

35— आगम-शुद्ध पाठ अनुसंधान के लिए समिति :

आगम के विवादास्पद पाठों के शुद्ध अर्थ का अनुसंधान करने हेतु निम्न मुनिराजों की अन्वेषण समिति नियुक्त की जाती है—1. प्रवर्तक श्री उमेश मुनि जी म., 2. उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी म., 3. युवाचार्य डॉ. शिव मुनि जी म., 4. श्री प्रवीण ऋषि जी म.।

साध्वी जी की भी इसी हेतु एक अन्वेषण समिति नियुक्त की जाती है—1. साध्वी डॉ. मुक्तिप्रभा जी, 2. साध्वी श्री मंजूश्री जी, 3. साध्वी डॉ. प्रियदर्शना जी, 4. साध्वी श्री प्रभाकुंवर जी (खादी वाले), 5. साध्वी डॉ. धर्मशीला जी, 6. साध्वी श्री सन्मति जी, 7. साध्वी श्री शांतिसुधा जी।

36— चातुर्मास सूची संयोजन :

यह श्रमण सम्मेलन सर्वानुमति से चातुर्मास सूची के लिए निम्न प्रस्ताव क्रम रूप में पारित करता है, एकरूपता की दृष्टि से

चातुर्मास सूची में सर्वप्रथम आचार्य जी का चातुर्मास। तदून्तर प्रदेशों के क्रमशः नाम आएं। वहां लिखा जाए अमुक प्रदेश में चातुर्मास। (उस प्रदेश के पदाधिकारी का नाम पहले आयेगा तदून्तर अन्य चातुर्मास)। सर्वप्रथम में सभी पदाधिकारियों के क्रमशः चातुर्मास स्थल एवं नाम दिए जाएं।

37— एक त्रिकाल संवर साधना साधी जाए स्थानक में :

॥ त्रिकाल संवर-साधना ॥

प्रत्येक जैन द्वारा करणीय एक संक्षिप्त किन्तु अति उपयोगी 'त्रिकाल संवर-साधना' को यह सम्मेलन जैन समाज के सामने प्रस्तुत करता है।

यह स्वल्प समय में साध्य किन्तु अत्यन्त उपयोगी धर्म क्रिया है। यह प्रत्येक जैन के लिए अवश्य करणीय है।

यथासंभव त्रिकाल संवर में से एक संवर क्रिया धर्मस्थानक में साधी जाए।

संवर क्रिया का प्रारूप

समय प्रातः, मध्याह्न, सायं

त्याज्य सचित्त स्पर्श

साधन मुख पर मुख-वस्त्रिका या उत्तरासन

स्थान निर्बाध स्थल

दिशा पूर्व या उत्तर दिशि सम्मुख।

विधि (प्रक्रिया)

1—तीन बार तिक्खुत्तों के पाठ से गुरु वन्दन

2—सुखासन से आसीन होकर एक णमुक्कार मंत्र का उच्चारण

3—संवर साधना पाठ बोल कर संवर प्रतिज्ञा ली जाए।

संवर प्रतिज्ञा पाठ

करेमि भंते ! संवरं पंचासवाजुत्तं सावज्जंजोगं पच्चक्खामि णमुक्कार पज्जंत्तं एगविहं एगविहेण, ण करेमि कायसा तस्स भंत्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि।

4—चार लोगस्स का ध्यान

5—'नमो अरिहंताणं' बोल कर ध्यान पूर्ति करना

6—एक लोगस्स प्रकट बोलना

7—एक णमुक्कार मंत्र प्रकट बोलना।

॥ क्रिया सम्पन्न ॥

38— चारित्रिक मूल्य स्थापना पर बल :

लोक जीवन में व्याप्त विकृतियों का विष न केवल सामान्य जन-जीवन को दूषित करता है अपितु सामाजिक-राष्ट्रीय सुव्यवस्थाओं को भी भ्रष्ट और छिन्न-भिन्न करके रख देता है।

चारित्रिक मूल्यों का गिरना किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा पतन है। ...और दुख का विषय है कि भारत में यह पतन निरन्तर घटित होता चला जा रहा है।

यह मुनि सम्मेलन राष्ट्र में गिरते चारित्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए गहरा चिन्तित है।

विस्तृत चिन्तन-मनन के बाद यह मुनि सम्मेलन राष्ट्र के समक्ष जन-कल्याण योजना को चारित्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना के आधार तत्व के रूप में प्रस्तुत करता है।

सम्प्रदाय, वर्ग, क्षेत्र आदि के सभी परिधियों से परे मानवता को परिभाषित करने वाली यह योजना मानव मात्र के लिए चिन्तनीय एवं अनुकरणीय है, ऐसा मुनि सम्मेलन का अभिमत है।

यह मुनि सम्मेलन श्रमणसंघीय समस्त संत-सती समुदाय से आग्रह करता है कि वे राष्ट्र और विश्व में नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना के लक्ष्य को अपने सामने रखकर उस दिशा में निरन्तर प्रयत्न करें।

यह जन-कल्याण योजना के आधारभूत तत्व हैं जो विश्व जन-मंगल का लक्ष्य लेकर चलने वाले परमोपकारी सज्जनों को अपनी ध्येय प्राप्ति में सहयोग स्वरूप सिद्ध हो सकेगा।

प्रस्तुत योजना में 8 स्वर्णसूत्र तथा 31 नियम हैं—

॥ जन कल्याण योजना ॥

॥ स्वर्ण सूत्र ॥

1. करुणा सूत्र :

1—किसी निरपराध पशु-पक्षी या मानव को पीड़ा नहीं पहुंचाना।

2—मानवों व पशुओं पर सीमा से अधिक वजन नहीं लादना।

3—किसी के भोजन में व्यवधान नहीं डालना।

(अपवाद स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी के अपथ्य भोजन को रोकना बाधित नहीं।)

4—शिकार, आखेट नहीं खेलना।

5—जो पशु-पक्षी या मानव किसी तरह अपराधी भी हो, उसे अपराध से अधिक दण्ड नहीं देना। अंग-भंग या चर्म भंग हो, ऐसा प्रहार नहीं करना।

6—पीड़ित प्राणी की सेवा करने में यथासंभव औषध, भोजन, पानी आदि उपलब्ध कराने में अपने जीवन की कृतार्थता समझना। कम से कम एक माह में एक दिन पीड़ितों की सेवा में अर्पण करना या किसी हॉस्पीटल में जाकर अपने खर्च से सेवा देना।

2. सत्य सूत्र :

1—किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसे झूठ से अपने को बचाना।

2—किसी पर झूठा कलंक लगाने से बचना।

3—किसी की गुप्त और रहस्यमयी बात को प्रकट नहीं करना।

4—झूठी साक्षी नहीं देना, झूठे लेख नहीं लिखना, नकली बहियां नहीं बनाना।

3. अस्तेय सूत्र :

1—किसी का नुकसान हो, ऐसी चोरी नहीं करना।

(नोट : सरकारी टैक्स चुराना भी चोरी है।)

2—जानबूझकर चोरी का माल नहीं लेना और चोरों को कोई मदद नहीं करना।

3—खोटे नाप-तोल नहीं रखना।

4—शुद्ध वस्तु में घटिया वस्तु की मिलावट नहीं करना।

4. ब्रह्मचर्य सूत्र :

1—अपनी विवाहिता स्त्री से भिन्न अन्य स्त्रियों के प्रति माता और बहन जैसी पवित्र भावना का सर्जन करना।

5. अपरिग्रह सूत्र :

1—अनैतिक व्यवसाय कर धन-संग्रह नहीं करना।

2—अपनी आय के शुद्ध लाभांश में से कुछ प्रतिशत राशि राष्ट्रसेवा या पीड़ित मानव की सेवा में व्यय करना।

6. सत्त्व-शुद्धि सूत्र :

1—मद्य, मांस का सेवन नहीं करना।

2—भांग, गांजा, चरस, तमाल (तमाखू) का सेवन नहीं करना।

3—जुआ सट्टा नहीं खेलना।

7. राष्ट्र हित सूत्र :

1—रिश्वत (लेना व देना, इन दोनों पापों) से बचना।

2—चुनावों में अनैतिक हथकंडे नहीं अपनाना।

3—विभिन्न धर्म और सम्प्रदायों तथा राजनैतिक विचारधाराओं की विभिन्न पार्टियों के प्रति सहिष्णु रहना। सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना। अन्य राष्ट्र के प्रति सहिष्णु रहना।

4—किसी भी तरह की तोड़-फोड़, आगजनी, लूटपाट में भाग नहीं लेना।

5—अपनी मांग मनवाने के लिए हिंसा के मार्ग पर नहीं चलना।

6—शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, न्यायादि राष्ट्रीय विभागों में नियमों का पालन करना तथा राष्ट्रीय अनुशासन के अंतर्गत जीना।

7. स्व-विवाह या अपनी संतान के विवाह के प्रसंग पर तिलक, दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना। विवाहोपरान्त कन्या को उसके माता-

पिता तथा स्वजनों द्वारा दिए गए उपहार का किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना।

8—प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए मारपीट, हिंसा, युद्ध के स्थान पर बातचीत—समन्वय का मार्ग स्वीकार करना।

9—अस्पृश्यता और जातिवाद के स्थान पर मानव की गरिमा को महत्व देना।

8. आत्म-हित सूत्र :

1—प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट किसी सत्साहित्य का 'स्वाध्याय' करना अथवा कोई प्रार्थना, भजन, स्तवन करना।

2—प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट एकान्त में ध्यान करना और अपने हृदय को उत्तम विचारों से परिपूर्ण बना देना तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए मंगल कामना करना।

(8 सूत्र तथा 31 नियमों से परिपूर्ण यह जन कल्याण योजना विश्व के मानव मात्र को समर्पित है।)

विश्व के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक को प्रस्तुत योजना का सुसेवी बनकर घर-घर में प्रचार करना चाहिए।

प्रस्तुत योजना का आराधक (स्वीकार करने वाला) 'गुणसेवी' कहलाएगा। प्रत्येक गुणसेवी के लिए सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। किन्तु कोई व्यक्ति इनमें से कुछ नियमों को छोड़कर कुछ नियमों को स्वीकार करे तो वह कर सकेगा किन्तु वह गुणसेवी न कहलाकर 'गुणरागी' कहलाएगा।

39— जैन धर्म दर्शन परिचयार्थ एक प्रामाणिक प्रतिनिधि ग्रन्थ की आवश्यकता पर बल :

जैन धर्म, दर्शन के परिचयार्थ एक प्रामाणिक प्रतिनिधि ग्रन्थ के रूप में 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' परिशिष्ट युक्त स्वीकार किया जाता है।

निर्ग्रन्थ प्रवचन के साथ परिशिष्ट नियोजित करने का कार्य 'उपाध्याय मण्डल' करेगा।

परिशिष्ट नियोजन हेतु जैनागम तत्वार्थ समन्वय सूत्र मुख्य आधारभूत ग्रन्थ रहेगा।

40— तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड (अहमदनगर) की परीक्षाओं को मान्यता :

यह श्रमण सम्मेलन विद्यार्थी संत-सती जी एवं विरक्त आत्माओं के अध्ययन क्रम हेतु ति. र. स्था. जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड (अहमदनगर) को परीक्षा बोर्ड के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

सभी ज्ञानार्थी संत-सती जी एवं मुमुक्षुओं से सम्मेलन का आग्रह एवं निर्देशन है कि वे उक्त बोर्ड से परीक्षाएं देकर अपने अध्ययन की श्री वृद्धि करें।

सम्मेलन बोर्ड अधिकारियों से भी यह संकेत करता है कि बोर्ड के पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करने का यत्न करें, साथ ही अन्यान्य औचित्य का भी विधिवत् निर्माण करें।

41— नीमच के निर्णय सागर पंचांग को मान्यता :

श्रमणसंघ ने अपने पर्वादिक का निर्णय करने, तिथि और समय का निर्धारण करने हेतु नीमच से प्रकाशित होने वाले निर्णय सागर पंचांग को मान्य किया है। साथ ही प्रवर्तक श्री रूपचंद जी म. के संयोजकत्व में तिथि निणार्यक समिति का सम्मेलन ने पुनर्गठन कर लिया है। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं—

उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म. सा.

प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी म.सा.

प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म.सा.

श्रद्धेय श्री रूपेन्द्र मुनि जी म.सा.

उप-प्रवर्तक श्री चन्दन मुनिजी म.सा.

सलाहकार श्री कुन्दन ऋषिजी म.सा.।

42— दैनिक प्रार्थना के लिए व्यवस्थित क्रम निर्धारित :

श्रमणसंघ सम्मेलन ने दैनिक (सामूहिक) प्रार्थना के लिए एक व्यवस्थित क्रम निश्चित किया है।

चतुर्विध संघ निम्नोक्त क्रम से प्रार्थना लाभ उठाएं—

1—णमुक्कार महामंत्र

2—जो भगवती त्रिशला तनय...

3—तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहरायानाथ...

4—शिवमस्तु सर्वजगत...

5—श्री आदि जिनन्दं...

6—अरिहंत जय जय...

7—ओम गुरु ओम गुरु...

8—श्रद्धा सुमनाञ्जली...

9—गुरुदेव तुम्हें नमस्कार...

10—मंगल पाठ।

(नोट : उपर्युक्त क्रमानुसार प्रार्थना पाठ कुछ ही दिनों में प्रचारित कर दिये जायेंगे।)

श्रमण संघीय मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि प्रार्थना

महावीर वन्दना

(लय :— यदि भला किसी का...। उठ भोर भई टुक जाग...)

श्रद्धा सुमनाञ्जली अर्पित हो, महावीर प्रभु के चरणों में।
तन-मन-जीवन आनन्दित हो, महावीर प्रभु के चरणों में॥
हो वीतराग का भाव-स्पर्श, परिवर्तित हो जीवन सारा।
कथनी करणी का साम्ययोग, रच पाए जीवन की धारा॥
मोह मेरुदण्ड अब खण्डित हो, महावीर प्रभु के चरणों में...
जीवन की वीणा पर करुणा की मधुर-मधुर झंकार चले।
मानव-मानव में भेद नहीं, पग-पग समता के कुसुम खिले॥
जीवन सारा सत्यान्वित हो, महावीर प्रभु के चरणों में...
अपने पर अपना अनुशासन, यह संयम की सच्ची भाषा।
यह राष्ट्र विश्व मंगलमय हो, सेवा की सुन्दर परिभाषा॥
संयम-सेवा प्रवर्तित हो, महावीर प्रभु के चरणों में...
जिन शासन यह मंगलमय है, यह श्रमणसंघ मंगलमय है।
मंगलमय आगम सूत्र अर्थ, जिन पथ साधन मंगलमय है॥
अमंगल सब कुछ वर्जित हो, महावीर प्रभु के चरणों में...

नोट 'सामूहिक प्रार्थना' पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुकी है।

आचार्य प्रवर उपाचार्य प्रवर, उवज्झाय प्रवर्तक अनुशास्ता
शासन शास्ता के प्रति रहे, दृढ़ प्रीति पूर्ण सच्ची आस्था ॥
'मुनि कुमुद' संघ संवर्धित हो, महावीर प्रभु के चरणों में...

(संसूचन—जहां 'उपाचार्य प्रवर' है वहां दुबारा बोलते समय 'युवाचार्य प्रवर' बोला जाये। इस तरह दोनों महापुरुषों के प्रति श्रद्धार्पण हो जायेगा।)

43— धर्म जागरिका एवं कुटुम्ब जागरिका के पुनः प्रचार पर बल :

जिन आगमों में सद्‌गृहस्थों के योग्य करणीय विधियों में धर्म जागरिका, कुटुम्बजागरिका जैसी उदात्त विधियों के उल्लेख आये हैं। तत्कालीन सद्‌गृहस्थ उन विधियों का अनुसरण नियमित रूप से किया करते थे। फलतः उनका गृहस्थ जीवन धर्म एवं नैतिकता के अनुरूप प्रचलित रहता था।

यह श्रमण सम्मेलन यह अनुभव करता है कि ये विधियां समाज में पुनः स्थापित हों। इस हेतु धर्म जागरिका एवं कुटुम्ब जागरिका का एक संक्षिप्त प्रारूप यह सम्मेलन स्वीकार करता है और समाज को प्रेरित करता है कि वह इन विधियों का अनुगमन करें, साथ ही श्रमण संघीय संत-सती जी इन विधियों को प्रचारित करने में अपना योगदान दें जिससे यह कार्यक्रम श्रमणसंघ का रचनात्मक अभियान के रूप में सिद्ध हो सके।

44— आत्म प्रशंसा/प्रचार का निषेध :

श्रमण संघीय मुनिराज एवं महासती जी के सान्निध्य में जो भी आयोजन होंगे, उनका वीडियो कैसेट नहीं लिया जा सकेगा। सरकारी समाचार एजेन्सियां समाचार संकलन की दृष्टि से लें तो बात अलग। ❐

आभार

- 45. (क) प्रस्तुत संत सम्मेलन में महामहिम आचार्य प्रवर की उपस्थिति और उनका मार्ग-दर्शन संघ के लिए वरदान रूप है। अतः यह संत सम्मेलन सर्वानुमति से आचार्य प्रवर के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा व्यक्त करता है।

(ख) आचार्य सम्राट के आदेश को शिरोधार्य कर भीषण ग्रीष्म-ऋतु में लम्बा विहार कर संघ और संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए जो संत-सती यहां पर पधारे हैं उन्हें आचार्य प्रवर हार्दिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि संघ और संगठन के लिए वे सदा इसी प्रकार का आदर्श उपस्थित करेंगे।

(ग) श्री सौभाग्य मुनिजी 'कुमुद' ने समाचारी आदि को तैयार करने में जो श्रम किया वह प्रशंसनीय है।

(घ) आशीष मुनिजी और भुवनेश मुनिजी ने जो रिपोर्ट लिखने में निष्ठा का परिचय दिया एतदर्थ वे साधुवाद के पात्र हैं।

(ङ) शांतिरक्षक श्री सुमन मुनिजी ने सम्मेलन की कार्यवाही सम्यक् रूप से सम्पादन करने के लिए जो कठिन श्रम किया है एतदर्थ उनके प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित किया जाता है।

नोट— यह सूचन किया जाता है कि जो प्रस्ताव यहां पर पारित नहीं हुए हैं किन्तु पूर्व सम्मेलनों में पारित हो चुके हैं, वे सभी प्रस्ताव लागू रहेंगे।

●●●

॥ महाव्रत एवं समिति प्रकरण ॥

प्रथम महाव्रत रक्षार्थ समाचारी

● पृथ्वीकाय आदि षट्काय प्रकरण के उल्लिखित नियमों का उपयोगपूर्वक पालन करना।

द्वितीय महाव्रत रक्षार्थ समाचारी

● आत्म-प्रशंसा एवं पर निन्दात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। हास्यादि वश भी असत्य भाषण न करें।

तृतीय महाव्रत रक्षार्थ समाचारी

● गृहस्थ की आज्ञा बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करें। परस्पर साधुओं के भंडोपकरण भी आज्ञा से ही उपयोग करें।

● लाया हुआ आहार गुरु आदि बड़ों को दिखाकर एवं सभी को वह आहार करने की प्रार्थना करें।[1] फिर आहार ग्रहण करें। स्थानकों में, उपाश्रयों में पड़े भंडोपकरण, पुस्तक आदि भी बिना आज्ञा के संत-सती ग्रहण नहीं करें।

चतुर्थ महाव्रत रक्षार्थ समाचारी

● साधु बहनों से एवं साध्वियाँ श्रावकों से अधिक परिचय नहीं रखें।

● साधुजी के स्थान पर बहनें तथा सतीजी के स्थान पर भाई प्रश्नोत्तर एवं ज्ञान-लाभ प्राप्त करने के लिए दिन में दो बजे से प्रतिलेखन समय से अधिक न ठहरें।

● सिंघाड़े के अग्रगण्य (प्रमुख) मुनि के सामने बहनें बैठकर ज्ञान ले सकती हैं। अन्य मुनियों से पूछना हो तो खड़े-खड़े पूछ सकती हैं।

● ऐसा ही भाई साध्वीजी के सामने व्यवहार करें। अशोभन पत्र-पत्रिका, उपन्यास आदि साधु-साध्वी जी न पढ़ें, स्थानक में भी न रखें।

---

1. साहु हुज्जामि तारिओ.....दशवै. 5।

● साधु-साध्वी परस्पर अशोभन भाषा का प्रयोग न करें।

● अशोभन पत्र न लिख, छन्द, कविता, गीत, गद्य-पद्य आदि भी ऐसे न लिखें जिसका अश्लील अर्थ निकलता हो।

● रात्रि को साधुजी के स्थान पर बहनें प्रवेश न करें और साध्वीजी के स्थान पर भाई प्रवेश न करें।

● ऐसा स्थान जहां चारों ओर दूर-दूर तक मात्र दीवार हो और बहुत स्थान छोड़कर भवन हो तो उस भवन को ही मर्यादा का आधार बनाया जाये, बाउन्ड्री को नहीं।

पांचवें महाव्रत रक्षार्थ समाचारी

● गांव में, नगर में या अरण्य में कहीं भी अल्प या बहुत सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त किसी भी परिग्रह का न स्वयं ग्रहण करें, न दूसरों से ग्रहण करवायें और न परिग्रह ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करें।

● वस्त्र, पात्र, भंडोपकरण प्रभृति के संबंध में अन्यत्र उल्लेख किया गया है।

ईर्यासमिति रक्षार्थ समाचारी

● मार्ग में चलते समय बात करना नहीं। रात्रि को प्रमार्जन करके चलना। धर्मकथा आदि के निमित्त स्थानक से बाहर जाना पड़े तो 100 कदम से अधिक दूरी पर न जाएं। स्थानक भवन से दूर यदि कभी धर्मकथा करनी हो तो शाम को वहां चले जायें तथा रात्रि में वहीं रहें। किन्तु रात में पुनः स्थानक पर आना नहीं। विहारादि के पश्चात् स्थान पर पहुंचने पर ईर्यावही का ध्यान करें।

भाषासमिति रक्षार्थ समाचारी

● रात्रि को धर्मचर्चा, प्रवचन एक प्रहर रात्रि के भीतर पूर्ण कर देना चाहिए।

● कठोर, कर्कश, कलहवर्धक, मर्मकारी, निश्चय परक भाषा का प्रयोग संत-सती वार्तालाप में न करें। और न धर्मकथा में भी करें। किसी पर कलंक व आरोप न लगाएं एवं किसी की गुप्त बात प्रकट न करें।

● साधु-साध्वीजी किसी को शापदायी शब्द न बोलें तथा 'तेरा सत्यानाश हो' ऐसे कु-वचन भी न बोले।

एषणा समिति रक्षार्थ समाचारी

● आहार पानी प्रकरण में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

आदान भंडमत्त-निक्षेपणा समिति रक्षार्थ समाचारी

● वस्त्र, पात्र, पाट-पाटला स्थानक प्रकरण में दिये गये निर्देशों का पालन करें।

उच्चार-प्रस्रवण-श्लेष्म-सिंघाण-जल्ल परिष्ठापनिका समिति-रक्षार्थ समाचारी

● अशुद्ध वस्तु मल-मूत्र आदि पदार्थ जहां गृहस्थों का या सरकार का निषेध हो वहां पर न परठे।

● स्थानक भवन में बने बाड़ों में, छतों पर यदि गृहस्थ की आज्ञा हो तो परठे।

बंबई आदि बड़े शहरों में अनेक स्थानों पर जहां पर बाड़े आदि नहीं हैं, वहां परठने की बड़े तकलीफ हैं, वहां विवेक से परठे, जिससे लोक निन्दा न हो।

● अयोग्य, प्रतिकूल एवं सदोष आहार लेना नहीं। यदि प्रमादवश आ जाये तो सविवेक परठना।

● मल-मूत्र, पानी आदि कोई भी पदार्थ ऊपर से फेंके नहीं।

● पानी आदि पदार्थ नाली गटर आदि में डालें नहीं। किन्तु निर्वद्य (निर्दोष) स्थान पर विवेक से परठे।

आहार पानी

● आहार पानी के उत्सर्ग सूत्र स्पष्ट ही है। 42 दोष टालकर ग्रहण करना एवं पांच दोष टालकर सेवन करना।

● बीमार, अशक्त, ग्लान, वृद्ध साधु-साध्वियों के सेवार्थ आधा कर्मी औद्देशिक आहार लेना पड़े तो वे ही संत-सती उसका उपयोग करें, अन्य संत-सती उपयोग में न लें। ऐसे दोष का प्रायश्चित आवश्यक होगा।

● दूरवर्ती प्रांतों में जहां मार्ग में बहुत ही दूरी तक शाकाहारी या आहार विवेकी गृहस्थों का आवास-निवास न हो, उस मार्ग को पार करते हुए साधु-साध्वी जी की सेवा में आये हुए गृहस्थों के निमित्त लाये हुए टिफिन में से आहार ग्रहण करने की छूट है अथवा गृहस्थ जो अपने लिये

भोजन बनाये, उसमें से इतना-सा आहार ग्रहण करें जो मार्ग पार करने में शरीर को सहयोग दे सके, आहार लेना योग्य है किन्तु आहार प्राप्त होने योग्य स्थल पर पहुंचकर उसका प्रायश्चित लेना भी अनिवार्य है। यह स्मरण रहे कि टिफिन अथवा साथ के गृहस्थों द्वारा बनाये आहार को अपवाद स्वरूप ही ग्रहण किया जाये, उसे नित्यक्रम का रूप न दिया जाये।

● गृहस्थों के द्वारा तैयार किया हुआ धोवन पानी या गरम पानी तभी लिया जाये जब वे गृहस्थ जो सेवा में रहते हुए धोवन या गरम पानी पीने की प्रतिज्ञा में हों। किन्तु यह अपवाद स्वरूप ही समझना चाहिए।

● औषध और धोवन पानी के अलावा कोई वस्तु चखकर न ली जाये।

● पके हुए फल जिनके बीज निकाल दिये गये हों, ग्रहण करने में एतराज नहीं, किन्तु कच्चे फल न लिये जायें। पके केले सचित्त की मान्यता नहीं, अतः लेने में दोष नहीं।

● छोटे अंगूर की अचित्त की मान्यता है। बड़े अंगूर जिनमें बीज होते हैं, लेने का निषेध है।

● दाख, बदाम की गिरी, काजू अचित्त ही हैं, अतः लेने में दोष नहीं।

● दाड़िम के दाने सचित्त हैं, अतः कतई नहीं लिये जायें। टमाटर पके हुए को काटकर दे तो भी नहीं लेना, उसमें बीज रहते हैं। आग पर चढ़े हों तो लेने में आपत्ति नहीं।

● अमरूद के फांक नहीं ली जाये क्योंकि बीज रहते हैं। हां यदि आग पर चढ़े हों तो लेने में आपत्ति नहीं।

● प्रथम प्रहर का लाया हुआ आहार-पानी, चौथे प्रहर में सेवन नहीं करना। पडिहारी वस्तु औषध आदि आज्ञा लेकर सेवन करने में दोष नहीं।

● जिस घर से जिस दिन आहार लिया हो उस घर से दूसरे दिन आहार नहीं लेना। स्थविर, अशक्त, बीमार एवं तपस्वी के लिए ग्रहण करना अत्यावश्यक हो तो बात अलग है तथा यदि दूसरे दिन विहार हो रहा हो तो विहार के समय आहार पानी लेने में आपत्ति नहीं है।

गृहस्थ के यहां से चाय, दूध, रोटी, शाक, छाछ, पानी के

अलावा बिना कारण अन्य वस्तु स्वाद पूर्ति हेतु जांचना नहीं, बिना मांगे बहराएं और लेने का अवसर हो तो लेने में हरकत नहीं। रोगी, ग्लान, तपस्वी, नव-दीक्षित वृद्ध के लिए पथ्य या आवश्यक पदार्थ जांचना पड़े तो मांगकर लेने में बाधा नहीं।

● रायते आदि में डाली हुई कच्ची सब्जी मिश्र होती है, अतः न ली जाये। हां, यदि आग पर चढ़ी हो तो लेने में हरकत नहीं।

● केवल सम्भारा (सलाद) बनाया हुआ हो यानि सब्जियां और फल कच्चे काटकर उन पर मात्र नमक मिर्ची छिड़की हुई हो तो ग्रहण नहीं करना क्योंकि वह मिश्र है।

● नींबू, मिर्ची, आम आदि का अचार डाले जाने के तीन दिन बाद लिया जा सकता है, पहले नहीं।

● शय्यातर का आहार पानी काम में न लें।

● शय्यातर की व्याख्या रात्रि प्रतिक्रमण से लेकर पुनः आज्ञा वापस लौटाने तक शय्यातर माना है। आज्ञा लौटाने के पश्चात् अगर उसी गांव में रहना हो तो आठ प्रहर तक शय्यातर के घर से कुछ भी ग्रहण न करें और यदि उसी गांव में विहार करने जैसी स्थिति हो तो शय्यातरत्व नहीं रहता।[1]

● आहार पानी लेकर उपाश्रय में प्रवेश करते हुए निस्सहि-निस्सहि कहे और वह आहार गुर्वादिक के आगे रखें। 'ईर्यावही पडिक्कमिउं गोयरग्ग चरिया' का पाठ बोलें, मांडला बिछाकर 'धम्मो मंगलमुक्किट्ठं' की 5 गाथा बोलें या एक 'लोगस्स' बोलें, फिर समभावपूर्वक आहार ग्रहण करें। आहार लेते समय बोलें नहीं। यदि बोलना पड़े तो यत्नपूर्वक बोलें।

● जैनों के साथ-साथ उन सभी कुलों से आहार लिया जा सकता है जिनके भोजन आदि बनाने के पात्र मांसादि से अशुद्ध नहीं होते हों।[2]

● जिसने जैन धर्म स्वीकार किया हो और जैन विधि से आचार

---

1. वृ. सा. स. सादड़ी के प्रस्तावों से उद्धृत।
2. साधु समाचारी ले. पं. मुनिश्री गब्बूलाल जी म. स. हि. श्रा. मं. मंदसौर से प्रकाशित से।

विचार पालने की जिनकी लोकप्रतीति बन गई हो, ऐसे कुलों से आहार लिया जा सकता है।[1]

● बड़े जीमनवार में जाकर आहार लेना नहीं। स्थानक में दया के लिए आये टिफिन में से आहार नहीं लेना।

● आयम्बिल खाते में आयम्बिल हेतु आहार लेने में बाधा नहीं।

● चूलिया वाले किवाड़ खोलकर/खुलवाकर आहार नहीं लें।

● नगर सीमा से दो कोस उपरान्त आहार-पानी ले जाकर सेवन नहीं करें।

● एक दिन पहले का अचित्त जल धोवन आदि तथा वर्ण, गंध, रस, चलित आहार ग्रहण नहीं करना।

● साधु-साध्वीजी को 5 विगय एक दिन में सेवन नहीं करना।

● साधु-साध्वीजी बाहर गांव से दर्शनार्थी आए हुए गृहस्थियों से आहार ले सकते हैं इसमें दिनों की मर्यादा की आवश्यकता नहीं।[2]

● सामान्य आहार परठकर सरस आहार की गवेषणा नहीं करना।

पृथ्वीकाय संबंधी विवेक प्रकरण

● पृथ्वी खुदवाने या पत्थर तोड़ने, तुड़वाने का कार्य करना नहीं।

● भवन बनाने में अपना निर्देशन नहीं देना।

● भवनादि का नक्शा पास करना नहीं।

● किसी भवन का शिलान्यास/उद्घाटन मुनिराज नहीं करें। यदि कहीं शिलान्यास हो रहा हो तो त्याग-तप साधना का उपदेश दिया जा सकता है पर सान्निध्यता में नामोल्लेख न हो।

● किसी भवन में आवश्यक परिवर्तन तोड़-फोड़ करने का आदेश-उपदेश न दें।

अप्काय प्रकरण

● कच्चे पानी से कोई प्रवृत्ति हो, उसकी प्रेरणा न दें। सचित्त पानी को स्वयं स्पर्श नहीं करें।

---

1. टिप्पणी दो पर ही देखें।
2. वृ. सा. स. सादड़ी के प्रस्तावों से उद्धृत।

● नल का पानी फिल्टर होकर आये तो भी वह कच्चा ही है। अतः अग्राह्य है।

● राख, चूना तथा अन्य पदार्थ जैसे लवंग से गृहस्थों ने अपने लिए बनाया हुआ पानी अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् अचित हो जाता है, अतः वह प्राशुक पानी ऐषणीय है।

● दूरवर्ती विहार में जहां जैनों के घर उपलब्ध नहीं हैं, वहां साथ सेवा में रहने वाले गृहस्थ अपने लिए अचित जल तैयार करें तो उसमें से संत-सती ले सकेंगे। बशर्ते वे सभी गृहस्थ भी उचित जल का ही प्रयोग करें।

● सामान्य तौर पर गृहस्थों के घरों से ही अचित जल और धोवन पानी, गरम पानी लाना चाहिए।

● आयम्बिल खाते चलते हैं, वहां गरम पानी आयम्बिल वालों के लिए तैयार होता है उसमें से साधु-साध्वी जी ग्रहण करें तो अयोग्य नहीं है।

● वर्षा का पानी, ओले सचित्त हैं अतः अग्राह्य हैं।

● कुहरा, धुंअर में सचित्त अपकाय की सघनता रहती है। अतः उसमें विहार-गोचरी आदि क्रिया न की जाये।

● वर्षा आदि हो रही हो तो शौचादि निवृत्ति हेतु सिर पर कपड़ा ढंककर बाहर जाया जा सकता है किन्तु आहार आदि लेने हेतु बिलकुल बाहर न जाया जाये।

तेजस्काय प्रकरण

● अग्निस्पर्श, प्रज्ज्वलन, प्रशमन, बुझाना आदि न किया जाये, न कराया जाए।

● सेक करने के लिए ईंट या अन्य पदार्थ जलती अग्नि के निकट रखकर गरम किया हुआ सेक के लिए लेने का व्यवहार है।

● रात्रि में जहां निवास हो, वहां दीपक, लालटेन, गैसबत्ती, बिजली आदि लगाने की प्रेरणा न दी जाए।

● गृहस्थ अपनी सुविधा हेतु लाइट मात्र मार्ग विवेक हेतु लगा दे तो एतराज नहीं, साधु-साध्वी लगवाएं नहीं।

● इलेक्ट्रिक करन्ट की सचित्तता-अचित्तता संदिग्ध है। अतः करन्ट से लगने वाले बल्ब, ट्यूब लाइट आदि को स्वयं चालू न करें, न करवाएं। गृहस्थ अपनी सुविधा हेतु प्रयोग करे तो साधु-साध्वी तटस्थ रहे, प्रेरणा न दे। बत्ती, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि त्रस जीवों की हिंसा के साधन भी हैं। इनके प्रभाव से मच्छर, परवाने मरते देखे गये हैं। इन जीवों का भक्षण करने वाली छिपकलियां आदि भी उस अवसर पर इनकी घात किया करती हैं। अतः गृहस्थ अपनी सुविधा के लिए भी बत्ती आदि का उपयोग करे तो उनको विवेक का उपदेश देकर उनमें अहिंसा के भाव जगायें और जीव हिंसा से निवृत्त करने का प्रयत्न करें।

● गृहस्थ अपने लिए बत्ती, ट्यूब लाइट आदि चालू करें तो उसमें साधु-साध्वी जी अपनी प्रतिलेखना आदि कार्य न करें।

● लाइट चालू करो, बन्द करो, आदि आदेश न दें।

● जिस मकान में अनेक दरारें, बिल आदि हों, अणवापरा हो प्रथम तो ऐसे मकान में ठहरना नहीं, कदाचित् अपवाद में ठहरना पड़े तो सर्पादि की संभावना लक्षित होने की स्थिति में गृहस्थ दीपक, बत्ती, लाइट का प्रयोग रखे तो मुनिराज-साध्वी जी एतराज न करें।

● रात्रि प्रवचन में गृहस्थ अपनी सुविधा के लिए जैसे दरी, टेन्ट आदि का प्रबन्ध करते हैं, उस तरह लाइट का प्रबन्ध करे तो प्रवचनकर्ता संत-सती इस प्रयोग को गृहस्थ कृत मानकर वहां प्रवचन कर सकते हैं। प्रेरणा देकर लाइट का प्रयोग करवाएं नहीं।

● पंखा भी करन्ट से चलता है और इससे वायुकाय और त्रसकाय तक की विराधना होती है। अतः संत-सती अपने स्थानों में पंखे का प्रयोग करे नहीं, कराए नहीं।

● बिजली का सेक ऑपरेशन में या परीक्षण में होने वाले करन्ट के प्रयोग को आपवादिक मानकर उसका प्रायश्चित लेकर शुद्धि करें।

● करन्ट के वायर का स्पर्श न करें।

● घर में गृहस्थ बत्ती लगाकर आहार बहराये तो घर असूझता मानना चाहिए।

● पहले से बत्ती जल रही हो, उस प्रकाश में आहार लेने में दोष नहीं।

● लिफ्ट में करन्ट का प्रयोग होता है, अतः उसका उपयोग न किया जाये।

● रेडियो, टी.वी. आदि भी करन्ट से चलते हैं, अतः संत-सती न सुनें, न देखें।

● फोटो जो कैमरे से लिए जाते हैं, उनमें भी करन्ट का प्रयोग होता है। अतः एक्टिंग देकर फोटो खिंचवाना नहीं। फोटो लेने की प्रेरणा न दें, न अपनी विशेष मुद्रा बनायें। यदि गृहस्थ अपनी भावनानुसार फोटो ले तो पर-कृत मानकर संत-सती सहज रहे।

● अपने हाथ से फोटो बांटें नहीं।

● अपने स्थानक की सीमा में फोटो बिक्री करने को मनाई करें।

● फोटो की वन्दना, पूजा-अर्चा का उपदेश न दें। उनकी विशेष स्थापना की प्रेरणा भी न दें।

● अपने तथा अपने पूर्वजों के फोटो के लॉकेट आदि स्वयं बनाने की प्रेरणा न दें, न अपने हाथ से किसी को दें।

● गृहस्थ के घर संत-सती को विशेष कारण से यदि खड़ा रहना पड़े और रेडियो, टी.वी. चल रहे हों तो प्रयत्नपूर्वक न सुनें, न देखें। अन्य स्थान के अभाव में खड़ा रहना पड़े तो निरपेक्ष भाव से रहें।

● विशेष परिस्थिति में ध्वनिवर्धक का प्रयोग करना पड़े तो प्रायश्चित स्वरूप 250 गाथा की स्वाध्याय करें।

वायुकाय प्रकरण

● स्वयं पंखा झलें नहीं, झलावें नहीं।

● चुटकी व ताली न बजाएं।

● अपने प्रवचनों में ताली न बजने दें।

● करंट से चलने वाले पंखों का विवरण तेजस्काय प्रकरण में आ गया।

● गीले कपड़ों को प्रयत्नपूर्वक झटका न दें, दीवाल के सहारे डोरी पर या दीवाल पर सुखाने पर किंचित सहज हिले तो उसका एतराज नहीं, फट-फट की आवाज हो, ऐसी हवा हो तो वस्त्र हटा देना चाहिए, उसमें वायुकाय की विराधना होती है।

● गृहस्थ के घर पर पंखा चल रहा हो तो संत-सती प्रयत्नपूर्वक वहां खड़े रहकर हवा लेने की चेष्टा न करें। स्थानाभाव में वहां अल्पकाल भी खड़ा रहना पड़े तो निरपेक्ष भाव से रहें।

● मुखवस्त्रिका मुंह पर लगी रहती है। अतः सामान्यतया यत्ना तो होती ही है किन्तु आहारादि करते हुए भी यदि कुछ बोलना पड़े तो यत्नापूर्वक ही बोलें। खुले मुंह नहीं बोलें।

वनस्पतिकाय प्रकरण

● सचित्त वनस्पति का स्पर्श, काटन, छेदन, भेदन न करें, न ही कराएं, न करते हुए का अनुमोदन करें। काटन, छेदन, भेदन की प्रेरणा भी न दें।

● मार्ग में, अनजाने में, स्पर्श हो जाए तो मिथ्या दुष्कृत देना और शेष मार्ग में सावधानी रखना।

● सभी कच्चे फल पूरे सचित्त हैं, अतः उनके किसी अंश का उपयोग करना नहीं।

● पके फल में बीज सचित्त हैं। अतः बीज रहित पके फलों का भी उपयोग करना नहीं।

● टमाटर, अमरूद, दाड़िम के बीज आग पर न चढ़े हों तो सचित्त समझना। इनका मिक्चर आग पर चढ़ा हुआ हो तो ग्राह्य हो सकता है।

● फलों से निकाला गया रस अचित्त है।

● छोटे अंगूर यदि डाली से लगे हों और डाली हरी हो तो डाली सचित्त समझकर अंगूर असूझते समझना।

● घेघरा, निटो, भुट्टे, धान की बालियां आदि सिके हुए भी पूरे नहीं लेना, दाने सिके हुए ग्रहण किए जा सकते हैं।

● केला बीज रहित फल है। अतः पका हुआ केला लेना बाधित नहीं।

त्रसकाय प्रकरण

● त्रसकाय जीवों की विराधना करें नहीं, कराएं नहीं करते हुए का समर्थन करें नहीं। जिस कार्य में त्रसकायादि की हिंसा है, ऐसे आरम्भ मूलक कार्य की प्रेरणा दें नहीं, प्रत्यक्ष हिंसा कार्य कराएं नहीं, न करते हुए का समर्थन करें।

द्रव्य प्रकरण

● बादाम, काजू, पिस्ता, छिलके रहित पूरे साबूत ले सकते हैं। बादाम, गिरि अंकुर पैदा नहीं कर सकती अतः वह अचित्त है।

● अंजीरों में बीजों का प्राधान्य होता है अतः वह अग्राह्य है। बड़ी किशमिश (दाख) मुनक्का भी अग्राह्य है।

● चिरौंजी अचित होती है, ग्राह्य है। सौंफ बिना सिंकी सचित्त है। अतः अग्राह्य है।

● काली मिर्च उबली हुई होती है, अतः साबुत ग्राह्य है।

● छोटी इलायची साबुत अचित्त है। अतः ग्राह्य है।

● लवंग तो बीज है ही नहीं, अतः ग्राह्य है।

● बीज, धान्य, तिलहन सभी सचित्त हैं। अतः अग्राह्य हैं। कूटे हुए, पीसे हुए, पकाये हुए ही ग्रहण किये जा सकते हैं।

● आइसक्रीम दूध में बनी हुई होती है। अतः ग्राह्य है।

● कच्ची बर्फ केवल पानी में बनी, सचित्त हो सकती है, अतः अग्राह्य है।

● तेल, लवण, नाशिका, पीसी-अनपीसी लवंग, सोंठ आदि कोई भी पदार्थ रात्रि को अपने पास रखें नहीं। यदि औषध रूप हो तो शाम को गृहस्थों को भला दें।

● तमाखू, नाशका, सूंघने की नई आदत डालें नहीं, पहले से है तो उसे कम करें, रात को सूंघें नहीं।[1]

● वस्त्र-प्रक्षालन के लिए जो भी पदार्थ उपलब्ध हो, काम में लिया जा सकता है किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिन्हें तैयार करने में चर्बी काम में ली जाती है। ऐसे साबुन के विषय में ज्ञात हो जाये तो वे बिल्कुल उपयोग में न लें।

● पात्रों के लिए उपयोगी वार्निश आदि पदार्थ क्रय कर ही प्रायः संघ या गृहस्थ लाते हैं और उसका उपयोग करना पड़ता है। उसका प्रायश्चित वार्षिकी प्रायश्चित के अंदर मान लिया गया है।

---

1. वृ. सा. स. सादड़ी के प्रस्तावानुसार।

● रोगन, सफेदा आदि नेश्राय में रात में रखें नहीं।

अन्य पदार्थ प्रकरण

● सुई, कैंची, चाकू, नेलकटर आदि गृहस्थ के पदार्थ यदि काम में लेना आवश्यक हो तो गृहस्थ से स्वयं साधु-साध्वी जी लेकर आएं और अपना कार्य करके पुनः गृहस्थ को सूर्यास्त के पहले भला देना चाहिए।

पुस्तक पाट-पाटला

● पुस्तकें, पाट, पाटला गृहस्थ की आज्ञा लेकर काम में लें।

● पाट पाटला, प्रभृति पर अपनी स्थायी नेश्राय नहीं बनावें।

● सार्वजनिक स्थानों पर या अन्यत्र कहीं भी पाट/पाटला लगे हों या लगाये जा रहे हों, तो प्रवचन आदि के लिए आज्ञा लेकर उन्हें काम में लिया जा सकता है।

● अध्ययन संबंधी मुद्रित पुस्तकें, प्रेस मैटर आदि मार्ग विहार में गृहस्थ ले सकते हैं।

● किसी लाइब्रेरी से कोई पुस्तक पठनार्थ ली हो तो उसे यथा समय पहुंचाया जाये। बिना आज्ञा अधिक समय तक भी न रखी जाए।

● लेखनी ज्ञान-साधना का अंग है। अतः पेन आदि का प्रयोग संत-सती गृहस्थ की आज्ञा लेकर कर सकेंगे। यदि अन्यत्र ले जाने की आज्ञा हो तो अन्यत्र भी ले जा सकेंगे तथा गृहस्थ की नेश्राय में दे दें। जो धातुयुक्त नहीं, किन्तु प्लास्टिक पेन हैं, वे पास रखे जा सकेंगे।

□□□

॥ रत्नत्रय साधना प्रकरण ॥

ज्ञान-साधना : धर्मकथा प्रकरण

❑ मुमुक्षु (दीक्षार्थी) के लिए सर्वप्रथम 'मुमुक्षु पाठ्यक्रम' पूर्ण करना आवश्यक है।

❑ यदि पहला खण्ड पूर्ण हो और दीक्षा हो जाए तो शेष दो खण्ड का ज्ञान पहले करना होगा। तद्नन्तर अन्य ज्ञान-साधना की जा सकेगी।

❑ दीक्षित साधु-साध्वी जी को सर्वप्रथम स्वमत का विस्तृत परिज्ञान हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। स्वमत के ज्ञान के लिए उपाध्याय से निर्देश प्राप्त कर तद्नुसार ज्ञान-साधना आगे बढ़ानी चाहिए।

❑ प्रत्येक संत-सती जी को प्रतिदिन कम से कम एक घंटा स्वशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन, स्वाध्याय करना अनिवार्य होगा। स्वाध्याय सामूहिक हो।

❑ अस्वाध्याय काल और अस्वाध्याय स्थिति को टालकर ही स्वाध्याय किया जाए। विहार आदि के प्रसंग में भी स्वाध्याय तो अवश्य होनी चाहिए।

❑ प्रवचन में शास्त्र की गाथा या वाक्य का आश्रय अवश्य रखा जाए।

❑ मंगलाचरण में कम से कम एक शास्त्र की एक गाथा अवश्य रहे।

❑ ज्ञानार्थी संत-सती जी ज्ञानाराधना हेतु निश्चित केन्द्र में उपाध्याय श्री जी की आज्ञा से कल्प उपरान्त भी रह सकेंगे अथवा जहां पंडित का योग हो वहां भी कल्प उपरान्त रह सकेंगे और साथ में पंडित रखकर भी अध्ययन कर सकेंगे। किन्तु अध्यापक सदाचारी, विवेकी और आस्थावान होना आवश्यक है।

❑ यदि साध्वी जी किसी पंडित से पढ़ें तो एक समझदार बहन की

उपस्थिति वहां आवश्यक है। ऐसे ही एक मुनि किसी अध्यापिका से पढ़ें तो एक सुश्रावक की उपस्थिति आवश्यक है।

❐ मुनिराज महासती जी को वाचना दें या बहनों को वाचना दें, ज्ञान पढ़ाएं तो सुज्ञ श्रावक की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे ही महासती जी किसी भाई को या किसी मुनिराज को अध्ययन कराएं तो सुज्ञ बहन की उपस्थिति आवश्यक है।

❐ अकेला मुनि, अकेली साध्वी जी या अकेली बहन को ज्ञान-ध्यान न दें, न प्रश्नों के उत्तर दें। साध्वी जी यां बहन खड़े-खड़े कोई अल्पकालीन प्रश्नोत्तर करें तो कर सकती हैं।

❐ शास्त्र वाचना, सूत्र पाठ में अस्खलित उच्चारण का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए।

❐ स्वाध्याय, शास्त्र-वाचन, पठन-पाठन के बाद ध्यान करें, उसमें 'आगमे तिविहे' का पाठ बोलना आवश्यक है। यह नियम 5 गाथा के उपरान्त पठन-पाठन पर लागू रहेगा।

❐ बड़े मुनि से छोटे मुनि या साध्वीजी ज्ञान लें तो अध्ययन से पूर्व तीन बार प्रथम वन्दन करें। ज्ञान लेने के बाद भी तीन बार वन्दन करें।

❐ विद्वान गृहस्थ से ज्ञान लेते समय उच्च आसन पर न बैठें।

❐ शास्त्र और सिद्धान्त के धर्मग्रन्थों को धूल में न रखा जाए। भूमि पर रखने के पहले स्थान को पूजकर किसी वस्त्र या कागज को नीचे बिछाकर उस पर रखा जाए और ऐसे धर्मग्रन्थों को ठोकर भी न दी जाए। न पांवों में आयें, ऐसे स्थान पर रखे जाएं। इन्हें सिर के नीचे रखकर सिरहाने के रूप में प्रयोग में भी न लाएं, न अन्य किसी तरीके से इनके साथ बेदरकारी बरती जाए।

❐ यदि कोई संत-सती गद्य या पद्यमय नयी रचना करें तो उसे संबंधित अधिकारी मुनि से स्वीकृति प्राप्त कर ही प्रकाशन के लिए दें।

❐ 'जं वाइद्धं' आदि ज्ञान के 14 अतिचार टालकर स्वाध्याय करें।

❐ लघुनीत-बड़ीनीत करते समय या रक्त, पीप आदि बह रहे हों, ऐसे समय में शास्त्र-स्वाध्याय न करें।

❐ धर्म कथा रत्नाधिक की आज्ञा से करें।

❑ रात्रि को प्रवचन स्थान से 100 कदम के दायरे तक जाकर कर सकते हैं, उससे आगे नहीं।

❑ रात्रि में स्थानक में धर्मकथा हो तो बहनों की उपस्थिति वर्जित है। साध्वी जी प्रवचन करें तो स्थानक में भाइयों की उपस्थिति वर्जित है।

❑ गृहस्थ अपने निमित्त पांडाल, सभा मण्डप या मंच लगाएं, उसमें मुनि धर्म कथा कर सकते हैं।[1]

❑ जहां मुनिराज स्थानापन्न हों, वहां कोई वक्ता, महासती जी पधारें और गृहस्थ उनका प्रवचन सुनने को उत्सुक हों तो स्थानापन्न मुनिराज उदारता रखकर उन्हें प्रवचन करने की आज्ञा दे सकते हैं।

❑ धर्मकथा के अंत में शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट, उपाचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री (यदि हों तो), उपाध्याय श्री जी की जय बोलना अनिवार्य होगा। इसके बाद अन्य मुनियों की जय भी बोली जा सकती है।

सार्वजनिक स्थानों पर प्रवचनकर्ता की योग्यता

प्रवचनकर्ता को नव तत्वषट्, द्रव्य, साधु धर्म, मूलगुण, उत्तरगुण, श्रावकधर्म, 12 भावना, तीर्थंकरों के नाम, कम से कम 25 गाथा कंठस्थ ईश्वर कर्तृत्व, अकर्तृत्व का ज्ञान, देव, सुगुरु, कुगुरु, सुधर्म, अधर्म, निश्चय, व्यवहार, सात नय, चार प्रमाण, प्रत्यक्ष-परोक्ष अनुमान, आगम, चार निक्षेप, पच्चीस बोल, सम्यक्त्व के 67 बोल का स्तोक, सार्थ तत्वार्थसूत्र, एकान्तवाद, अनेकान्तवाद की व्याख्या, जैन भूगोल, खगोल की सामान्य जानकारी आदि का ज्ञाता होना आवश्यक है। ऐसे ही स्वमत के साथ परमत शैव, वैष्णव, वेदान्त, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम धर्मों की मान्यताओं का भी थोड़ा-बहुत परिचय होना आवश्यक है।

❑ इसी तरह जैन सम्प्रदायों स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिरमार्गी, दिगम्बर की सैद्धान्तिक मान्यताएं और उनके पारस्परिक भेद का भी वक्ता को ज्ञाता होना चाहिए।

❑ सूत्रार्थ के अस्खलित उच्चारण की योग्यता का होना भी आवश्यक है।

---

1. वृ. सा. स. सादड़ी के प्रस्तावानुसार

(अ) शास्त्र, सूत्रपाठ, प्रतिक्रमण विषयक सूत्रपाठ

●स्थानकवासी जैन परम्परा विशुद्ध आचार व निर्मल विचार में निष्ठा रखती है। उसने आचार में अहिंसा और विचार में अनेकान्त को स्वीकार कर प्रबुद्ध चिन्तकों को चिन्तन करने के लिए उत्प्रेरित किया है। परम्परा से वह 32 आगमों को मान्य करता है। सूत्र पाठों में कई पाठान्तर पाये जाते हैं, किन्तु जो पाठान्तर सर्वज्ञत्व के अनुरूप हैं, वे परम्परागत रूप से प्रमाण स्वरूप माने गये हैं। अतः उनको पाठान्तर के रूप में मान्य किया जाए व उन्हें उसी रूप में उपस्थित करना चाहिए।

●पिछले वर्षों में अनेक आगम बीत्तीसियां प्रकाशित हुई हैं। यदि किसी में परम्परागत पाठों में से कुछ पाठ हटा दिये गये हैं या कुछ नये रख दिये गये हों तो वे स्थल अप्रामाणिक हैं। अतः उन्हें यह संघ प्रमाण स्वरूप नहीं मानता।

●चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति और कुछ अन्य सूत्रों में भी ऐसे पाठ हैं जो वीतराग मार्ग की मान्यताओं के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। ऐसे पाठों को निकाला तो न जाए किन्तु उनकी टीका, भाष्य, चूर्णी, व्याख्या, अर्थ आदि करके निरूपित न किया जाए, किन्तु प्रकाशन में मात्र मूल पाठ दिया जाये। यदि वीतराग मार्ग के अनुरूप व्याख्या हो सके तो करने का प्रयास करना चाहिए।

(ब) प्रतिक्रमण सूत्र

●दैवसिक प्रतिक्रमण की आज्ञा सूर्यास्त होते ही ले ली जाए, रात्रिक प्रतिक्रमण की आज्ञा एक मुहूर्त रात्रि शेष होने पर ले ली जाए।

●प्रतिक्रमण स्थिर भाव से अन्तःकरण की लगनपूर्वक आत्म-शुद्धि हेतु नियमित रूप से किया जाए।

●आज्ञा लेते समय प्रत्येक संत-सती अपने से बड़े रत्नाधिक को विधिवत् वन्दन कर प्रतिक्रमण की आज्ञा प्राप्त करे।

●यथासम्भव दैवसिक प्रतिक्रमण एक साथ बैठकर करें। एक मुनि उच्चारण कराए और अन्य श्रवण करें तथा साथ-साथ विधि करें। इस रूप में किया जाए। रात्रि का प्रतिक्रमण भी ऐसे ही हो तो अच्छा किन्तु यदि वह न बन सके तो दैवसिक प्रतिक्रमण तो सामूहिक करें ही।

●प्रतिक्रमण में परस्पर वार्तालाप न करें, एकाग्र होकर प्रतिक्रमण करें। अन्य कोई कार्य प्रतिक्रमण के साथ न किया जाए।

●प्रतिक्रमण में सामायिक, प्रथम आवश्यक के पहले 'इरियावही' में एक 'लोगस्स' का ध्यान करें।

●'नमो अरिहंताणं' बोलकर ध्यान पारना।

●दो नमोत्थुणं दिये जाएं। आने वाले वैरागी और वैरानियों को (आचार्य नमन) 'तीसरा नमोत्थुणं' पाठ करा दिया जाये। जिससे भविष्य में एकरूपता आ जाए।

●आगमे तिविहे, दंसण सम्मत, पांच महाव्रत, रात्रि भोजन-विरमण सहित, पांच समिति, तीन गुप्ति, छह काय का पाठ, छोटी संलेखना, अठारह पाप, पच्चीस मिथ्यात्व संक्षिप्त अतिचारों में उपर्युक्त पाठों को रखा है।

●दूसरे आवश्यक में एक 'लोगस्स' बोला जाये।

●तीसरे आवश्यक में दो खमासणा।

●चौथे आवश्यक में आगमे तिविहे, दंसण सम्मत्त, पांच महाव्रत, रात्रि भोजन विरमण सहित, पांच समिति, तीन गुप्ति, छोटी संलेखना, अठारह पाप स्थान।

●श्रमण सूत्र में—इच्छामि णं भंते, णमुक्कारमंत्र, करेमि भंते, चत्तारि मंगलं, इच्छामि ठामि, पडिक्कमामि, इच्छाकारेणं, इच्छामि ठामि पडिक्कमिऊं पगाम सिज्झाए, पडिक्कमामि गोयरग्ग चरियाए पड़िक्कामि चाउकालं सज्झायस्स, पडिक्कमामि एगविहं असंजमेहिं नमोचउविसाए। दो खमासणा और पांच पदों की वन्दना। वन्दना में गद्य बोलना अनिवार्य है। सवैया ऐच्छिक है।

●तीसरी वंदना में—वर्तमान आचार्य श्री का नाम लेना, चौथे पद में वर्तमान उपाध्यायों का नाम लेना।

●अनन्त चौबीसी में—दो या तीन दोहे, आयरिय-उवज्झाय की तीन गाथा, 84 लाख जीव योनि का पाठ खामेमि सव्वे जीवा........

●पांचवें आवश्यक में 'इच्छामिणं भंते! तुब्भेहिं अब्भणुणाए समाणे, देवसिए पायच्छित्त विसोहणत्थं करेमि काउसग्गं' ऐसा बोलकर एक णमुक्कार, करेमि

भंते! इच्छामि ठाएमि, तस्स उत्तरी, 4 लोगस्स का ध्यान, लोगस्स प्रकट दो खमासणा।

●'छठ्ठा आवश्यक प्रत्याख्यान' मिथ्यात्वादि का पाठ, गया काल का प्रतिक्रमण का पाठ, देव अरिहन्त का पाठ, एस अट्ठे परमट्ठे, दो नमोत्थुणं।

●प्रतिक्रमण एक मुहूर्त के अंदर-अंदर सम्पन्न होना चाहिए।

●सशक्त संत-सतीजी को यथाशक्य यथाविधि खड़े-खड़े प्रतिक्रमण करना चाहिए, वार्धक्य रुकावट, व्याधि असमर्थता की स्थिति अलग।

●प्रतिक्रमण शुद्ध प्रकाशन हेतु मुनिराजों की एक समिति निर्धारित क्रम के अनुसार निर्धारित करें। चारों उपाध्याय इस समिति में रहेंगे।

दर्शन, श्रद्धा प्रकरण

● देव, अरिहन्त, गुरु निर्ग्रन्थ, धर्म केवली-वीतराग प्ररूपित, वीतराग मार्ग का दृढ़ श्रद्धान, यही सम्यकत्व दर्शन का मूल आधार है, अतः उपदेश या आदेशों, प्ररूपना-श्रद्धान उपर्युक्त दर्शन मार्ग का ही होना अनिवार्य है।

● सम्पूर्ण संघ का श्रद्धान एक ही होना आवश्यक है।

● परम वीतराग परमात्मा अरिहन्त-सिद्ध का भाव वन्दन, अभिनन्दन स्तुति, मान देव रूप में उनकी अनन्य आराधना, परम, निर्जरा और मुक्ति का हेतु मानकर उसी की प्ररूपणा करें।

● निर्ग्रन्थ गुरु के प्रति भक्ति भावना तथा श्रद्धा को एकान्त निर्जरा का हेतु मानकर उसी की प्ररूपना करना।

● वीतराग मार्ग अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह और अनेकान्त की साधना स्वरूप है, अतः इन तत्वों की आराधना को मुक्ति मार्ग मानकर इन्हीं की प्ररूपना करना।

● वीतराग मार्ग-बाह्य-अन्यतैर्थिक महापुरुष, राष्ट्रीय महापुरुष, सामाजिक, जातीय, अन्य देशीय महापुरुष, पशु-पक्षी आदि का आख्यान, प्रवचन में हो तो उनके विशिष्ट पक्ष को वीतराग मार्ग की दृष्टि के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाए जिससे अमुक गुण का महत्व स्थापित हो सके। व्यक्ति महात्म्य को महत्त्व न दिया जाए।

●साधु-साध्वी जी किसी भी कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की आराधना, गंडा, ताबीज, यंत्र-मंत्र, झाड़-फूंक, पूजन-अर्चन स्मरण आदि आराधना किसी भी स्थिति में न करें, न कराएं और न करते हुए का अनुमोदन करें।

●सरागी साधु-साध्वी जी, श्रावक-श्राविकादि के महाव्रत, अणुव्रत, मूलगुण, उत्तरगुण को एकान्त शुभ आश्रव नहीं समझना अपितु निर्जरा का हेतु भी मानना।

●अभयदान तथा अनुकम्पादि से प्रेरित हो, कोई मन वचन काया से दया पूर्ण सेवा प्रवृत्ति करे, द्रव्य खर्च करे, मन वचन काया और अन्य साधनों से अनुकम्पा दयापूर्ण कार्यों का सम्पादन करे तो उसे एकान्त पाप नहीं मानना, अपितु शुभ एवं शुद्ध भावपूर्ण प्रवृत्ति निर्जरा का हेतु है, ऐसा मानना।

●एकेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय प्राणियों के वध को समान नहीं मानना। एकेन्द्रिय का वध भी गृहस्थ टालें, यह अच्छा है। अनुकम्पा, दया, सेवादि कार्यों के सम्पादन में उनकी एकेन्द्रिय की हिंसा करूं ही। इस भावना से रहित सेवा भावना की प्रधानता में वह हो तो, उसे एकान्त पाप स्वरूप मानकर, गृहस्थ को मिथ्यात्वादि क्रिया का भागीदार नहीं मानना।

●सम्यक् दर्शन में स्थित श्रावक-श्राविका के द्वारा अनुकम्पा सेवा भाव से दिया गया अन्नादि का दान पुण्य का हेतु है। अनुकम्पा भाव में स्थित को पुण्य होता है, एकान्त पाप ही हो, ऐसा नहीं मानना।

●वीतराग मार्ग में निश्चय और व्यवहार, दोनों को समान महत्व दिया गया है। निश्चय का कथन करते हुए व्यवहार की आवश्यकता का प्रतिपादन किया जाए और व्यवहार का कथन करते समय निश्चय की आवश्यकता का भी प्रतिपादन किया जाये क्योंकि वे एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है......।

● सम्यक्त्वी जीव की शुभ प्रवृति, शुद्ध प्रवृत्ति का साधन है। अतः उसे न हेय कहें और न हेय मानें।

●साधु-साध्वी की मनसा, वचसा, कायसा, सम्यक्त्व के पांचों अतिचार शंका कांक्षा, वितिगिच्छा, पर-पाखण्ड, प्रशंसा, पर पाखण्ड संथवो। दृढ़तापूर्वक

टालें। शंकादि उत्पन्न हो, ऐसी प्ररूपना नहीं करें।

●साधु-साध्वी जी अपने तथा अपने गुरुजनों के फोटू, मूर्ति, पगल्या, अस्थि-स्थान, गादी, समाधिपाट आदि के वन्दन, पूजन, अर्चन की प्रेरणा नहीं दें।

●उपासकों को भी यह संसूचन किया जाता है कि किसी भी मूर्ति, फोटो, अस्थि, गादी, पाट, समाधि आदि की स्थापनाएं न करें। जहां स्थापनाएं कर दी हैं, उन्हें भी हटाएं और वहां वीतराग मार्ग के अनुरूप स्वाध्याय, ध्यान, सेवा, धर्म क्रिया की साधना का सर्जन हो, ऐसी उपयुक्तता निर्धारित करें।

चारित्र (चर्या) प्रकरण

❐ यत्ना चारित्र का प्रमुख अंग है। अतः प्रत्येक कार्य गमनागमन, उठना-बैठना वस्तु व्यवहार आदि यत्नापूर्वक किये जायें।

❐ रात्रि को रजोहरण से भूमि की परिमार्जना करके गमनागमन हो।

❐ रात्रि के चतुर्थ प्रहर में कम से कम सूर्योदय से 1 घण्टा पूर्व अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रतिक्रमण की आज्ञा लेकर, गुरु के निकट जाकर, प्रतिक्रमण साधना कर, प्रत्याख्यानादि से निवृत्त हो, सूर्योदय के शेष समय में ध्यान स्मरण या स्तुति पाठ आदि करें।

❐ सूर्योदय के बाद प्रतिलेखना करें।

❐ प्रतिलेखना के पश्चात् 'पडिक्कमामि चाउकालसज्झायस्स' का ध्यान करें।

❐ दिन में आहार-नीहारादि के उपरान्त जो समय शेष रहे उसमें सिद्धान्त शास्त्र एवं सत् साहित्य का पठन-पाठन अथवा ज्ञान चर्चादि किये जाएं। लगभग 4 बजे के आस-पास प्रतिलेखना हो।

●बिना कारण दिन में शयन न किया जाए।

●सूर्यास्त के पूर्व आहारादि से निवृत्त हो, प्रतिक्रमण, साधना, तदनन्तर स्मरण, चिन्तन तथा ज्ञान चर्चा आदि की जाए।

●गोचरी लाने के पश्चात् 'इच्छाकारेणं' और 'पडिक्कमामि गोयरग्ग

चरियाए' का ध्यान करें। जो मुनि गोचरी नहीं गये, वे भी कम से कम एक लोगस्स का ध्यान अवश्य करें।

❒ विहार करके जाएं तब 'इच्छाकारेणं' का ध्यान करें।

❒ स्वाध्याय के पश्चात् 'आगमे तिविहे' का ध्यान करें।

❒ मल-मूत्रादि त्यागने के पश्चात् स्थानक पर आने पर इच्छाकारेणं का और पांचवीं समिति का ध्यान करें।

❒ विहार कर जाएं तब 'चउविसत्थव' करें व ध्यान में 'इच्छाकारेणं' पढ़ें।

स्थानक-आवास प्रकरण

❒ जो भवन गृहस्थों ने अपने उपयोग के लिए बनाया हो, उसे संत-सती उन गृहस्थों में से किसी एक की अथवा वे भवन जिस किसी को सौंप दिया हो, उसकी अथवा ऐसे सेवक की, जो उस मकान की देखभाल करता हो, उसकी आज्ञा लेकर रुकना चाहिए।

❒ भवन निर्माण आदि में छह काया का आरम्भ, समारम्भ होता है। अतः निर्माण-निमित्त प्रत्यक्ष प्रेरणा नहीं देना।

❒ जिस भवन में स्त्रियां, पशुओं एवं पण्डगादि का निवास हो और आने-जाने का मार्ग एक ही हो तो उस मकान में रुकना नहीं, यदि अपवाद स्वरूप रुकना पड़े तो एक-दो रात्रि से अधिक रुकें नहीं।

❒ संस्थाओं के भवन में संस्था अधिकारी की आज्ञा से रुकना कल्पता है।

❒ कलकत्ता, मुम्बई जैसे शहर जहां आवास समस्या उग्र है, वहां ऐसे खण्ड में जहां पहुंचने का एक ही मार्ग हो तो संत या सती अपने खण्ड में जाने को उस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

❒ एक ऊंचे भवन में जहां लिफ्ट लगी हो तो लिफ्ट को दूसरा मार्ग समझना चाहिए।

❒ प्रत्येक ऐसा धर्मस्थानक जो संघ के अधीन हो, उस पर श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ का धर्मस्थानक यह अंकित होना आवश्यक है। संत-सती जी ऐसे नामांकित स्थान को ही स्थानक मानें।

❒ साम्प्रदायिक नामों पर आधारित नाम अथवा अन्य किसी नाम पर बने भवनों को स्थानक के रूप में सम्बोधित न करें।

❑ किसी एक जगह वह परिधि जिस सीमान्त तक से गोचरी आती है, साधु जी 29 अहोरात्र, साध्वी जी 58 अहोरात्र तक रहें। इस कल्प के उपरान्त यदि रहना आवश्यक हो तो दो कल्प बाहर रहकर फिर आ सकते हैं।

❑ रोगी, तपस्वी, विद्याध्ययनरत, वृद्ध, दीक्षास्थविर पर यह कल्प लागू नहीं होता।

❑ यदि कोई कवि, लेखक, विशेष रचनारत हो, साधु-साध्वी जी लेखन संपादन आदि कार्य में व्यस्त हों, कोई अध्यापनरत हों और जहां ठहरे हैं वहीं पर संदर्भ ग्रन्थ आदि उपलब्धि हो तो प्रवर्तक श्री की विशेष आज्ञा से वे वहां पर रह सकेंगे।

❑ कोई पंचायती मकान क्लेश वाला हो तो तत्काल परिस्थिति का विचार कर उसमें उतरना नहीं।

❑ जिस मकान में शृंगारादि युक्त चित्र या दर्पण आदि पर आवरण डाल दिया गया हो या उतार लिया गया हो उस मकान में साधु-साध्वी जी ठहर सकते हैं। निर्दोष स्थान नहीं मिलने पर यदि ठहरना पड़े तो उत्कृष्ट दो रात से अधिक न रहें।

❑ जिस गांव में स्थानापन्न साधु-साध्वी जी हों, उस गांव में यदि साध्वी जी विहार करके जाएं तो स्थानापन्न साधु-साध्वी जी के स्थान पर ही उतरें। स्थान संकोच के कारण यदि अन्य स्थान पर उतरना भी पड़े तो उनकी सेवा में बाधा नहीं पड़े इसे ध्यान में रखकर उनकी आज्ञा से उतर सकते हैं।

❑ धर्म स्थानकों में साधु-साध्वी जी अपने गुरु-गुरुणी के चित्र लगवाने की प्रेरणा नहीं दें अपितु धर्मस्थानकों में साधु-साध्वी जी के चित्र होने का सख्त विरोध करें। इस प्रवृत्ति को रोकें, धर्मस्थानकों में पूर्व क्षेत्र-उपकारी सत्पुरुषों के नाम अंकित हों तो ऐतराज नहीं।

स्थानापन्न समाचारी

❑ रुग्ण, वृद्ध, अपाहिज संत-सती को ऐसे क्षेत्र में स्थानापन्न किया जाए जहां एक से अधिक स्थानक हों और सेवाभावी, उदारमना, गम्भीर, धर्मनिष्ठ प्रकृति के सरल श्रावक-श्राविका हों।

❑ स्थानापन्न संत-सती की समुचित सेवा के लिए प्रवर्तक और आचार्य

जिम्मेदार होंगे। उनकी सेवा में सेवाभावी संत-सती को भेजते रहने का दायित्व आचार्यश्री और प्रवर्तक और उपप्रवर्तक का है।

□ जिन्हें उक्त अधिकारी आज्ञा दें और जितने समय के लिए भेजें, बिना किसी ऐतराज के हर्षपूर्वक सभी को आज्ञा स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

□ स्थानपन्न सन्त-सती जहां तक संभव हो, अधिक से अधिक एक साथ निवास करें। यह कार्य प्रवर्त्तक और आचार्यश्री की आज्ञा के अनुसार हो।

□ साधु-सध्वी जी वहीं स्थानापन्न रहें जहां कल्पानुसार गोचरी-औषधि आदि उपलब्ध हो सके।

□ जहां संस्थाओं के द्वारा की गई आहार-व्यवस्था एवं चलाये जाने वाले चौके से आहार लेना पड़े, जहां गृहस्थों का स्थाई निवास न हो, ऐसे आश्रम के समान स्थानों पर साधु-साध्वी जी स्थानापन्न न रहें और न विशेष ठहरें ही।

□ जहां पर दो स्थानकों के मध्य यदि राजमार्ग है, सन्त-सती परस्पर दृष्टिगत न होते हों तो संत-सतीगण वहां ठहर सकते हैं पर यह स्मरण रखना होगा कि स्थान बिल्कुल आमने-सामने न हो। राजमार्ग के अभाव में सात घरों की दूरी आवश्यक मानी गई है।

तप विधि

□ साधु-साध्वी तप कर्मनिर्जरा एवं आत्मशुद्धि हेतु करें। आडम्बर एवं यश वृद्धि की कामना तनिक भी नहीं रखें, न इस हेतु कोई प्रयत्न करें।

□ पारणे की तिथि पहले न बताएं, कोई त्याग-प्रत्याख्यान की साधना बनती हो और कुछ उपकार की संभावना हो तो पहले बताएं किन्तु आडम्बर के लिए प्रेरित न करें।

□ बड़ी तपश्चर्या में प्रथम तीन दिन धोवन पानी पी सकते हैं, किन्तु बाद में गरम पानी ही लें। यदि धोवन (राख का) लेना हो तो धोवन पानी का आगार रखां, ऐसा कहें।

□ अष्टमी, चतुर्दशी, पाक्षिकी आदि पर्व दिनों में कुछ न कुछ तपः, साधना का लक्ष्य प्रत्येक सन्त-सती को रखना चाहिए। उपवास संभव नहीं हो तो,

आयम्बिल, नीवी, एकासन, रसत्याग, पौरूषी आदि तप में से कुछ न कुछ तप अवश्य करें।

☐ प्रत्याख्यान में एकाशन, एकलठाणा, नीवी, आयम्बिल आदि में एक पौरूषी, दो पौरूषी, तीन पौरूषी जैसे पच्च्क्खाण किये हों, उसी समय आहार ले सकते हैं। दो पौरूषी की अनिवार्यता नहीं।

☐ णमुक्कारसी काल एक मुहूर्त्त (48 मिनट) का माना गया है। (नेमिचन्द्र आचार्यकृत प्रवचनसारोद्धार के आधार से।)

दीक्षा प्रकरण

☐ वैरागी-वैरागिन वे ही दीक्षा के योग्य समझे जायेंगे जो मुमुक्षु पाठ्यक्रम का कम से कम प्रथम खण्ड उत्तीर्ण करेंगे। वैसे मुमुक्षु पाठ्यक्रम के 3 खण्ड हैं। यथाशक्य तीनों खण्ड उत्तीर्ण करना मुमुक्षुओं के लिए आवश्यक होगा। यदि किसी विशेष कारण से मुमुक्षु एक ही खंड कर पायें और दीक्षा देना आवश्यक ही हो जाए तो आचार्यश्री अपनी विशेष अनुमति से ऐसी आज्ञा प्रदान कर सकेंगे। एक खण्ड उत्तीर्ण करना तो अनिवार्य है ही।

☐ किसी भी संत-सती के द्वारा उद्बोधित वैरागी-वैरागिन को अन्य कोई मुनि/सती अपनी ओर दीक्षित करने के लिए उसे बहकाएं नहीं। जिनके पास वह है, उसके सामने उनकी निन्दा-विकथा न करें तथा उनके दोषों का विवेचन भी न करें।

☐ वैरागी-वैरागिन को पैसा दिलवाकर खरीदने का प्रयत्न न करें।

☐ दीक्षार्थियों को छुपाने का कहीं से उचकाकर मंगवाने का प्रयास न किया जाए।

☐ दीक्षा ग्रहण का जहां विधान है, वहां अयोग्य दीक्षा का निषेध भी स्पष्ट शब्दों में किया गया है। अयोग्य चाहे बालक हो, युवक हो या वृद्ध हो, उनमें से किसी को भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। स्थानांग, निशीथ भाष्य आदि ग्रन्थों में कहा है जो बाल, वृद्ध, जड़, व्याधिग्रस्त, स्तेन, राजापकारी, उन्मत्त, अंधा, दास, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, मूढ़, ऋण पीड़ित, जात्यंग हीन, अवबद्ध (सेवक), शैक्षनिस्फेटित (अपहृत किया हुआ), गर्भवती और बालवत्सा (छोटा बालक वाली), पंडक (नपुंसक), क्लीब आदि दीक्षा के अयोग्य हैं।

☐ किसी दीक्षार्थी के माता-पिता अंधे, लूले, लंगड़े हों, अपाहिज हो और

सेवा की व्यवस्था न हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र को भी दीक्षा न दी जाये।

❑ ऐसे ही स्त्री के लिए भी तब तक दीक्षा की अपात्रता है जब तक उसके अन्धे, लूले, लंगड़े, अपाहिज सास-ससुर हों और उनकी सेवा का समुचित प्रबन्ध न हो।

❑ दीक्षार्थी को दीक्षा देने के पूर्व उनके माता-पिता या पति-पत्नी की लिखित आज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

❑ दीक्षा संघ की साक्षी से दी जाए।

❑ दीक्षा के आडम्बर में सन्त-सती को भाग नहीं लेना।

❑ नव दीक्षित को प्रथम यदि उसने मुमुक्षु पाठ्यक्रम के तीनों खण्ड पूर्ण नहीं किए हों तो उन्हें पूर्ण कराना। यदि कर लिए हों तो उत्तराध्ययन दशवैकालिक, नन्दी सूत्र का प्रथम ज्ञान कराना आवश्यक है। योग्यतानुसार तदनन्दर संस्कृत-प्राकृत आदि विशिष्ट अध्ययन की प्रेरणा देना चाहिए।

❑ नव दीक्षित को प्रथम 6 माह तक पठन-पाठन, प्रतिलेखन-प्रमार्जन, विनय-सेवा आदि की विधियां बताना और उसे यत्नाधर्म में अग्रसर करना, क्योंकि यत्ना अनेक सद्गुणों का मूल है।

❑ यदि प्रतिक्रमण आदि विधि में उपस्थित नहीं हुआ तो पुनः यही क्रम दुहराया जाए। यदि दूसरे क्रम में भी विधि ज्ञान न हो तो तीसरा क्रम दोहराया जाए। फिर भी वह विधि ज्ञान नहीं हो पाए तो उसे पुनः गृहस्थ वेष में प्रयुक्त करना चाहिए।

❑ जो दो बार दीक्षा लेकर पतित हो चुका हो उसे तीसरी बार कदापि दीक्षा नहीं देनी चाहिए।

चातुर्मास-समाचारी

❑ जहां जिस वर्ष चातुर्मास हो उसी क्षेत्र में दो वर्ष और उन्हीं संत-सतीजी का वर्षावास नहीं हो सकेगा। उनके बीच में से कोई मुनि को वहां अन्य बड़े संतों को सेवार्थ रहना पड़े तो रह सकेंगे।

❑ कम से कम दो मुनि, कम से कम तीन साध्वीजी का एक सिंघाड़ा है। उनसे कम वर्षवास न करें।

❑ जहां व्याख्याता मुनियों का वर्षावास हो, वहां बिना कारण व्याख्याता साध्वीजी का वर्षावास न हो।

❐ आचार्य श्री, 12 उपाध्याय, 8 प्रवर्त्तक, 5 से अधिक सन्त वर्षा-वास में न रखें। कोई अन्य स्थान से चलित होकर आ जाए अथवा नई दीक्षाएं हो जाएं, उसकी बात अलग/अधिक वृद्ध, तपस्वी, अपाहिज आदि हो और उनकी सेवार्थ अधिक सन्तों को रखना पड़े तो बात अलग। यह नियम ऐसे सिंघाड़े के लिए, जिसमें एक से अधिक संत अलग-अलग क्षेत्र संभालने योग्य हैं।

❐ जिस क्षेत्र में श्रमणसंघ और अन्य सम्प्रदायों के अनुयायी श्रावकों का निवास हो और उनके बीच मैत्री सम्बन्ध हो तो उसे भंग कर वर्षावास न किया जाए।

❐ जिन सम्प्रदायों के साथ श्रमणसंघ का मैत्री सम्बन्ध हो (एक क्षेत्र, एक चातुर्मास, साथ व्याख्यान साथ निवास आदि) तो उस सम्प्रदाय से मैत्री सम्बन्ध भंग करके वर्षावास न किया जाए, यदि वह सम्प्रदाय ही सम्बन्ध भंग करे तो बात अलग।

❐ श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के लिखित विनती पत्र को ही मान्य कर चातुर्मास किया जाए। जहां अनेक सम्प्रदायें मिलकर विनती करें, वहां यह नियम लागू नहीं।

❐ जहां श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ में फूट हो, दो संघ बने हुए हों, परस्पर वाक्‌युद्ध और मुकदमा चलता हो, ऐसे स्थान पर जब तक ऐक्य न हो, वर्षावास न किया जाए।

❐ जिस स्थानक भवन पर 'श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ का धर्म स्थानक', ऐसा बोर्ड लगा हो, उसे ही स्थानक भवन के रूप में मान्यता दी जाए। ठहरने और चातुर्मास के लिए उस स्थानक को ही प्रधानता दी जाए।

❐ यदि वह स्थानक छोटा हो, असुविधाजनक हो और संघ की सहमति से अन्यत्र वर्षावास या रुकना हो तो रुका जा सकता है।

❐ चातुर्मास की विनती लिखित प्राप्त हो, साथ ही प्रमुख पदाधिकारी और अन्य अधिकतम 11 व्यक्ति से अधिक उपस्थित न हों तो ही उस विनती पर ध्यान दिया जाए। गाड़ियां भरकर बड़ी संख्या में विनती करने आने की पद्धति समाप्त की जाती है। इसी प्रकार बार-बार बुलाने की भी पद्धति समाप्त की जाती है।

❐ चातुर्मास के विनती पत्र उपाध्याय श्री के सिंघाड़े के उपरान्त प्रवर्त्तक को अर्पित किया जाए।

❐ चातुर्मास के लिए धार्मिक प्रेरणा, ज्ञान वृद्धि को आधार बनाया जाये, किन्तु किसी भी तरह का आर्थिक अनुबन्ध या ग्रंथ प्रकाशन या संस्था के अर्थ सहयोग का अनुबन्ध न रखा जाए।

❐ दर्शनार्थियों के लिए अमुक प्रकार का भोजन आदि देना ही होगा, ऐसी शर्तें भी न लगाई जाएं।

❐ साधु-साध्वी जी के औषध, अध्ययन सुविधादि की बात की जा सकती है।

❐ फाल्गुनी पूर्णिमा के पूर्व चातुर्मास की स्वीकृति न दी जाए किन्तु चैत्र पूर्णिमा तक चातुर्मास का निर्धारण हो जाना चाहिए।

नोट—बम्बई के लिए वहां की पद्धति खुली रखी गई है।

मुनिवेष : वस्त्र पात्र

❐ साधु-साध्वियों की वेष-भूषा श्वेत होगी। यदि रंगीन किनारी वाला कपड़ा ले भी लें तो किनारियों के धागे निकालने होंगे।

❐ मुख वस्त्रिका मुंह पर लगाना अनिवार्य है। मुंहपत्ती पर वार्निश लगाना नहीं।

❐ मुख वस्त्रिका का मान 16 अंगुल चौड़ा, 21 अंगुल लम्बा, उसके आठ पट होंगे, वह इसका परम्परागत मान्य मानक है। ऐसी मुख वस्त्रिका लगाना ही सभी संत-सती के लिए योग्य है।

❐ रजोहरण की दंडी का मान प्रमार्जना करने में सुविधा रहे, उस अनुसार रखना चाहिए।

❐ मुख वस्त्रिका, रजोहरण प्रमार्जिनी, चोलपट्टक, चद्दर, झोली, आसन, पात्र- ये मुनि के मुख्य उपकरण हैं।

❐ वस्त्रों-पात्रों का प्रतिलेखन दिन में दो बार हो/जो, वस्त्र-पात्र तुरन्त काम नहीं आ रहे हैं, उनकी प्रतिलेखना हर पक्खी को दिन में एक बार तो होनी चाहिए।

❐ वस्त्र निर्दोष लिए जाएं, गृहस्थ की आज्ञा से उनके द्वारा दिये हुए ग्रहण किये जाएं, संत-सती जी के लिए क्रय किये हुए या उधार लिये हुए न हों।

❐ अन्य संत-सती के वस्त्र-पात्र उनकी आज्ञा बिना काम में न लेवें।

❐ रात्रि में अपने वस्त्र-पात्र, पाट-पाटला, पुस्तकें आदि अछाया में नहीं रखना।

❐ मार्ग-विहार में वस्त्र-पात्र स्वयं उठाएं।

❐ प्लास्टिक के पात्र काष्ठरसपूर्वक बनते हैं, अतः उन्हें लेने और उपयोग करने का निषेध नहीं है। जो पात्र भोजन के तथा पीने के पानी के लिए काम आएं, उन्हें अपने साथ ही अपनी नेश्राय में रखना होगा। वस्त्र-प्रक्षालन के लिये मिट्टी के बर्तन की तरह प्लास्टिक पात्र आज्ञा लेकर लेना अनुचित नहीं है। उन्हें पुनः संभला देना चाहिये।

❐ वस्त्र-प्रक्षालन के लिए मिट्टी के पात्र या प्लास्टिक के पात्र उपलब्ध न हों तो धातु के पात्र भी आज्ञा से ले सकते हैं, किन्तु उन्हें उसी दिन रात्रि के पूर्व गृहस्थों को संभला देना आवश्यक होगा।

❐ वस्त्र-पात्र गृहस्थ के घर रखना नहीं। पुस्तकें, शास्त्र आदि गृहस्थों की नेश्राय में दिये जा सकते हैं।

❐ बहुत कीमती कपड़े लेना नहीं। कम्बल की बात अलग।

❐ टेरेलीन, टेरीकॉटन के वस्त्र भी आज बहुतायत से प्रचलित हैं। कल्पानुसार ग्रहण किये जा सकेंगे। किन्तु सूती वस्त्रों को ही संत-सती प्रमुखता दें।

❐ रेशमी वस्त्र जो कीड़े से तैयार होता है, वे सर्वथा त्याज्य हैं तथा ऐसे वस्त्र जो पक्षियों/पशुओं के चर्मखंड के साथ जुड़े हों, अथवा पशु-पक्षी की हत्या कर उनके श्मश्रु-रोम आदि से तैयार होते हों, वे भी अग्राह्य हैं।

❐ गरम पानी ठण्डा करने के लिए अनेक स्थानकों में धातु पात्र रखे रहते हैं, उनका आज्ञा लेकर उपयोग कर सकते हैं।

❐ गर्मी में पानी हेतु मिट्टी का बरतन जिसकी भीतर से प्रति-लेखना हो सके, गृहस्थ की आज्ञा से लिया जा सकेगा तथा उपयोग कर जाते समय संभलाया जा सकेगा।

❐ रजोहरण, मुखवस्त्रिका, पुंजनी ये मुनिवेष के सम्माननीय अंग हैं अतः इनको पांवों से न ठुकराया जाए, न ही सिरहाने के रूप में इनका प्रयोग

किया जाये, और न ही इन्हें बेदरकारी से काम में लिया जाए।

❒ एक मुनि और एक साध्वी अधिकतम 4 पात्र रख सकते हैं।

❒ साधु 72 हाथ और साध्वी जी 96 हाथ से अधिक वस्त्र न रखें। रोगादि कारणवश अधिकारी मुनि की आज्ञा लेकर रख सकते हैं।

❒ रंगीन वस्त्र या रंगीन किनारी के वस्त्र काम में न लें।

❒ अति बारीक वस्त्र जिनसे अंग-प्रदर्शन हो, ऐसे वस्त्र धारण कर स्थान से बाहर न जाएं।

❒ वस्त्र पडिहारा लेना नहीं। कहीं अत्यावश्क हो तो घास की बनी चटाई पडिहारी ली जा सकती है।

❒ धातु पात्र यदि किसी कारणवश पडिहरा लाये हो तो सूर्यास्त के पहले पुनः गृहस्थ को भला देना चाहिए।

❒ वस्त्र-कम्बल आदि अन्य संत किंवा साध्वी के काम आयें या न आयें, यह तपासने के लिए गृहस्थ के यहां से पडिहारी लाये जा सकते हैं, किन्तु उसी दिन उनके विषय में निर्णय कर वस्त्रादि भला देना होगा। दूसरे दिन रखना नहीं।

❒ पात्र की जोड़ अथवा पात्र कुछ दिन पडिहारे रखकर भलाये जा सकते हैं। सार इतना ही है कि पडिहारी वस्त्र काम में न लिए जायें।

उपचार औषधि प्रकरण

❒ जो औषधि गृहस्थ के घर में निर्दोष मिल सकती है, उसे क्रय न कराई जाये। जो औषधि उपलब्ध नहीं है उसको क्रीत लिया जा सकेगा, किन्तु स्वस्थता के बाद प्रायश्चित्त लेना होगा। प्रायश्चित्त का उल्लेख प्रायश्चित्त विधि में है।

❒ स्वास्थ्य के बिगड़ जाने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लाभ होने के पश्चात्त उसका समुचित प्रायश्चित्त प्रवर्त्तक या आचार्य के निर्देशानुसार लेना होगा।

❒ जिन प्रवाही औषधियों में अल्कोहल मिला हो, ऐसी औषधियों से बचना चाहिए। कदाचित लेना अत्यधिक अनिवार्य ही हो तो रोग निवारण के बाद प्रायश्चित लेकर शुद्धिकरण किया जाए।

❒ अनेक औषधियों में पशु रक्त और पशुओं के अंग-रस का मिश्रण आता है, ऐसी औषधि सर्वथा त्याज्य हैं। अतः उनके स्थान पर ऐसी औषधि ली जाये जो वनस्पत्यक हों।

❐ व्याधिग्रस्त मुनि को यदि डॉ. शीघ्रतम हॉस्पीटल पहुंचाने की सलाह दें तो त्वरित साधन जो उपलब्ध है, उसका उपयोग करने के बाद स्वस्थ होने पर शुद्धिकरण करना आवश्यक होगा।

❐ रात्रि को औषधि साधु-साध्वी जी अपने पास न रखें, किसी निकटवर्ती गृहस्थ की नेश्राय में दे दें। यदि कोई गृहस्थ स्थानक में हो तो स्थानक में उसकी नेश्राय में दे दें। प्रातः आज्ञापूर्वक काम में लें।

❐ उपचार के सन्दर्भ में डॉक्टर जो भी उचित प्रयोग करें, उन्हें स्वीकार करने पर स्वस्थ होने के बाद प्रायश्चित लिया जाये।

❐ औषध प्रायः मेडिकल स्टोर से खरीदकर ही ली जाती है अतः ऐसी औषधि का प्रयोग दोषयुक्त है, उनका प्रायश्चित सामूहिक प्रायश्चित्त में गर्भित करना चाहिए।

❐ किन्तु जो औषधि क्रय नहीं की जाकर गृहस्थ के घर या दुकान (कैमिस्ट) पर निर्दोष उपलब्ध होती है, साधु-साध्वी जी स्वयं जाकर लावें और कल्पानुसार प्रयोग करें तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं।

❐❐

॥ 3 ॥

॥ व्यवहार विहार प्रचार प्रकरण ॥

परस्पर व्यवहार

❑ श्रमणसंघीय सभी साधु-साध्वी जी के परस्पर ग्यारह व्यवहार फर्जियात हैं। आहार पानी का व्यवहार फर्जियात नहीं रखा गया है अतः 12 व्यवहार का विधिवत् पालन हो बारह व्यवहार—

1. उपधि—वस्त्र पात्र आदि उपकरण परस्पर लेना-देना।

2. श्रुत,-विधि पूर्वक श्रुत वाचना देना, लेना, पूछना।

3. अंजली प्रग्रहण—एक-दूसरे को हाथ जोड़कर सम्मान देना।

4. दापण—शिष्य-शिष्याओं का आदान-प्रदान करना।

5. निकाय—आहार वस्त्र-पात्र शय्यादि की निमन्त्रणा करना।

6. अभ्युत्थान—बड़ों के आने पर आसन से उठकर सामने जाना, सम्मान और स्वागत करना

7. कृतिकर्म— सविधि वन्दना करना।

8. वैयावृत्य—आहार-पानी, वस्त्र, पात्र, पीठ-फलक आदि लाकर देना, उच्चार-प्रश्रवण आदि परठना। यदि सामने वाले सिघाड़े में परस्पर कलह हो तो उसे मिटाकर शान्ति करना आदि।

9. समोसरण—एक ही स्थान पर ठहरना।

10. निषद्या—एक जगह साथ-साथ आसन लगाना। स्वाध्यायादि करना।

11. कथा-प्रबन्ध—एक स्थान पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करना विचार-विनियम करना, साथ-साथ धर्म कथा करना आदि।

12. भक्त पान—परस्पर आहार-पानी लेना देना तथा एक साथ एक स्थान पर एकत्र हो मिल जुल कर साथ-साथ आहार-पानी लेना। (समवांयाग सूत्र)

❐ श्रमणसंघीय साधु-साध्वीजी अपने ही संघ के किसी साधु-साध्वीजी की हीलना निन्दा न करें, न ही किसी तरह ईर्ष्या करें। कोई गृहस्थ किसी श्रमणसंघीय सन्त-सती की त्रुटि बताये तो हां में हां नहीं मिलायें। यदि वह त्रुटि सही हो तो कहें कि हम उन संत-सतीजी से इस त्रुटि को हटाने का आवश्यक प्रयत्न करेंगे। और यदि वह त्रुटि असत्य हो तो गृहस्थ को उपालंभ दें।

❐ साधु-साध्वी जी अपने पदाधिकारी मुनियों के विरुद्ध गुट नहीं, बनावें, संघ में गुटबाजी को प्रोत्साहित न करें, किन्तु कोई गलत बात संघ के किसी सदस्य मे हो तो पदाधिकारी मुनियों को विनय-भक्तिपूर्वक दृढता से निवेदन करें।

❐ किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखित रचना को अपने नाम से न छपवायें और न प्रकट करें तथा किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी न करें, भले ही वह गद्य-पद्य आदि कोई भी विधा क्यों न हो।

❐ एक-दूसरे के शिष्य-शिष्याओं को भड़कावे नहीं, गुरु के विरुद्ध न करें, अपितु मतभेद मिटाने का प्रयास करें किन्तु औरों की फजीहत देखकर खुश नहीं होवे।

❐ श्रमण संघीय संत और सती अपनी पूर्व सम्प्रदायों के अनुसार अपने गुरुजनों को ही महत्त्व देकर औरों की उपेक्षा नहीं करें अपितु सभी को समान समझकर श्रद्धा, विनय-भक्ति और प्रेम भाव से बरतें।

❐ गुरुजन भी अपनी पूर्व सम्प्रदाय को स्मरण कर उनसे सम्बन्धित संत-सती को ही महत्व न दें और न औरों की उपेक्षा करें, अपितु सभी के साथ समान व्यवहार करें।

❐ श्रमणसंघीय संत-सती को अकस्मात किसी के व्याधिग्रस्त होने की जानकारी मिल गई और सेवा व्यवस्था न हो तो अपना अन्य विहार कार्यक्रम छोड़कर बीमार की सेवा को प्राथमिकता देकर प्रथम उसकी व्यवस्था करें।

❐ श्रमणसंघीय संत-सती परस्पर वात्सल्यभाव से रहें। यदि किसी के चारित्र में कमी हो तो उसे प्रेमपूर्वक समझाएं।

❐ पूर्व सम्प्रदाय के श्रावकों के घेरे मे ही नहीं रहे।श्रमण संघानुयायी समस्त श्रावक समाज को अपना समझाकर व्यवहार करे।

❐ किसी साधु-साध्वी जी का संयम, जिस स्थान पर वह है, वहॉ पर पलना संभव

न लगे तो आचार्य, प्रवर्त्तक, गुरु आदि से अनुज्ञा प्राप्त कर समुचित स्थान पर उसका परिवर्तन कराया जा सकता है।

□ किसी सिंघाड़े को छोड़कर व भागकर आया हुआ कोई सन्त व सती हो तो उसे तत्काल अपने में शामिल नहीं करें। अपितु उसे संयम में स्थिर करने हेतु साथ में रखें। उसके सिंघाड़े के गुरु से सुलह कराएं और यदि गुरुजन, प्रवर्त्तक और आचार्यश्री की आज्ञा हो तो अपने साथ में मिलाएं।

□ यदि कहीं से प्रायश्चित्त स्थान प्राप्त सन्त व सती आये हों, तो उसकी पूर्ण छानबीन कर, उसे पूर्ण प्रायश्चित्त देकर और गुरुजन का समाधान कर आचार्य श्री की आज्ञा से अपने पास रख सकते हैं।

□ जो साधु-साध्वी जी श्रमण संघ से बाहर हैं, किन्तु श्रद्धा प्ररुपणा एक है स्थानकवासी हैं, उनके प्रति भी द्वेष भावना न रखें, चलाकर कलह खड़ा न करें अपितु सद्व्यवहार रखे यदि वे द्वेष बुद्धि रखे तो उनसे दूर ही रहें यदि वे आरोप लगायें तो दृढ़तापूर्वक किन्तु सज्जनता व मधुरता के साथ समाधान करें।

□ अन्य साधु-साध्वी वर्ग के साथ जिनका श्रमणसंघ संत-सतियों के साथ सांभोगिक सम्बन्ध नहीं है उनके साथ भी सामान्य सम्मानजनक व्यवहार रखे।

□ जो संत-सती अन्य सम्प्रदायों के हैं और श्रमणसंघ के साथ मैत्री भाव रखना मान्य करते हों श्रमणसंघ के आचार्यश्री ने जिनके साथ मैत्री सम्बन्ध घोषित कर रखा है तो उनके साथ मैत्री सम्बन्ध रखने का प्रत्येक साधु साध्वी जी का दायित्व है।

□ श्रमणसंघ मे बाहर (अन्य सम्प्रदाय) से आये साधु साध्वी जी को श्रमण संघ में मिलाने का एक मात्र अधिकार आचार्य श्री का होगा अतः ऐसे साधु-साध्वी का सम्पर्क आचार्यश्री से कराए। जब तक आचार्यश्री की आज्ञा न आये तब तक समागत साधु या साध्वी को साथ तो रख सकते हैं किन्तु उनके साथ साध्वोचित व्यवहार न रखे। अर्थात साम्भोगिक सम्बन्ध न रखे।

□ अन्य सम्प्रदायों से प्रायश्चित्त स्थान प्राप्त कर कोई संत या सती आई हैं तो उनकी छान-बीन कर उचित प्रायश्त्ति देकर शुद्धिकरणपूर्वक

संघ में मिलाया जा सकेगा, यह अधिकार भी आचार्य श्री को है। उन्हें साथ मे रख सकते हैं किन्तु समाधन के बिना साध्वोचित व्यवहार नहीं करें।

□ किसी साधु-साध्वी जी का दोष दिखाई दे तो प्रमाण सहित गुरुजनों के सामने सिद्ध कर उसका शुद्धिकरण कराएं। यदि बिना प्रमाण दोष की बात कोई कहे और उसे सिद्ध न कर पाये तो उसका प्रायश्चित्त कहने वाले को लेना होगा।

□ साधु-साध्वी जी से अथवा साध्वी जी साधु जी से अकारण सेवा न करवावे, न उनसे बोझा उठवाए: न कपड़े धुलवाए यथासंभव साधु का काम साधु करे और साध्वी जी का काम साध्वी जी विशेष कारण की बात अलग है।

□ साधुजी के स्थान पर साध्वीजी को और साध्वीजी के स्थान पर साधुजी को बिना कारण जाना आना नहीं बैठना नहीं। सिद्धान्त वाचनादि कारण से जाना पड़े,बैठना पड़े तो प्रतीतिकारी गृहस्थ कल्प की उपस्थिति में ही वाचनादि का व्यवहार हो।

□ जो साधु जी स्वच्छन्दी एकाकी हैं और दो या एक साध्वी जी स्वच्छन्दी और कल्पबाह्य है, या अधिक संख्या में भी हों या जिन्हें श्रमण संघीय पदाधिरियों ने आज्ञा बाहर कर रखा हो, ऐसी के साथ वन्दन,आहार आदान प्रदान का व्यवहार नहीं रखा जाय। कदाचित विशेष परिस्थिति में एक मकान में ठहरना पड़े तो जघन्य एक रात उत्कृष्ट दो रात ठहरे अधिक नहीं।

□ स्वच्छन्दी, कल्प बाह्य को श्रमणसंघ मे गिनना नहीं। आचार्य पदाधिकारी भी किसी तरह उनके साथ आज्ञा व्यवहार बनाए नहीं।

□ जो साधु-साध्वी जी श्रमणसंघीय समाचारी के प्रति श्रद्धाशील हैं किन्तु रोगादि कारण से उसका बराबर पालन न कर पाए हो तो उनके प्रति तिरस्कार का भाव न रखा जाए अपितु अनुकम्पाभाव से उनकी वस्त्र-पात्र आदि से सेवा करना विशेष व्याधि में भी उनको सेवा से वंचित नहीं करना।

□ जो श्रमणसंघीय समाचारी के प्रति श्रद्धा भाव न रखे और उसे न माने ऐसे साधु-साध्वियों के साथ किसी भी तरह का सम्बन्ध न रखा जाए।

□ अन्य सम्प्रदायों के संत-सती जिनकी श्रमणसंघ समाचारी में

श्रद्धा नहीं है तथापि परिस्थितिवश उनके साथ रहना पड़े और साथ व्याख्यान करना पड़े तो मात्र व्यवहार-शुद्धि के लक्ष्य से करे।

❐ विहार काल में वस्त्र पात्र आदि ग्रहण करे उसकी नोंध रखे और किसी को दे उसकी भी नोंध रखे। और यह सारी विगत जिस प्रान्त में चातुर्मास करें उस प्रान्त के प्रवर्त्तक को चातुर्मास में उनके पास भेजें और उन्हें पूर्ण अवगत कराए। और प्रवर्त्तक वह सारी सूचना आचार्य श्री को दे। कोई विशेष उपसर्ग आया हो तो वह भी सूचित करे।

❐ स्थानक से बाहर जाने के पहले रत्नाधिक को जानकारी दे और जाते हुए आवस्सहि-आवस्सहि कहें।

❐ स्थानक में पुनः प्रवेश करने पर निस्सहि- निस्सहि बोलते हुए अपने आने की जानकारी गुरु अग्रगण्य को दे।

❐ रत्नाधिक के आसन पर पावं लगाए नहीं, उसे ठुकराएँ नहीं, बैठें नहीं रत्नाधिक आग्रह करे तो बैठें।

❐ रत्नाधिक के साथ बराबर पाट पर उनकी आज्ञा से बैठें।

❐ गांव में विराजते समय अन्य वृद्ध-तपस्वी या रोगी साधु-साध्वियों की पूछताछकर यथाशक्य उनकी सेवा करना व समझदार स्त्री या पुरुष को साथ में रखना।

❐ साधु-साध्वी जी छिद्रान्वेषी नहीं होवेः पर-निन्दा नहीं करना। कोई किसी से दोष हो तो आचार्य अथवा तत्सम्बन्धी प्रवर्त्तक और सिंघाड़े के अग्रेसर के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं कहें।

❐ जो दोष गुप्त लगे हों ऐसे दोषों का प्रायश्चित्त हो प्रायश्चित्त हो जाने के बाद फिर कोई उसे प्रकट नहीं करे। प्रकट दोष को,प्रकट में हुए प्रायश्चित्त को बताया जा सकता है।

❐ किसी छोटे साधु-साध्वी के प्रति भी किसी तरह से अविवेक से वरते नहीं,यदि बड़ों से अविवेक हो जाए तो नम्रभाव से खमावे व साधु पद का सम्मान दे।

❐ किसी साधु-साध्वी का उसकी आदत, व्यवहार या प्रवृत्ति को लक्ष्य में रखकर उसकी हंसी-मजाक नहीं करें। उसको कोई सांकेतिक नाम रखकर उसे चिढ़ाने का प्रयत्न नहीं करे। उसको दुःख पहुँचे ऐसी प्रवृत्ति न करे। उसकी नकल कर उसे हैरान भी न करे।

❒ रत्नाधिक बड़े साधु-साध्वी जी का किसी तरह अविनय आसातना-अभक्ति करना नहीं। बिना उपयोग या कषायोदय से अविनय आदि हो गया हो तो प्रसत्रता के साथ वन्दनपूर्वक अपराध की क्षमायाचना करे।

❒ किसी साधु-साध्वी के मूल गुण की क्षति हो गई हो तो उसे समझाकर आलोचना-प्रायश्चित्त के लिए तैयार करे किन्तु उसे साधुत्व से भ्रष्ट करने का प्रयत्न न करे, हां जब तक आचार्यादि अधिकारी मुनि से आलोचना प्रायश्चित्त न हो जाए तब उसके साथ सम्बन्ध विच्छेद रक्खे, किन्तु हीलना निन्दा न करे, तिरस्कृत कर उसे बार बार अपमानित करने की चेष्टा भी न करे। अपितु उसे स्वयं अपने दुष्कृत्य पर पश्चाताप हो ऐसा स्नेहिल व्यवहार रक्खे।

❒ ऐसे साधु-साध्वी जिसे छेद-प्रायश्चित्त आया हो या जिसने अकल्प में, स्वच्छन्द रूप से अमर्यादित आचरण किया हो उसका वह काल आचार्य श्री द्वारा छेदित क़र दिया हो तो उस साधु-साध्वी को अपना छेद काल अपनी दीक्षा पर्याय से काटकर शेष बचे काल में अनुक्रम से वन्दन व्यवहार करना कराना चाहिए।

❒ किसी के द्वारा दीक्षा काल पूछने पर दीक्षतिथि जो दीक्षा ग्रहण की हैं वह बता सकते है किन्तु साथ में छेद का खुलासा भी अवश्य करना चाहिए।

❒ एक क्षण के लिए भी कोई सन्त व सती ग्रहस्थ भेष में आये तो दीक्षा की पूर्व तिथि न बताकर पुनः भेष ग्रहण किया हो वही तिथि बताएं।

❒ जो साधु-साध्वी शिथिलाचार के रूप में आश्रम निवासी हैं आश्रम में नियत भोजनशाला से आहार लेते हैं और आश्रम का प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से संचालन करते हैं ऐसे आश्रमवासी साधु-साध्वी जी के साथ श्रमणसंघीय संत सती कोई भी सम्बन्ध न रखे।

❒ राह चलते एक दो दिन ठहरना पड़े तो स्थान का उपयोग कर सकते हैं। कल्पानुसार आहार भी एक दिन ले सकतें है।६

(नोट—यहां आश्रम की परिभाषा में संस्थाओं को भी ले लिया गया है फिर उसका नाम आश्रम हो या अन्य कोई भी नाम हो।)

❒ किसी गांव, नगर, शहर में या उसके अति निकट संस्था है और वृद्धावस्थादि कारण से संत-सती उस संस्था में आज्ञा लेकर ठहरे हुए हैं

और आहार गांव से लाते हैं और संस्था के साथ कल्पानुसार बरतते हैं तो उनसे सभी व्यवहार रखना उचित है।

□ साधु-साध्वी शयनादि क्रिया गुरुजनों के यथासंभव निकट-सन्निकट करें। एकान्त में सोने का प्रयत्न न करे। ऐसे ही साध्वियां भी परस्पर निकट आस-पास कल्पानुसार सोने का प्रयत्न करे किन्तु एकान्त में सोने का प्रयत्न न करें।

□ ज्ञान ध्यानादि आराधना हेतु किसी शिष्य-शिष्या को एकान्त की आवश्यकता हो तो जहां गुरु-गुरुणी आज्ञा दे वहीं बैठे। मनचाहा एकान्त स्थान लेने का प्रयत्न न करें।

□ जो व्यक्ति भेष तो स्थानकवासी जैन साधु-साध्वी का रखे किन्तु तदनुरूप मौलिक आचरण भी न करे, लुंचन न करे, वायुयान, मोटरकार, रेल आदि वाहन में विहार करे ऐसे ही अन्यान्य साध्वाचार विरुद्ध प्रवृत्ति करे उनके साथ श्रमणसंघीय संत-सती लेश मात्र भी सम्बन्ध सम्पर्क न रखे। यदि कदाचित वे चलाकर आकर मिले तो शिष्टतावश स्वल्प वार्तालाप कर सकते हैं। उसमें भी यदि उचित अवसर हो तो उन्हें साध्वा चार के विपरीत प्रवृत्ति से विरत करने का प्रयत्न करे। किन्तु रुचि लेकर उनसे सम्पर्क बढ़ाए नहीं। और न अपनी पुस्तकों के लिए उनकी सम्मति मंगवाए तथा प्रकाशित करें।

श्रावक-श्राविकाओं के साथ व्यवहार

□ श्रमणसंघीय सन्त-सती ये मेरे श्रावक हैं ये तेरे श्रावक हैं "यह मेरा क्षेत्र यह तेरा क्षेत्र" इस प्रकार की भाषा का व्यवहार न करें।

□ सभी श्रावकों को व सभी क्षेत्रों को अपना समझकर उनके साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करें।

□ श्रावकों के साथ अभद्र-हल्के, तुच्छ शब्दों का प्रयोग न करें और न अशिष्ट व्यवहार ही करें।

□ श्रावक-श्राविका किसी गुरु व अधिकारी को उनके अधीनस्थ साधु-साध्वी की कोई त्रुटि बताएं तो उनका तिरस्कार न करें, अपितु उनका समुचित समाधान करने का प्रयत्न करें।

□ अन्य सम्प्रदायों से अनुबन्धित श्रावक-श्राविकाओं को भी अपमानित या तिरस्कार न करें, अपितु सद्भावपूर्वक उन्हें श्रमण संघ की

रीति-नीति से परिचित कर उनके कट्टरवाद को सज्जनता से परिवर्तित करें।

❒ कोई प्रतिक्रियावादी आक्षेप आदि करे और जिसके लिए किया है अगर वह सच्चा हो तो समाधान करने का प्रयास करें और मिथ्या हो तो दृढतापूर्वक व युक्ति युक्त प्रतिवाद करे।

❒ गृहस्थ से जब साधु-साध्वी जी ज्ञान ध्यान लें तब उस समय वे उनके सामने भूमि पर बैठें, पाट पर बैठकर ज्ञान न लें।

❒ श्रावक श्राविकाओं में अपने गुरु पक्ष की महिमा बताने में ही साधु-साध्वी जी को नहीं लगें रहना चाहिए, अपितु उन्हें श्रमणसंघ की गरिमा, एकता, रीति-नीति और श्रमणसंघीय आचार्य आदि गुरुजनों के विषय में भी विशेष जानकारी देने का प्रयत्न करना चाहिए।

❒ श्रमणसंघ के अनुयायी श्रावक समूह में अपने गुरु पक्ष को लेकर भेद खड़ा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

❒ श्रावक-श्राविका वन्दन, व्यवहार आदि में कोई त्रुटि कर जाए तो उन्हें शिष्टता से समझाना चाहिए। किन्तु तिरस्कृत न करें।

❒ गृहस्थ से हाथ पांव दबाना नहीं, मालिस कराना नहीं, वस्त्र-पात्र धुलवाना नहीं विशेष व्याधि जिसमें गृहस्थ के मालिस से ही उपचार संभव हो तो उसे करवाने में हरकत नहीं।

❒ श्राविका को रात में मुनि और ,श्रावक को साध्वी जी रात में ज्ञान ध्यान, बोल थोकड़े, भजन-गीत पढावें नहीं। सार्वजनिक प्रवचन में लाभ प्राप्त करें वह बात अलग। प्रवचन लाभ भी बहनें तब ले सकती हैं जब रात्रि प्रवचन स्थानक के बाहरी स्थान पर हो। ऐसी स्थिति में भाई भी साध्वी जी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं।

❒ **"गिहि संयवं न कुज्जा—कुज्ज साहुहिं संथवं"** के अनुसार गृहस्थों से अति परिचय (कुल, गोत्र, जाति, माता, पिता, जवांई भानजा आदि रुप सम्बन्ध निकालना) आदि न किया जाये।

❒ जिन स्त्री-पुरुषों के संसर्ग से संयमी जीवन और ज्ञान ध्यान की क्षति पहुंचती हो उन नर-नारियों का सम्पर्क छोड़ देना चाहिए।

कहा भी है- "जेण पुण जहाइ जीवियं मोहं वा कसिणं नियच्छइ।
नर-नारिं पजहे सया तवस्सी न य कोउहलं उवेइ स भिक्खू।

—उत्तरा, 15/6

॥ विहारचर्या ॥

☐ मुनि जीवन की निर्मलता हेतु सशक्त मुनि कम से कम वर्ष में 9 (नवोकल्पी विहार करें। एक क्षेत्र में 29 दिन का कल्प है तदुपरान्त वहां पर निवास करना नहीं। कल्पपूर्ति के बाद 2 कल्प अन्यत्र कर वहां फिर कल्प निवास हो सकता है यदि कल्प मध्य एक रात्रि को भी अन्यत्र विहार होकर पुनः वहाँ स्थापन हो तो उसी दिन जिस दिन से पुनः स्थान ग्रहण किया हो कल्प दिन को गिनती में लेना।

☐ वृद्ध, अपाहिज, बीमार, अशक्त विद्यार्थी-सेवार्थी या अन्य शासन सेवार्थः आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्त्तक की आज्ञा से कल्प विहार में परिवर्तन भी हो सकता है।

☐ साध्वी जी का कल्प परिमाण 59 दिन का है अतः कम से कम उनके पांच विहार आवश्यक हैं। उपर्युक्त कारणों से इस कल्प परिमाण में भी परिवर्तन हो सकता है।

☐ विशेष परिस्थिति को छोड़ कर साधु-साध्वी जी एक ही दिशा में साथ-साथ विहार रत न रहें। एकाध दिन की बात अलग है।

☐ कदाचित् अलग-अलग दिशा से एक ही स्थान पर आये हुए साधु साध्वी जी को दुर्लंघ्य-अटवी, अनार्य बहुल क्षेत्रों से निकलना पड़े तो सबसे आगे साधु वर्ग, उनके पश्चात महिला वर्ग, उनके पश्चात् श्रावक वर्ग रहें। इस तरह विहार करें। किन्तु यह प्रवृत्ति अपवाद स्वरूप ही हो इसके लिए प्रान्त प्रवर्त्तक को लिखना आवश्यक होगा।

☐ साध्वी वर्ग के साथ भाइयों बहनों का रहना नितान्त आवश्यक है ऐसी स्थिति में ही विहार हो अन्यथा कल्प उपरांत भी रहना पड़े तो एतराज नहीं।

☐ साधु वर्ग के साथ महिलाएं विहार में हों तो श्रावकों का साथ रहना नितान्त आवश्यक है। विहार कल्प का समय मात्र दिन है। सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त ही विहार करना चाहिए। रात में नहीं।

☐ किसी विशेष कारण में कहीं रात्रि विहार अकस्मात् करना पड़े तो प्रान्त प्रवर्त्तक को उसकी आलोचना लिखकर भेजना अनिवार्य होगा। और वे जो प्रायश्चित्त दें उसे स्वीकारना होगा।

❐ रात्रि विहार न हो इसका पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है।

❐ उत्सर्गमार्ग में साधु-साध्वी जी तीन प्रहर के अन्तर से एक पथ पर विहार कर सकेगें।

❐ साधु-साध्वी जी किसी भी वाहन का प्रयोग न करें, पाद विहार ही जैन साधु-साध्वी जी का उत्सर्गमार्ग है।

❐ किसी सन्त-सती की विहार करते हुए अकस्मात् तबियत खराब हो गई, अंग-भंग हो गया या ऐसा ही कुछ कारण खड़ा हो गया या कोई ऐसा जान लेवा उपद्रव आ गया हो तो ऐसी स्थिति में वाहन का उपयोग करने के बाद कारण मिटने पर वाहन त्याग कर आलोचना कर आवश्यक प्रायश्चित्त प्रान्त प्रवर्त्तक से लेना होगा।

❐ वृद्ध, अपाहिज, बीमार साधु-साध्वी जी को सेवाकेन्द्र जिस क्षेत्र में हो, चिकित्सा केन्द्र पहुंचाने में वाहन प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक हों तो कर सकेंगे उसके प्रयोग के बाद प्रायश्चित्त लेना अनिवार्य है।

❐ वृद्ध, बीमार, अशक्त सन्त-सती जी स्थानापन्न ही रहें। किन्तु किसी स्थान पर अनुकूलता न हो और आचार्य श्री तथा प्रवर्त्तक श्री विशेष आज्ञा दें तो व्हीलचेअर त्रिचक्रिका द्विचक्रिका प्रयोग कर अन्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात व्हील चेयर का उपयोग न करें और न लगातार उस पर बैठकर विचरण ही करें। व्हीलचेअर का उपयोग करने पर उसका प्रायश्चित आचार्य श्री से लेवें। प्रान्त प्रवर्त्तक को भी सूचित करें।

❐ नगरप्रवेश पर गृहस्थ बाजा बजाए तो मुनि रुक जाएं। गाजे-बाजे से नगर प्रवेश नहीं करें।

❐ विहार से पूर्व जिनकी आज्ञा से सन्त-सती मकान में ठहरे हैं। जिन्हें शय्यातर बनाया है उसको अथवा उन्होंने (शय्यातर) जिसे आज्ञा लौटाने की स्वीकृति दी हो उसको मकान संभला कर ही सन्त-सती विहार करें।

❐ किसी तरह के जुलूस/प्रदर्शन में मुनि ग्रहस्थों के साथ नहीं चलें। स्वागत में आये ग्रहस्थ जुलूसनुमा हो जाए वह बात अलग है।

❐ आचार्य और प्रवर्त्तक की आज्ञा से, ज्ञान सेवा आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकाकी विहार किया जा सकता है।

❒ विहार मार्ग में साधु-साधु, साधु-श्रावक परस्पर चलते हुए बात न करें। बात करनी आवश्यक हो तो खड़े-खड़े रहकर करें।

❒ विहार मार्ग में अन्य मार्ग न हो और यदि हो भी तो बहुत लम्बा हो और निश्चित मार्ग में नदी बहती हो या पानी से भरी हो और नाव से पार करना पड़े तो विधियुक्त करें। अविधि होने पर अतिरिक्त आलोचना कर प्रायश्चित्त करना होगा।

॥ प्रचार प्रकरण ॥

❒ सम्यक्त्व प्रदान करना, जैनत्व के संस्कारों का प्रचार लोक मंगल स्वरूप दुष्ट प्रवृत्तियों का निराकरण, भावात्मक एकता स्थापित करना।

❒ श्रमण संघीय प्रत्येक सन्त-सती जहां भी जाएं जिन धर्म के प्रचार का मुख्य लक्ष्य रखे। जो वीतराग मार्ग के अनुयायी नहीं हैं उन्हें जैन धर्म का महत्त्व बताकर सत्य तथ्य ग्रहण करने के लिए उत्प्रेरित करें।

❒ सम्यक्त्व प्रदान करते समय देव अरिहंत, गुरु निर्ग्रन्थ एवं धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह एवं अनेकान्त, दृष्टिमय शुद्ध वीतराग मार्ग, दया धर्म के रुप में प्रतिपादित करें तथा श्रमण संघ के आचार्य को धर्माचार्य के रूप में स्थापित करें। नमस्कार महामन्त्र का ज्ञान दें। श्रमणसंघ के जो वर्तमान आचार्य हों उनका नाम लें और सूचना करें कि प्रतिक्रमण करते समय तीसरे पद मेंश्रमणसंघीय आचार्य श्री का स्पष्ट नामोच्चाारण करें।

❒ जैनेतर जातियों में स्थानकवासी विचार दर्शन सम्मत शुद्ध जिनमार्ग का व्यवस्थित और योजनाबद्ध रुप से जो भी सन्त या सतियॉं प्रचार प्रसार करना चाहें और समर्पित सेवाभाव से कार्य करना चाहें तो अपनी योजना का प्रारूप पूज्य आचार्य श्री प्रान्तीय प्रवर्त्तक के सम्मुख लिखित रुप में रखें पूज्य आचार्यश्री उसे स्वीकार करें या उसमें आवश्यक परिवर्तन करें, या कुछ विशेष सूचनाएं, संशोधन दें उसको मान्य करते हुए कोई भी साधु-साध्वी जी किसी भी प्रान्त के किसी भी वर्ग में जिन शासन की सेवा में यह प्रचार कार्य कर सकेंगे।

❒ जन कल्याण—योजना को लोकशुद्धि का आधार मानकर उसके अनुसार प्रत्येक साधु साध्वी जी कुछ न कुछ लोक जीवन शुद्धि का कार्य अवश्य करें और उसकी रिपोर्ट प्रान्त प्रवर्त्तक को दें।

❒ विदेशों में भी शुद्ध जैन धर्म,अध्यात्मवादी वीतराग मार्ग का विधिवत प्रचार हो यह आज के युग की प्रमुख मांग है।

❒ जैन जगत की उपर्युक्त अपेक्षा पर बहुत गहराई तक चिंतन करने के बाद यह निर्णय रहा कि देश-विदेश में धर्म प्रचार हो इस निमित्त स्था. जैन मुनि अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अधिक योगदान नहीं दे सकते अतः उक्त कार्य हेतु कॉन्फ्रेंस एक साधक संघ की स्थापना करें।

❒ इस विषय में सारे नियमोपनियम को कॉन्फ्रेंस तैयार कर आचार्य सम्राट के सामने उपस्थित करें और उस पर आचार्य श्री के विचार लें। आचार्य देव के सम्मत होने पर उसे मूर्त्त रूप दें।

॥ 4 ॥

॥ अधिकार एवं कर्त्तव्य प्रकरण ॥

॥ व्यवस्था विभाग ॥

संघ का नाम— इस संघ का नाम श्री व. स्था. जैन श्रमण संघ रहेगा।

कार्य क्षेत्र — प्रस्तुत संघ का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत और भारत के आस पास के देश जहां पद यात्रा से पहुंचा जा सके।

उद्देश्य— प्रस्तुत संघ का उद्देश्य बहुत व्यापक है। स्थानकवासी जैन समाज की समस्त सम्प्रदायों को एकता के सूत्र में सम्बद्ध कर सम्प्रदायवाद को निरस्त करना। जैन समाज के अन्य सम्प्रदायों से पारस्परिक सहयोग स्थापित करना एवं विश्व में जैन एकता के स्वप्न को साकार करना।

❐ जैन धर्म के अनुयायी चतुर्विध संघ को आत्म कल्याण के लिए सम्प्रेरित करते हुए जिन शासन और भगवान महावीर के उपदेशों को जन-जन तक पहुँचाना।

❐ श्रमण—मर्यादा के अन्तर्गत रहते हुए जिन धर्म के प्रचार प्रसार को सम्प्रेरित करना तथा चारों तीर्थों के सदस्यों के व्यक्तित्व विकास एवं आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए समुचित अवसर प्रदान करना।

❐ पिछली पीढ़ी को धर्म से अनुप्राणित करना। साध्वाचार की मर्यादा के अनुपालन के साथ लोकोपकार सम्पादित करना।

❐ साध्वाचार एवं श्रावकाचार के सन्दर्भ मे आचार शैथिल्य एवं स्वछंद प्रवृत्तियों को रोकना।

❐ साधु-साध्वी सुशिक्षित सुसंस्कृत बनें ऐसी सुव्यवस्थाएं करना।

❐ भारतवर्ष और विश्व की जनता को भगवान महावीर के संदेश प्राप्त हों इस हेतु आगम और अन्य आगम सम्मत साहित्य का विविध भाषाओं में निर्माण व रूपान्तरण करना, संशोधन करना।

❐ धार्मिक शिक्षण योग्य पाठ्यक्रम तैयार करना।

❐ वक्तृत्व, लेखन एवं पाद विहार कर अधिक से अधिक लोक सम्पर्क साधना एवं लोक जीवन में व्याप्त दुर्व्यसन, निर्दयता ,असत्य अब्रह्मचर्य, स्तेयकर्म तथा काषायिक वृत्तियों का शमन करने का यत्न करना।

❐ एक आचार्य के नेतृत्व में चारों तीर्थों में रत्नत्रय की साधना को वर्धमान करना तथा लोक मंगल एवं आत्ममंगल मूलक सभी श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को प्रवर्तित करना इस संघ का मौलिक उद्देश्य है।

सदस्यः—

❐ प्रत्येक ऐसा स्था0 जैन मुनि अथवा साध्वीजी जो किसी भी सम्प्रदाय का हो किन्तु उस सम्प्रदाय में नई दीक्षा देने जैसे प्रायश्चित्त का पात्र न हो तो वह प्रस्तुत संघ का सदस्य हो सकेगा। हाँ, यदि अन्य सम्प्रदाय से नई दीक्षा जैसे प्रायश्चित्त का पात्र बना हो तो उसे सदस्य बनाने का अधिकार केवल आचार्यश्री को होगा। वे उसके विगत अपराधों की आलोचना सुनकर उचित समझेगें तो क्षेत्रीय प्रवर्त्तक के संसूचन से संघ में सम्मिलित कर सकेंगे।

❐ प्रत्येक सदस्य को संघ का प्रतिज्ञा-पत्र भरना आवश्यक होगा।

❐ आचार्य श्री जिसे अमान्य करेंगे वह संघ का सदस्य नहीं होगा।

॥ संघ-प्रवेश का प्रतिज्ञा पत्र ॥

❐ मैं, मेरी सम्प्रदाय व साम्प्रदायिक पदवियां विलीनीकरण करके 'श्री वर्द्धमान स्था0 जैन श्रमण संघ' में प्रविष्ट होता हूं। मैं संघ के बंधारणानुसार आचार्य और मन्त्रिमण्डल की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करूंगा।

❐ मैंने अपने आचार्य, गुरुजन तथा बड़े मुनिराज (प्रवर्तिनी गुराणी तथा बड़ी साध्वी) के समक्ष शुद्ध हृदय से आज तक में लगे हुए जानते अजानते सभी दोषों की आलोचना कर ली है और छेद पर्याय बाद करके आज मेरी दीक्षा पर्याय...........की हैं।

❐ मेरे भविष्य काल के चरित्र के सम्बन्ध में श्रमण संघ के आचार्य श्री और मंत्रियों एवं गुरुजनों को कोई शंका उत्पन्न होगी तो वह सिद्ध होने पर आचार्य श्री और प्रायश्त्ति मंत्री की आज्ञानुसार मैं उसका प्रायश्चित करूंगा।

श्रमण संघ के बंधारण और समाचारी का मैं यथायोग्य पालन करूंगा।

मिती..हस्ताक्षर......................................

इस प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार ही श्रमण संघ में नये सदस्यों को सम्मिलित होना चाहिए।[1]

—सर्व सम्मति से पास

कार्यसमिति :-

प्रस्तुत संघ का संचालन एक कार्यसमिति करेंगी। कार्य समिति के प्रधान आचार्य श्री हांगे। उपप्रधान उपाचार्य एवं युवाचार्य श्री होगे (यदि नियुक्ति हुई हो तो) उपाध्याय मण्डल, प्रवर्त्तक न्यूनतम 5, अधिकतम 7 होंगे। उनका समूह प्रवर्त्तक मण्डल कहलाएगा। एक नौ सदस्यों का परामर्शक मण्डल भी होगा जो परामर्शदातृसमिति के नाम से पुकारा जायेगा। उपाध्याय मण्डल एवं प्रवर्त्तक मण्डल के बीच की कड़ी महामंत्री होंगे।(यदि नियुक्ति हुई हो तो)।

आचार्य श्री की योग्यता, चुनाव और अधिकारः-

❑ संघ संचालक मण्डल के प्रधान आचार्य श्री होंगे

❑ आचार्य श्री शास्त्रज्ञ, आचारनिष्ठ स्व-पर मत के ज्ञाता एवं वक्तृत्व कला से सम्पन्न होने आवश्यक होंगे

❑ उनका चुनाव (यदि युवाचार्य न हो तो) प्रवर्तक मण्डल एवं परामर्शक मण्डल मिलकर करेंगे। (चतुर्विध संघ का परामर्श आवश्यक है।)

❑ आचार्य श्री, उपाचार्य श्री, युवाचार्य श्री, उपाध्याय, प्रवर्त्तक, मण्डल महामंत्री एवं परामर्शदाता समिति से परमर्श करके बने वहाँ तक उनकी सर्वसम्मति नहीं हो तो अधिक से अधिक सहमति के आधार पर संघ का संचालन करेंगे।

❑ आचार्य श्री श्रमणसंघीय संविधान के मुखिया हैं अतः संविधान की धाराओं के अनुरूप संघ को प्रवर्तित करना यह उनका दायित्व है। श्रमण संघीय सभी साधु-साध्वी जी उन्हीं की नेश्राय में होंगे।

❑ आचार्य श्री को ऐसे किसी विषय में जो संविधान में उल्लिखित

1. प्रस्ताव सादड़ी सम्मेलन

नहीं हो अथवा संविधान द्वारा निर्देशित नहीं हो तो उस विषय में अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा, किन्तु उस अध्यादेश को जारी करने से पहले उस अध्यादेश के विषय में प्रवर्त्तक एवं सलाहकार मण्डल को विश्वास में लेना आवश्यक होगा। मतभेद होने पर विशिष्ट अधिकार का प्रयोग आचार्य श्री कर सकेंगे।

❒ पन्द्रह वर्ष सें अधिक पर्याय वाले साधु-साध्वी को आचार्य श्री को योग्य लगेगा तो (ग्रुप) सिंघाड़ा परिवर्तन कराने का अधिकार होगा।

❒ वैरागी-मुमुक्षु की दीक्षा की योग्यता का अन्तिम निर्णय आचार्य श्री करेंगे।

❒ बराबर मत हो तो आचार्य श्री का अपना मत प्रभावक होगा।

❒ किसी ऐसे साधु-साध्वी को जो आचार्य श्री द्वारा अवांछित समझ लिया जाएगा तो उसे संघ बाहर घोषित करने का अधिकार मात्र आचार्य श्री को ही होगा।

❒ आचार्य श्री ऐसे सन्त-सतियों से जिनके साथ संघ का साम्भोगिक सम्बन्ध भंग कर दिया गया है। विचार-विमर्श कर सकेंगे। ऐसे विषय में वे संघ हित को लक्ष्य में रखेंगे।

❒ इस प्रकार आचार्य श्री को यह भी अधिकार होगा कि असाम्भोगिक किन्हीं भी सन्त-सतियों से विचार-विमर्श करे एवं मिलाने के लिए किसी भी मुनिवर को आज्ञा प्रदान करें।

❒ मूल गुण की क्षति जैसे भयंकर अपराध पर अंतिम प्रायश्चित्त आचार्य श्री ही दे सकेंगे किन्तु सम्बन्धित प्रवर्त्तक की रिपोर्ट एवं अपराधी की आलोचना को महत्त्व देकर ही आचार्य श्री निर्णय कर सकेंगे।

❒ आचार्यश्री को निर्णय करने में कोई कठिनाई होगी तो वे एक आयोग बिठा सकेंगे और आयोग के इतिवृत्त के आधार पर आचार्य श्री निर्णय घोषित करेंगे।

❒ आचार्यश्री को अधिकार होगा कि पदाधिकारी सन्त-सती भी अवांछित आचारण करे तो वे उसे पद मुक्त कर सकेंगे। किन्तु ऐसा कदम उठाने के लिए उपाध्याय मण्डल, प्रवर्त्तक मण्डल एवं परामर्श दातृ समिति की सलाह लेना आवश्यक होगा। दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो ऐसे पदवीधर संत-सती जी, जो अवांछित व्यवहार के दोषी हैं उन्हें जिस विषय में अपराधी

समझा जाएगा उस विषय पर अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा तथा गम्भीर छान-बीन पूर्वक ही कोई निश्चय किया जाए।

❒ किसी ऐसे मुनि या साध्वी को जिसे अवांछित आचरण का दोषी समझा गया हो उनको भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सम्पूर्ण छान-बीन के बाद यदि वह दोषी समझा जाए और उसका अपराध ऐसा है कि उसे संघ बाहर करना पड़े तो यह अधिकार मात्र आचार्य श्री को ही होगा।

❒ आचार्यश्री मुख्यतया लिखित शिकायतों पर ही ध्यान देंगे। किन्तु यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लिखित शिकायत प्राप्त न हो और मौखिक शिकायत भी निष्पक्ष और प्रमाणित व्यक्ति से प्राप्त हो तो वे किसी भी संत-सती से जबाव-तलब कर सकेंगे।

❒ प्रवर्त्तक अपने प्रांत के वर्षावास निश्चित कर आचार्यश्री को भेजेंगे। आचार्य श्री ही उनकी घोषणाएँ करेंगे। प्रवर्त्तकों द्वारा प्राप्त सूची में फेर-बदल करने का अधिकार मात्र आचार्य श्री को ही होगा।

❒ आचार्यश्री किसी क्षेत्र की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर किसी भी संत -सती को वहां वर्षावास करने-विचरने टिकने और वहां से विहार करने के सीधे आदेश प्रसारित कर सकेंगे।

❒ यद्यपि अपने-अपने क्षेत्र में प्रवर्त्तक आक्षेप निवारण के जिम्मेदार होंगे। फिर भी यदि आचार्य श्री आवश्यक समझेंगे तो किसी की संत सती जी को किसी भी क्षेत्र मे प्रवर्त्तक की सलाह से आक्षेप निवारणार्थ नियुक्त कर सकते हैं।

❒ प्रवर्त्तकों के प्रान्त परिवर्तन करने का अधिकार भी आचार्य श्री को होगा।

❒ आचार्यश्री के निकट रहने वाले संत-सती पर मूल दोषारोपण होने की स्थिति हो तो उनका शुद्धिकरण प्रवर्त्तक करेंगे।

❒ आचार्य श्री श्रमण संघ में किसी भी पदाधिकारी संत-सती अथवा साधारण संत-सती से किसी भी वांछित विषय पर गुप्त या प्रकट रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे।

❒ आचार्य श्री को अधिकार होगा कि वे प्रवर्त्तक, उपाध्याय सिंघाड़ा पति के द्वारा दण्डित संत-सती की बात जो उन अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध भी हो सुन सकेंगे और आवश्यक समझा तो अधिकारियों के

दिये फैसले को भी तत्सम्बन्धित अधिकार से विचार-विमर्श कर बदल सकेंगे।

❑ आचार्य श्री श्रमण संघ के बाहर रहे एकलविहारी साधु तथा दो साध्वियां जो स्वच्छंद रूप से बिना किसी विशेष कारण से अकेले और कल्प बाहर रहे उनको जितने दिन उस स्थिति में रहे उतने दिनों का दीक्षा छेद देकर संघ में सम्मिलित कर सकेंगे।

❑ आचार्य श्री को प्रतिक्रमण करते समय श्री सीमंधर स्वामी की आज्ञा लेना चाहिए।

❑ श्रमण संघ में ही कोई मुनि अपनी अस्वस्थ प्रकृति या और किसी कारण से साधु पना (वेष) छोड़कर गृहस्थ भेष में एक क्षण के लिए भी आ गया और उसे सद्‌बुद्धि आ जाए तथा वह पुनः साधु-पने में आना चाहे और आचार्य श्री उसे संघ में लेना उचित समझ लें तो उसका मूलारोपण हो, पुनः दीक्षा हो, पहले का दीक्षा काल बिलकुल न गिना जाय। फिर से जिस दिन वह भेष धारण करे उस दिन से आचार्यश्री उसके दीक्षा दिन की सूचना सभी अग्रगण्यों को दें। ऐसा अग्रगण्य भी कर सकेंगे पर आचार्य श्री को निवेदन करना आवश्यक है।

❑ प्रेत बाधा और विक्षिप्तता संघ के द्वारा प्रमाणित होने पर ऐसो को छेद, प्रायश्चित्त देकर शुद्धिकरण किया जा सकता है।

❑ किसी अकेले मुनि के पास जो स्वच्छंदपने बिचरा हो यदि स्वच्छंदपने से ही शिष्य बना लिया हो और वह श्रमणसंघ में प्रवेश चाहे तो जितने दिन अकेला रहा वह काल उसका छेदकर शेष समय की दीक्षा मानकर उसे संघ में लिया जा सकता है किन्तु उसके छेद के बाद शेष संयम काल की सूचना आचार्य श्री को सभी अग्रगण्यों को पहुंचानी होगी।

❑ यही सिद्धान्त एक साधु दो साध्वी के साथ लागू होगा।

❑ ऑपरेशन या अन्य कारणें से जिसे भी जितना छेद आया हो उस छेद को बाधकर शेष संयम काल की तिथि की पूर्ण घोषणा आचार्यश्री को सभी अग्रगण्य देवें।

❑ सभी साधु-साध्वियों की दीक्षा तिथि संवत् सहित आचार्य श्री के पास अंकित हो। छेद प्रायश्यित्त उसमें से कम कर आचार्य श्री दीक्षा पर्याय की सभी को सूचना देने के अधिकारी होंगे।

□ किसी भी साधु-साध्वी को श्रमणसंघ का सदस्य बनाने का अन्तिम अधिकार आचार्य श्री को होगा।

॥ उपाचार्य, युवाचार्य पद नियुक्ति, कार्य क्षेत्र और अधिकार ॥

□ आचार्य श्री अति वृद्ध हों, रूग्ण या अशक्त हो तो युवाचार्य की नियुक्ति हो सकेगी।

□ उपाचार्य, युवाचार्य की नियुक्ति का अधिकार मुख्यतया आचार्य प्रवर, उपाध्याय, प्रवर्त्तक मंडल और परामर्शदाता समिति के सदस्यों को है।

□ उपाचार्य युवाचार्य की घोषणा आचार्य श्री करेंगे।

□ उपाचार्य श्री को आचार्यश्री अपने अधिकारों में से जो भी अधिकार देंगे वे अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे।

□ उपाचार्य आचार्य श्री के उत्तराधिकारी हैं। आचार्य श्री के पश्चात वे ही श्रमण संघ के आचार्य बनेंगे।

□ युवाचार्य श्री को भारत वर्ष और उसके बाहर के सभी श्रावक समाजों को आध्यात्मिक सम्प्रेरक कार्यक्रम देने का अधिकार है। साधु-साध्वियों को भी उनके जीवनोत्कर्ष मूलक कार्यक्रम देने का अधिकार रखते हैं।

□ समाज की रीति-नीति में एकरूपता लाने में युवाचार्य श्री का प्रमुख भाग होगा।

□ यदि कार्य समिति परस्पर एक मत न हो तो उस अवस्था में आचार्य श्री को घोषणा करने का अधिकार होगा।

□ युवाचार्य श्री श्रमणसंघीय सभी संत-सतीजी की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट-प्राप्त करें, और प्रत्येक संत-सती को वह रिपोर्ट देना आवश्यक होगा।

□ प्राप्त रिपोर्ट पर सम्बन्धित सन्त-सतियों को युवाचार्यश्री आवश्यक परामर्श दे सकेंगे।

□ रिपोर्ट के मुख्य अंग है पाद विहार नवीन ज्ञान तप साधना एवं प्रचार।

नोट—उपाचार्य पद वर्तमान में ही है। भविष्य के लिए उपाचार्य पद रहे ही यह विधान नहीं है।

❒ युवाचार्य श्री आवश्यक समझेंगे तो किसी भी रुग्ण संत-सती की सेवा में जिसे योग्य समझेंगे उसकी नियुक्ति कर सकेंगे।

॥ उपाध्याय-नियुक्ति और अधिकार ॥

❒ उपाध्याय की नियुक्ति उपाध्याय, प्रवर्त्तक एवं परामर्शदाता मण्डल के सहयोग से आचार्य श्री करेंगे।

❒ उपाध्याय श्री को स्वमत-परमत का ज्ञान होना चाहिए।

❒ उपाध्याय श्री को आगम ज्ञान के साथ वाक्चातुर्य लेखन कला एवं वक्तृत्व प्रतिभा से सम्पन्न होना भी आवश्यक है।

❒ समय-समय पर स्था. शुद्ध अध्यात्मिक दर्शन पर अन्यमतियों द्वारा आक्षेप किये जाते हैं, विरुद्ध प्रकाशन होते हैं, उन सभी का निवारण करके शुद्ध वीतराग मार्ग जो स्था. सिद्धान्त पद्धति के रूप में विद्यमान हैं उसकी स्थापना करना उपाध्याय श्री का मुख्य कर्त्तव्य होगा।

❒ गृहस्थ वर्ग में कहीं भी स्था0 शुद्ध मार्ग को हानि पहुंच रही हो, वहां उपाध्याय श्री हानि रोकने के समुचित प्रयत्न करेंगे।

❒ उपाध्याय केवल अपना और अपने साथ के मुनियों का वर्षावास और विहार क्रम स्वयं निर्धारित कर आचार्य श्री से आज्ञा प्राप्त करेंगे, प्रांत प्रवर्त्तक से नहीं, किन्तु उनके शिष्य-शिष्या यदि उनसे अलग वर्षावास, विहार करेंगे तो प्रांत प्रवर्तक की आज्ञा प्राप्त करेंगे।

❒ सैद्धान्तिक आक्षेप निवारणार्थ वे किसी भी योग्य संत-सतीजी को आवश्यक क्षेत्र में नियुक्त कर सकेंगे।

❒ वीतराग दर्शन को पुष्ट करे ऐसे साहित्य की उपाध्याय स्वयं भी रचना करे, अन्य कोई लेखक प्रयास करे तो उसे प्रोत्साहित करे और अच्छे से अच्छा उपयोगी, गम्भीर तथा सभी वर्गों को साहित्यिक खुराक मिल सके ऐसे साहित्य के विस्तार प्रणयन का लक्ष्य रखें।

❒ समाज को समुचित विविध साहित्य प्राप्त हो इस हेतु उपाध्याय अपने नेतृत्व में एक समिति का निर्माण करे जिसमें विद्वान श्रावक-श्राविका साधु-साध्वी जी हों। वह समिति संघ के अन्तर्गत प्रत्येक लेखक की रचना को देखकर, उसके प्रकाशन योग्यता की स्वीकृति प्रदान करेंगे। उक्त समिति के निर्णय के बाद ही कोई पुस्तक संघ का सदस्य छपवा सकेगा और संस्थाएं

छापने की अधिकारिणी होगी। ऐसे प्रत्येक प्रकाशन पर श्रमण-संघीय साहित्य निर्णायक समिति द्वारा प्रमाणित, ऐसा छापना, अनिवार्य होगा।

❐ उपाध्याय एवं समिति की स्वीकृति के बिना छपे साहित्य को उपाध्याय और समिति अमान्य घोषित कर सकती है।

❐ ज्ञानार्थी संत-सतीजी के ज्ञान सम्पादन हेतु आवश्यक व्यवस्था के लिए आदेश उपदेश संकेत करने का अधिकार ज्ञान प्रदाता उपाध्याय जी को होगा।

❐ उपाध्याय श्री आवश्यक समझेंगे तो ज्ञानार्थी संत-सती को सिघाड़ापति से परामर्श करके सिंघाड़ा बदल सकेंगे। किन्तु इसके पीछे मूल कारण ज्ञानार्जन कराने का ही होगा। अन्य किसी कारण से प्रेरित परिवर्तन कराने का उपाध्याय जी को अधिकार नहीं होगा।

❐ ज्ञान-साधना के आवश्यक अंगो की सम्पूर्ति का लक्ष्य उपाध्याय सम्पादित करेंगे।

❐ श्रमणसंघ के प्रति आस्थावान सभी स्वाध्याय संघो को उपाध्याय श्री आवश्यक आदेश-उपदेश, संकेत सूचना दे सकेंगे जिन्हें पालन करना स्वाध्याय संघों के लिए अनिवार्य होगा।

❐ संघ में स्वाध्याय प्रवृत्ति बढ़े इस हेतु उपाध्याय आवश्यक प्रेरणा देंगे।

❐ जैन धर्म, दर्शन, सिद्धान्त, आचार पद्धति, स्थानकवासी शुद्ध-श्रद्धान, व्यवहार, श्रमण धर्म, श्रावक धर्म आदि विषयों पर समय समय पर जिज्ञासुओं के द्वारा जो शंकाएँ रखी जाती हैं प्रश्न उपस्थित किये जाते हैं उनका सम्यक् एवं शास्त्र पुरस्सर समाधान देना, वाद आयोजन हो तो अपना पक्ष दृढ़ता से प्रस्तुत करना आदि कार्यों का मुख्य दायित्व उपाध्याय का होगा।

❐ जो संत-सती अध्ययनशील है और जिनमें विशिष्ट ज्ञान सम्पादन की प्रतिभा है ऐसे संत-सती की योग्यता का समुचित निर्धारण कर उनको आगे के पाठ्यक्रम में प्रवृत्त करने का अधिकार उपाध्याय को होगा।

❐ स्कूल, कालेज, सरकारी, अर्ध सरकारी एवं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइवेट परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को उपाध्याय की स्वीकृति लेना होगा और उपाध्याय विद्यार्थी की योग्यता

का निर्धारण कर स्वीकृति देंगे। बिना उपाध्याय जी की स्वीकृति के कोई संत-सती किसी भी तरह की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

❒ अन्य परीक्षाओं के लिए श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड की कम से कम प्रभाकर परीक्षा को मौलिक आधार माना जाएगा।

॥ प्रवर्त्तक-नियुक्ति कर्त्तव्य-अधिकार ॥

❒ प्रवर्त्तक की नियुक्ति आचार्य श्री उपाध्याय तथा तत् प्रान्तीय उपप्रवर्त्तक व परामर्श दातृ समिति के सदस्यों के सहयोग से करेंगे।

❒ प्रवर्त्तक आगमज्ञ और सुयोग्य हो।

❒ प्रवर्त्तक गणनायक नहीं, प्रदेश नायक होगा। जिस प्रदेश का प्रवर्त्तक को अधिकार दिया जायेगा उसमें योग्य वर्षावास कराना, उस प्रदेश में जिन शासन, श्रमण संघ एवं स्था. सिद्धान्तों पर आने वाले आक्षेपों का उन्हें निवारण करना होगा। आक्षेप निवारण में उपाध्याय का परामर्श लें।

❒ अपने क्षेत्र में पधारे हुए श्रमणसंघीय मुनिराज-महासती से सम्पर्क बनाये रखना, संत-सतीजी वृद्ध रूग्ण हो तो उनकी समुचित सेवा व्यवस्था करना। उन पर आये आक्षेपों की छान-बीन करना, सम्प्रदायवाद को दबाना, समकित परिवर्तित नहीं कराना।

❒ संत-सतीजी का योग्य क्षेत्र में वर्षावास निश्चित करना तथा आचार्य श्री से स्वीकृति प्रदान कराना। पठन-पाठन करने वाले संत-सतीजी के लिए योग्य व्यवस्था करना, प्रायश्चित्त स्थान उपस्थित हो तो उसकी रिपोर्ट आचार्य श्री को भेजना, योग्य प्रायश्चित आलोचना की व्यवस्था करना आदि कार्य प्रवर्त्तक के अधिकार में होंगे।

❒ अपने प्रदेश में पधारे हुए संत-सतीजी में सिंघाडा परिवर्तन कराने का अधिकार प्रवर्त्तक श्री को होगा। सिंघाड़ा पति की सम्मति से।

❒ चातुर्मास के प्रार्थना पत्र प्रवर्त्तक प्राप्त करेंगे, और वे ही उनकी समीक्षा करेंगे तथा सिघाड़ा का निश्चय कर रिपोर्ट आचार्य श्री को देंगे, आचार्य श्री की स्वीकृति के पश्चात प्रवर्त्तक को चातुर्मास घोषित करने का अधिकार होगा।

❒ प्रवर्त्तक श्री, श्री संघ को आश्वासन तो दे सकेंगे पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं करवायेंगे।

❑ चातुर्मास निर्णय का अन्तिम अधिकार आचार्य श्री को होगा।

❑ प्रवर्त्तक अपने प्रदेश में विचरने वाले एकलबिहारी साधु-साध्वी को किसी सिघाड़ा में स्थापित करने के प्रयत्न करेंगे। यदि वे एकल विहारी इस योग्य नहीं हैं तो उनके साथ श्रमणोचित व्यवहार नहीं रहेगा।

❑ किसी साधु को बड़े प्रायश्चित्त जैसा दोष लगा हो तो प्रवर्त्तक उसका आहार-पानी, व्यवहार सम्बन्ध अन्य साधुओं से तोड़ देने का अधिकार रख सकेंगे।

❑ दोषी की आलोचना सुनने का अधिकार प्रवर्त्तक श्री को होगा। महाव्रत भंग जैसे अपराध पर प्रवर्त्तक आचार्य श्री को रिपोर्ट देंगे और वहीं से प्रायश्चित्त का निर्धारण होगा।

❑ प्राप्त प्रायश्चित को सफल बनाने की निगरानी प्रवर्त्तक को होगी।

❑ मूल गुण, उत्तर गुण दोषी साधु-साध्वी जी अन्य प्रदेश से अपने प्रदेश में आ गए हों तो जिस प्रदेश में उन्होंने दोष सेवन किया है। उस प्रदेश के प्रवर्त्तक की सूचना के बिना न सम्बन्ध रखे और न उसकी आलोचना सुने।

❑ आलोचना सुनने का दायित्व और कराने का दायित्व उस प्रदेश के प्रवर्त्तक का है, जिस प्रदेश में दोष लगा है, हां यदि वह प्रवर्त्तक अन्य प्रवर्त्तक को आलोचना सुनने और प्रायश्चित करने की स्वीकृति दे तो वैसा कर सकेंगे।

❑ प्रत्येक संत-सती से प्रवर्तक विहार कार्यक्रम मंगवा सकेंगे और आवश्यक हुआ तो वे उसमें परिवर्तन की सूचना दे सकेंगे, प्रवर्त्तक की सूचना का परिपालन आवश्यक होगा।

❑ बिचरने वाले सिंघाड़ों में कहीं कलह की स्थिति बने तो प्रवर्त्तक पूर्ण न्यायपूर्वक व्यवस्था देंगे। प्रवर्त्तक की व्यवस्था को मान्य करना आवश्यक होगा।

❑ किसी संत-सती के पास वैरागी-वैरागिन हो तो प्रवर्तक का कर्त्तव्य होगा कि वह उन मुमुक्षुओं के ज्ञानादि अभिवृद्धि की सुविधा प्रदान करावे।

☐ अगर दीक्षार्थी अयोग्य, पागल, कर्जदार या दुष्ट स्वभाव का है तो प्रवर्त्तक दीक्षा की आज्ञा नहीं दे। और आचार्य श्री को सूचित करें।

☐ गुमनाम आक्षेपपूर्ण पत्रों पर न प्रवर्त्तक न आचार्य श्री ध्यान देंगे किन्तु जो पत्र अधिकृत रूप से लिखे हुए हों उन्हीं पर विचार कर सकेंगे।

॥ उप प्रवर्त्तक; नियुक्ति अधिकार ॥

☐ उप प्रवर्त्तक की नियुक्ति प्रवर्त्तक श्री करेंगे तथा इसकी सूचना आचार्य श्री को देंगे।

☐ कर्त्तव्यनिष्ठ, सुयोग्य, चरित्रवान सक्रिय मुनिराज इस पद के योग्य होंगे।

☐ उप प्रवर्त्तक की नियुक्ति व्यक्ति संतुष्टि या वर्गसंतुष्टि के आधार पर नहीं होकर सुयोग्यता के आधार पर हो।

☐ प्रवर्त्तक जो उत्तरदायित्व सौंपेगा, उपप्रवर्त्तक उसका निर्वाह करेगा।

☐ जिस क्षेत्रवर्ति उप प्रवर्त्तक होगा वह उस क्षेत्र में पधारे हुए सन्त-सती वर्ग की व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण करेगा और प्रवर्त्तक को दायित्व निर्वाह में सहयोग देगा।

सिघाड़ापति के अधिकार और कर्त्तव्य

☐ सिंघाड़ापति प्रतिक्रमण की आज्ञा सीमंधर स्वामी और आचार्य श्री की लेवें।

☐ सिघाड़ापति अपना विहार कार्यक्रम सामान्यतया स्वयं निश्चित करेंगे।

☐ अपने संग के किसी मुनि का या सती का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो सिंघाड़ापति उसकी सुव्यवस्था का ध्यान रखें, उचित इलाज कराएं, आवश्यक विश्राम दें और उनकी सेवा-सुश्रूषा का प्रबन्ध करें।

☐ सिंघाड़ापति को यदि उचित लगे कि वृद्ध या बीमार अशक्त

साधु या साध्वीजी लम्बे विहार में साथ नहीं आ सकते हों और उन्हें किसी सीधे और छोटे मार्ग से आगे भेजना हो या पीछे से बुलाना हो तो जिस साधु को भी उन बीमार, वृद्ध या अशक्त साधु की या साध्वी की सेवा में रहने का आदेश दें, उन्हें उनके साथ आज्ञानुसार रहना आवश्यक होगा।

❑ सिंघाड़पति की आज्ञा का उल्लंघन करने पर सिंघाड़ापति उसे तीन बार समझाए, किन्तु नहीं समझे तो ऐसे अविनीत साधु-साध्वी को सिंघाड़ापति प्रवर्त्तक व आचार्य श्री से परामर्श कर उसके साथ जैसा उचित समझे वैसा व्यवहार कर सकता है।

❑ अपने अधीनस्थ साधु या साध्वी की अच्छी या बुरी प्रवृत्ति की गोपनीय रिपोर्ट आचार्य श्री या प्रान्त-प्रवर्त्तक को भेजने का सिंघाड़ापति को अधिकार रहेगा।

❑ प्रवचन, गोचरी आदि प्रवृत्तियों में सिंघाड़ापति का आदेश अन्तिम निर्णय होगा, और उनकी आज्ञा का पालन सभी साथी मुनियों के लिए अनिवार्य होगा।

❑ सिंघाड़ापति सभी के साथ समान व मधुर व्यवहार रखें फिर भले ही वह संत या सती अपनी या अन्य परम्परा के हों।

❑ सिंघाड़ापति यदि किसी संत व सती के साथ भेदभाव करेंगे तो वह संत-सती क्षेत्र-प्रवर्त्तक को उसकी सूचना दे सकेंगे।

❑ क्षेत्र प्रवर्त्तक की प्रत्येक सूचना को स्वीकार करना सिंघाड़ा पति के लिए अनिवार्य होगा।

❑ सिंघाड़ा पति जिस घर पर जाने का निषेध करे और जिस व्यक्ति से बातें करने का निषेध करे तो इस विषय में उनकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है।

❑ किसी भी सिंघाड़ापति को, किसी भी साधु-साध्वी को क्षेत्र-प्रवर्त्तक की आज्ञा के बिना छोड़ने का अधिकार नहीं, हां यदि वह साधु-साध्वी स्वयं सिंघाड़े को छोड़ना चाहे तो क्षेत्र के समझदार पांच भाइयों की साक्षी से उसे छोड़ सकते हैं किन्तु पूरी रिपोर्ट प्रवर्त्तक को देना आवश्यक होगा।

❐ मर्यादा विरुद्ध आचारण करने पर आचार्य श्री किसी संत या सती के वेष परिवर्तन हेतु आदेश दें तो उस आदेश का पालन सिंघाड़ापति या प्रवर्त्तक संघ के प्रमुख श्रावकों को क्रियान्वित करने के लिए उत्प्रेरित करें।

❐ किसी अन्य सिंघाड़े से कोई साधु-साध्वी कलह कर अन्य सिंघाड़े का आश्रय ले तो क्षेत्र-प्रवर्त्तक की आज्ञा बिना उसके साथ आहार पानी का संभोग नहीं करें। सहयोग देने के लिए साथ रख सकते हैं। यथासंभव उसे समझा-बुझाकर पूर्व स्थान पर भेजने का प्रयत्न करें।

॥ 5 ॥

॥ प्रायश्चित्त-विधि-प्रकरण ॥

स्थल-भीनाशहर; (नौखामण्डी, देशनोक)

ताः 19-2-56 रविवार- माघशुक्ला 8 मध्यान्ह 1॥ से 4 बजे तक

1. ज्ञानातिचार	**जघन्य**	**उत्कृष्ट**
1. जं वाइद्धं आदि 14 अतिचारों का अजान से (भूल से) सेवन हो जाय तो मिच्छामिदुक्कडं और जान कर करें तो—	एक आयंबिल	एक उपवास
2. कालिक सुत्रों का उत्काल (दूसरे-तीसरे प्रहर) में वाचनादि देना-लेना और धर्म चर्चा के सिवाय स्वाध्याय करने पर उपरोक्त दोष लगेगा—	" "	" "
3. अष्टविध ज्ञानाचार की आशतना करें तो —	" "	" "
4. सूत्र अर्थ की आशातना करे तो—	" "	" "
5. सूत्रज्ञान दाता की आशातना—(निन्दा-उपहास-मत्सर) करे तो—	" "	" "
		1पुरीमड्ढ
6. ज्ञान के उपकरणों को असावधानी से रखे या तिरस्कार करे तो		दो पौरूषी

	जघन्य	उत्कृष्ट
7. स्वाध्याय करने के काल में वगैर कारण अन्तराय देवे तो–		दो पौरूषी
8. लघु नीत बड़ी नीत करते समय या रक्तादि झरता हो उस समय सूत्र पाठ करे तो		एक नीवी

(ता. 20-2-56 सोमवार माघ शुक्ला 9 मध्याह्न 1 बजे से 4 बजे तक)

2. दर्शनातिचार-

1. शुद्ध देव–गुरू–धर्म की आशातना निन्दा–उपहास–मात्सर्य, भाव करे तो–	एक आयंबिल	एक उपवास
2. गुरू आदि बड़े साधु-साध्वी को प्रमादवश वंदना नहीं करें तो तथा अविधि से करे तो		एक आयंबिल
3. रजोहरण–गुच्छक-शास्त्र पुस्तक–पुट्ठे सिरहाने रखें तो–	एक नीवी	एक आयंबिल
4. गाली -श्राप देवे, दुर्भाव और कषायवश कडके मरोडे (कट-कटी खाकर) कहे-तेरा सत्यानाश हो मलीन मन्त्र जपे तो–		एक बेला छट्ट भत्त
5. समकित के पांच अतिचारों में का (शंका,कंखा, वितिगिच्छा, परपाषण्ड् प्रशंसा, परपाषंडपरिचय) अज्ञान(भूल) में सेवन हो तो मिच्छामि दुक्कडं, और जान कर अतिचार लगावे तो–	1पुरिमड्ढ	मूल से फिर से सम्यक्त्व ग्रहण करें

3. चारित्रातिचार -

1. पहिला महाव्रत

	जघन्य	उत्कृष्ट
1. सचित्त पृथ्वीकाय का संघटा स्पर्श हो तो—	500 स्वाध्याय दो पोरसी	एक उपवास
2. सचित पृथ्वी(नमक— मिट्टी आदि) भूल से भोग लेवे तो	दो पोरसी	दो उपवास
3. सचित पानी का संघटा होवे व छिंटा लगे तो	500 स्वाध्याय	एक उपवास
4. सचित्त पानी कों भूल से भोग लेवे तो		दो उपवास
5. अग्नि का संघटा होवे तो		एक उपबास
6. भूलकर अग्नि प्रज्वलित करे तो		दो उपवास
7. वायुकाय में उड़ते हुए वस्त्रों की यथोचित यतना नहीं करे (अयतनापूर्वक वस्त्रादि सुखावे या) रखे तो—		एक उपवास
8. खुले मुंह बोले व झटक-पटक करे तो		दो उपवास
9. सचित्त धान्यादि का संघट्टा होने से		एक एकाशना
10. प्रत्येक वनस्पति का संघट्टा होने से		एक आयंबिल
11. साधारण वनस्पति का संघट्टा होने से		एक उपवास
12. सचित्त धान्य हरि आदि शरीर से दब जाय तो		एक उपवास
13. अनन्तकाय पर उपकरण पड़ जाय या शरीर से दब जाय तो		दो उपवास

	जघन्य	उत्कृष्ट
14. पृथ्वी-पानी-अग्नि-वनस्पति सचित्त पर रजोहरणदि उपकरण पड़ जाय तो		एक उपवास
15. इरादापूर्वक (आकुटटी से एकेन्द्रिय की घात करे तो		120 उपवास
16. दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय छोटे प्राणियों की प्रमाद (भूल) से घात हो तो		एक उपवास
17. बड़ी काया वाले दो इन्द्रिय की प्रमाद(भूल) से घात हो तो		दो ,,
18. बड़ी काया वाले दो इन्द्रिय की भूल से घात हो तो		तीन ,,
19. बड़ी काया वाले चार इन्द्रिय की भूल से घात हो तो		चार ,,
20. अपरिमाण(अनेक) दो इन्द्रिय की घात हो तो		चार ,,
21. अपरिमाण (अनेक) तीन इन्द्रिय की घात हो तो		छह ,,
22. अपरिमाण (अनेक) चार इन्द्रिय की घात हो तो		आठ ,,
23. अपरिमाण से समूचे दो इन्द्रिय की घात हो तो		दस ,,
24. अपरिमाण से समूचे तीन इन्द्रिय की घात हो तो		पच्चीस ,,
25. अपरिमाण से समूचे चार इन्द्रिय की घात हो तो		पचास ,,
26. आकुट्टी से (इरादे पूर्वक) तीन विकलेन्द्रिय की घात करें तो		-एक सौ अस्सी उपवास

	जघन्य	उत्कृष्ट
27. जूं कपड़ों से अलग डाल दें तो–		दस उपवास
28. प्रमाद एवं उन्माद से पंचेद्रिय की घात होवे तो		" "
29. पंचेन्द्रिय की आकुट्टी (इरादे से घात करे तो)	180 उप.	मूल से दीक्षा
30. कृमि, चुन्निये, बाला-नेरू, फोड़ा, नाक, कान, दांत में से कीड़े आदि के उपचार या सामान्य ऑप-रेशन से घात होवे तो–	4 उप.	एक सौ बीस उपवास
31. बड़े ऑपरेशन में आरम्भ आदि दोष एवं उसके साथ अन्य विशेष दोष लगे हों तो यथोचित चौमासिक तप या छेद प्रायश्चित्त दिया जाय		
2. दूसरा महाव्रत-		
1 प्रमाद से (बिना उपयोग) झूठ बोला जाय तो	दो उप. म. 5 उ. या	50 उपवास मूल से दीक्षा
(ता0 21-2-56 मंगलवार मध्याह्न 5 बजे से 4 बजे तक)		
3. तीसरा महाव्रत-		
1 प्रमाद (भूल) के वश पेंसिल पुस्तकादि अदत्तादान ग्रहण हो जावे तो-	एक्र एकासना	1 उपवास
2 आकुट्टी (इरादापूर्वक) अद-त्तादान ग्रहण करे तो	मध्य 10 उप.	मूल से दीक्षा
3 पडिहारी वस्तु सुई, कैंची चाकू, धातु की कील वाले चश्मे,		

	जघन्य	उत्कृष्ट
फाउन्टेन पैन आदि जानकर रात को रखना नहीं भूल से रात को अपने नेश्राय में रह जाय तो—		एक उपवास
4 सुई, कैंची, चाकू आदि गृहस्थ के हाथों हाथ देवे या अयत्ना पूर्वक ऊपर से डाले तो—		" "
5 गुरू की आज्ञा बिना गोचरी, स्थंडिल जावे, विहार करे अथवा स्वाध्यायादि करे तो—		" "
6 बड़ों के आने पर खड़ा होकर सन्मान-सत्कार नहीं देवे तो	शामको क्षमा याचना	कर लेवे
7 गृहस्थी और स्वधर्मी श्रावक की [illegible] सुविधा रहते हुए आज्ञा नहीं लेवे तो—		एक आयंबिल
8 असंयती के पास से अपने नेश्राय के उपकरण आदि उठवावे और उसका कार्य करे तो		एक उपवास
9 साधु-साध्वी में परस्पर तथा गृहस्थों से क्लेश हो जाय— उनसे वगैर क्षमायाचना किये आहार या विहार करे तो—		चार उपवास
10 गुरू, वृद्ध, तपस्व, रोगी, नव दीक्षित, इनकी प्रमादवश वैयावृत्य नहीं करे तो—		चार उपवास
11 गुरु आदि से क्लेश करके विहार करे तो-	जितने दिन अलग रहे उतनेदिन छेद	6 महीने का छेद
12 गुरु के आसनादि पर वगैर पूछे लापरवाही से बैठ जावे या उपकरणादि रखे तो—		क्षमायाचना करे

	जघन्य	उत्कृष्ट
13 गुरू आदि बड़ो की आज्ञा बिना दूसरे साधुओं के भंडोपकरण वस्त्र पात्र आहारादि भोगवे तथा अपनी नेश्राय के दूसरों को देवे तो–		एक उपवास
14 वस्त्र-पात्र, पोथी-पाने, संघ की नेश्रायवाले मकानमें पड़े हों और वह संघ के व्यवस्थापक की आज्ञा बगैर लेवे और वगैर आज्ञा मकान में ठहरे तो–		चार ,,

(ता. 22-2-56 बुधवार माघ शुक्ला 11 मध्याह्न 1।। से 4 बजे तक)

4. चौथा महाव्रत-

	जघन्य	उत्कृष्ट
1 मैथुन सेवन की इच्छा करे तो–		1 नीवी
2 विकार की दृष्टि से अंगोपांग निरखे तो–		1 आयंबिल 30 उपवास
3 एक बार हस्तकर्म करे तो		1 मास का छेद
4 बार-बार हस्तकर्म करे तो		500 की स्वाध्याय
5 तिर्यचनी(पशुपक्षी) का संघटा होवे तो		1 आयंबिल
6 नपुंसक को संघटा होवे तो		
7 स्त्री का संघटा होवे तो (परम्परा संघटेका)		1 उपवास 2 उपवास
8 साध्वी का संघटा होवे तो		
9 तिर्यंचनी तथा मनुष्यनी से मैथुन सेवे तो–		मूल से दीक्षा
10 साधु साधु से, साध्वी साध्वी से, तथा साधु साध्वी से मैथुन सेवन करे तो–		,, ,,

	जघन्य	उत्कृष्ट
11 स्वप्न में अनंग क्रीड़ाकरे तो——		4 लोगस्स
12 स्वप्न में मैथुन सेवे तो—		एक उपवास
13 हस्त लगवादि करे; कामोत्तेजक पत्र देवे; फोटो आदि रखे या निरखे तो—		गुरु चौमासी एक सौ बीस उपवास
14 जिस मकान में एक ही दरवाजा हो; ऐसे स्त्री, पशु पंडग सहित मकान में 1-2 रात्रि के सिवाय या कारण के अलावा, अधिक रहे तो—		जितने दिन रहे उतने उपवास
15 जिस मकान में साधु ठहरे हों; उसके पास के मकान में रही हुई स्त्री से अपने स्थान से बात करे तो		एक बार का मासिक उपवास 2 का मा. छेद
5. पांचवां महाव्रत—		
1 परिग्रह (धातु) व कार्ड, लिफाफे, टिकिट नोट, हुण्डी, चेक आदि अपनी नेश्राय में और अपने उपकरणों के पास रखे तो—	दो उपवास	मूल से दीक्षा
2 मर्यादा उपरांत भंडोप करण वस्त्र-पात्र आदि बिना कारण कारण1॥ महिने उपरांत रखे तो—	दो उपवास	एक सौ आठ उपवास
6. छठा-महाव्रत—		
1 वख्त की खबर नहीं पड़ने से अशनादि चारों आहार रात्रि को भोगने में आ गया हो तो—		चार आयंबिल
2 आकुट्टी(इरादा) पूर्वक रात्रि को चारों प्रकार के आहार		

	जघन्य	उत्कृष्ट
भोगवे (जो मुंह द्वारा ली जावे वे सभी दवाइयां आहार के अन्तर्गत है) तो–		मूल से दीक्षा
3 स्निग्ध का लेप या साग आदि का दाग झोली, मांडला, लूणिया गरना आदि वगर धोयें रह जाये तो–	500 की स्वाध्याय	एक उपवास
4 आकुट्टी (इरादा) पूर्वक चारों आहार, दवा इन्जेक्शन, रोगन, तमाखू, दन्त मंजन टूथपेस्ट, विक्स आदि सूघने की तमाम वस्तुएँ रात्रि को अपने पास में रखे तो–		एक उपवास
5 उपरोक्त वस्तुएं रात्रि में अपने पास रख कर प्रातः फिर से उसे काम में लेवे तो–		" "
6 भूल से चारों आहार में की कोई वस्तु रात्रि में अपने पास रह जावे तो परठ देवे और एक उपवास दण्ड लेवे-		" "
7 डकार गुचलका आदि नहीं थूके व निगल जावे तो–		एक आयंबिल
8 रात्रि में असह्य रोग व मरणान्तिक कष्ट के समय दवा का लेप व मालिश करा लेवे और इन्जेक्शन लगा लेवे तो–		गुरु चौमासिक छेद

(ता 23-2-56 माघ शुक्ला 12 गुरुवार प्रातः 9 ॥ से 11 बजे तक)

7 ईर्या समिति –

1 मार्ग में चलते हुए बातें करें व हस्त ताल देवें–		एक उपवास

	जघन्य	उत्कृष्ट
2 ख्याल-तमाशा तथा इन्द्रिय पोषण के निमित्त मकान, बाग, बगीचा आदि देखे तो		चार उपवास
3 वर्षा बरसते, ओस-धुंवर पड़ते गोचरी जावे -विहार करे तो		” ”
4 नदी में पांव डूबे जितने पानी में उतरें तो		एक उपवास
5 नदी में पिंडी जितने पानी में उतरे तो		बेला या 5 „
6 नदी में घुटने जितने पानी में उतरे तो		1 तेला
7 नदी में घुटने ऊपर के पानी में उतरे तो		2 „
8 नाव में बैठकर नदी उतरे तो		1 चोला
9 विनापूंजे-पडिलेहे द्वार उघाडे तो		स्वाध्याय 500 की
10 विहार करते समय रात लग जाय तो		एक उपवास
11 सूर्योदय पहले विहार करे तो		दस उपवास
12 रात्रि में तथा अंधेरे में बिना पूंजे चले तो		एक पुरीमड्ढ
13 रजोहरण भूल कर 5 पांवडा उपरान्त जाए तो		एक उपवास
8. भाषा-समिति—		
1 श्राप गाली दे तो		एक बेला
2 पहर रात्रि उपरान्त जोर-जोर से बोलने पर 500 की स्वाध्याय		एक उपवास

	जघन्य	उत्कृष्ट
3 जन्म-मृत्यु के समाचार गृहस्थ से कहे तो		एक बेला
4 सावद्य -भाषा का प्रयोग करें तो (मध्यह्न 1॥ से 4)		" "

9 एषणा - समिति :

	जघन्य	उत्कृष्ट
1 आधाकर्मी, उद्येशिक, पूति- कर्म, मीसज्जाए पाहुडियाए, और अज्जोयरे ये छओं अविशुद्ध कोटी के आहारादि भोगने में आजाय तो	चार उपवास	एक सौ बीस
2 ठवणा दोषयुक्त आहारादि भोगने में आवे तो		एक उपवास
3 किये (कृत) दोषवाला आहारादि उपयोग में आवे तो		एक आयंबिल
4 परियटटे पाउअरे, अभिहड़े, उब्भिन्ने, मालोहडे, अच्छिज्जे, अणिसिट्टे, दोष युक्त आहारादि का सेवन होने पर		क्रम से एक एक उपवास
5 धाई, दुई ,निमित्ते, आजीवे, वणिमग्गे, तिगिच्छे, कोहे, माणे, माये लोभे, पुव्विपच्छा सेथवे, विज्जा, मंते, चुण्ण, जोगे ये 15 दोषयुक्त आहारादि भोगने में आ जाय तो...		चार आयंबिल
6 मूलकर्म (गर्भपातादि) उपाय बताकर आहारादि ले तो		मूल से दीक्षा
7 संकिए कंखिए, मंखिए, निक्खिए, पेहिए, सचित्ते, दायगे अपरिणए, लित्ते छंड्डिए, अणिसिट्-ये दस, दोष लगाकर आहार लेवे तो		एक आयंबिल

	जघन्य	उत्कृष्ट
8 मिश्र(बीज आदि से संयुक्त) आहार भोगने में आवे तो—		चार उपवास
9 संजोयणा-स्वाद के लिये संयोग मिलावे इंगाल-स्वादिष्ट वस्तु की प्रशंसा करके खावे, धुम्मे-अस्वादिष्ट वस्तु की निन्दा करके खावे; पम्माण-प्रमाण उपरान्त आहार करें; बिना कारण आहार करे तो		एक उपवास
(नोट : यह 47 दोषों का जो प्रायश्चित्त है, वह अजाण में लगे का है, आकुट्टी (इरादे) पूर्वक का दंड इनसे भिन्न समझना चाहिये।)		
10 बिना कारण सदैव पाँचों विगय तथा सरस 2 आहार भोगवे तो		एक उपवास
11 सरस आहार परिठावे तो		दो ,,
12 दो कोस (4 ॥ माईल) उपरान्त आहारदि भोगने में आ जावे तो—		चार आयंबिल
13 शैयात्तर पिण्ड भोगने में आ जावे तो—		चार उपवास
14 गोचरी से आकार इर्यावही नहीं प्रतिकमे तो—		एक एकासना
15 मिश्र पानी पीने में आ जावे तो—		दो उपवास

12. आदान भंड मत्त निक्खेवणा समितिः-

	जघन्य	उत्कृष्ट
1 बगैर पूंजे बिछौने पर सोवे तथा बगैर देखे, बगैर पूंजे कोई उपकरण वापरे तो—		500 की स्वाध्याय

	जघन्य	उत्कृष्ट
2 अविधि से प्रतिखेलना करने में आवे तो–		एक नीवी
3 बिना कारण दिन में सोवे और प्रहररात्रि आने के पहले सोवे तो–		500 की स्वाध्याय
4 रात्रि को खुली जगह अछाया में सोवे, टहले, बैठे, घूमें तो–		एक उपवास
5 वस्त्र पाट, पाटले आदि के फूलन आजावे तो उन्हें उपयोग में लेवे नहीं और भूल में वापर लेवे तो–	एक उपवास	दस उपवास
6 रात्रि को वस्त्रादि खुली जगह में रह जावे तो–		500 स्वाध्याय

10. उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल-संघाण-परिठावणिया समितिः-

	जघन्य	उत्कृष्ट
1 रात्रि में थंडील जावे तो		एक उपवास
2 बड़ी नीत-लघुनीत आदि समुर्च्छिम उत्पत्र होवे, ऐसी वस्तु अन्तर्मुहूर्त उपरांत रह जावे तो–		छह उपवास
3 थंडिल से आने के बाद पांव पूंजे नहीं, इर्यावही पडिकमे नहीं और दिन रहते बड़ी नीत, लघु नीत आदि की भूमि को पड़िलेहे नहीं तो–	एक उपवास	नीवी

11. समुच्चयः-

	जघन्य	उत्कृष्ट
1 तीनों गुप्ति की खंडना-विराधना होवे तो–	म0 दोछट्ठभत्त	मूल से दीक्षा
2 कोई भी प्रत्याख्यान पारना भूल जावे तो–		चार लोगस्सध्यान
3 सुई टूट जावे तो–		एक छठ भत्त

	जघन्य	उत्कृष्ट
4 सुई गुम हो ज़ावे तो		एक अष्ट भत्त
5 मैथुन सेवन आदि महाब्रत		" "
भंग का झूठा आल चढ़ावे तो		मूल से दीक्षा

तपों की परिभाषा

1. भिन्नमास— जघन्य- पुरिमड्ड, एकासणा, नीवी आयंबिल विगय का त्याग उत्कृष्ट 25 उपवास या 25 दिन का छेद।

2. लघुमास— जघन्य-एकासना ,आयंबिल, उपवास, उत्कृष्ट 27 उपवास या 27 दिन का छेद।

3. गुरूमास— जघन्यनीवी, आयंबिल, उपवास उत्कृष्ट 30 उपवास या 30 दिन का छेद।

4. लघु चौमासिक— जघन्य4 नीवी,4आयंबिल,4उपवास छटठ भत्त,अष्ट भत्त उत्कृष्ट 105 उपवास या 105 दिन का छेद।

5. गुरू चौमासिक — जघन्य छट्ट भत्त,अष्ट भत्त उत्कृष्ट -120 उपवास या 120 दिन का छेद।

6. लघु छ मासिक— जघन्य छट्ठभत्त। उत्कृष्ट-165 उपवास या 180 दिन का छेद।

7. गुरू छ मासिक— जघन्य अष्टभत्त। उत्कृष्ट-180 उपवास या 180 दिन का छेद।

प्रायश्चित्त उतारने की विधि—

एक उपवास का-4 एकासणा, दो आयंबिल, 3 नीवी, 24 पोरसी, 2000 स्वाध्याय,45 नवकारसी, 12 दो पोरसी,10 तीन पोरसी, 16 डेढ़ पोरसी 4 एकल ठाणा 20 नवकार मंत्र की माला, 20 आनुपूर्वी, यह तप विधि है।

(ता. 25-2-56 माघ शुक्ला 14-15 संयुक्त शनिवार मध्यान्ह 1॥ ते 4 बजे साधुओं और श्रावकों के लिये पक्खी आदि पर्वों का प्रायश्चित्त।)

साधुओं का पक्खी का 1 उपवास, चातुर्मासिक 1 बेला, सांवत्सरिक 1 तेला।

श्रावकों का—पक्खी की 5 सामायिक, चातुर्मासिक 25 सामायिक; सांवत्सरिक एक पडिपूर्ण पौसा या चार दया।

उपवास की पूर्ति (भरती)

45 नवकारसी करे तो 1 उपवास की पूर्ति हो।

25 पहरसी	,, ,, ,,
16 डेढ़ पहरसी	,, ,, ,,
12 दो पहरसी	,, ,, ,,
10 तीन पहरसी	,, ,, ,,
8 एकासना	,, ,, ,,
5 एकलठाणा	,, ,, ,,
3 नीवी	1 उपवास की पूर्ति हो
2 आयंबिल	,, ,, ,,
3 माला लोगस्स की	,, ,, ,,
2 ॥ माला नमोत्थुंण की	,, ,, ,,
20 माला नवकार मंत्र की	,, ,, ,,
2000 गाथा की स्वाध्याय करे तो	,, ,, ,,

एक महिना तक एकसाथ (अभित्र) पहरसी करे तो दो उपवास
रूक्षवृत्तिधार विग्गय- कढाई विग्गय 5 दिन छोड़े तो एक उपवास।

„ „ „ 10 दिन छोड़े तो छट्टभत्त

(अथवा 5 उपवास)

रूक्ष वृत्तधार विग्गय -कढाई विग्गय 15 दिन छोडे तो अष्ट भत्त अथवा 30 उपवास।

रूक्ष वृत्तधार विग्गय-कढाई विग्गय 20 दिन छोड़े तो 2 अष्ट भत्त

पचास उपवास

„	„	25 दिन छोड़े तो	3 अष्टभत्त	75 „
„	„	30 „	1 दशमभत्त	125 „
„	„	35 „	2 „	250 „
„	„	40 „	3 „	375 „
„	„	45 „	4 „	500 „
„	„	50 „	5 „	625 „
„	„	55 „	6 „	750 „
„	„	60 „	10 „	1250 „

उपवास का प्रायश्चित्त उतरे

॥ इति प्रायश्चित्त विधि प्रकरण ॥

जैन कॉन्फ्रेंस की मुख्य योजनाएं

जीवन प्रकाश योजना

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा एवं रोग चिकित्सा के अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।

मानव सेवा योजना

इस योजना के अंतर्गत जनकल्याण के कार्यों में जरुरतमंद परिवारों को भोजन तथा निर्धन छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन सामग्री व अन्य जरुरतमंदों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है।

जीव दया योजना

इस योजना के अंतर्गत गो-धन के पालन में सहायता के साथ पशुओं में व्याप्त रोगों के उपचार में चिकित्सकीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

ज्ञान प्रकाश योजना

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ जैन धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना। साधु-साध्वी वर्ग की आध्यात्मिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना आदि कार्य शामिल हैं।

वैय्यावच्च समिति

इस समिति के माध्यम से विचरणरत साधु-साध्वीवृंद की देखभाल की व्यवस्था, स्थानक में रूकने के दौरान उनकी गौचरी एवं सेवा आदि की व्यवस्था की जाती है।

श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, जैन भवन, 12, शहीद भगत सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001 के लिए श्री शेरसिंह जैन के निर्देशन में राजीव जैन, बुकमैन प्रिन्टर्स, दिल्ली-110092 (फोन : 9810367902) द्वारा मुद्रित